राज्य स्तर पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की छठवीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की छठवीं बैठक दिनांक 30/06/2020 को 03:30 बजे श्री मोनी लाल भवन, अरण्य, राज्य स्तर पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे–

1. डॉ. संजीव भारतवेदी, सदस्य, राज्य स्तर पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण
2. सुश्री सरीता पी., सदस्य सचिव, राज्य स्तर पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, मंत्रिमंडल, राज्य स्तर पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

एजेन्डा आइटम क्रमांक–1 — **दिनांक 27/05/2020 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तर पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की छठवीं बैठक दिनांक 27/05/2020 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा कार्यसूची के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेन्डा आइटम क्रमांक–2 — **मेसर्स श्री सिमरलया (प्रो.– श्री कमलेश कुमार सिंह), ग्राम–पड़वामटोला, तहसील–खुरसी, जिला–राजनांदगांव में बर्फी उपखनिज निर्माण किया जाना।**

अपर सचिव, खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पत्र दिनांक 12/02/2020 के माध्यम से मेसर्स श्री सिमरलया प्रोप्राइटर श्री कमलेश कुमार सिंह, ग्राम–पड़वामटोला, तहसील– खुरसी, जिला– राजनांदगांव की जिला स्तर पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण, राजनांदगांव द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18/06/2018 की नियम के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में अपर सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपने पत्र दिनांक 01/07/2019 के द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण से प्रकरण अनुमोदन किया गया है।

प्राधिकरण की दिनांक 27/05/2020 को संपन्न छठवीं बैठक में विचार कर उपस्थित का निर्णय लिया गया था कि प्रकरण पर सभी एवं समस्त दस्तावेजों का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। समयाभाव के कारण प्रकरण पर विचार किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः प्रकरण की समस्त मूलभूत जानकारी / दस्तावेजों के साथ आगामी बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया जाए। तदानुसार प्राधिकरण की दिनांक 30/06/2020 को संपन्न छठवीं बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 30/06/2020 को संपन्न छठवीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि–

मेसर्स श्री सिमरन (प्रोप्राईटर – श्री कमलेश कुमार सिंह) का ग्राम– [illegible] तहसील– पुरैना, जिला– [illegible] के खसरा नंबर [illegible] का भूमि रकबा 5.01 हेक्टेयर में गौण खनिज अर्थात के अधिकतम [illegible] – [illegible] टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण, [illegible] द्वारा दिनांक 19/09/2018 को 50 वर्ष की अवधि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 25 वर्ष तक है।

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. नं 173/2018 सुदर्शन राम सिन्हा बनाम [illegible] में दिनांक 13/08/2018 को जारी आदेश में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 15/01/2018 को संशोधित करने हेतु तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की कार्यवाही जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण / जिला स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति के बजाय राज्य स्तर पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण / राज्य स्तर विशेषज्ञ आकलन समिति द्वारा करने हेतु निर्देशित किया गया।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12/12/2018 को अधिसूचना ऑफ मेमोरेण्डम जारी कर राज्यों को माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गये उक्त निर्देश का पालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त के फलस्वरूप राज्य स्तर पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 21/12/2018 द्वारा समस्त जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरणों को नई अधिसूचना जारी होने तक पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया गया।

संचालक, संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा अपने पत्र दिनांक 05/07/2019 के माध्यम से माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 13/08/2018 एवं 11/12/2018 तथा राज्य स्तर पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 21/12/2018 में उल्लेखित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का आधार स्पष्ट करने अनुरोध किया गया। राज्य स्तर पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 09/07/2019 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि उक्त आदेश एवं पत्र में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का आशय Prior Environmental Clearance से है। ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) की प्रावधानों के अनुसार अधिसूचना में उल्लेखित कार्यकलापों के कार्य प्रारंभ करने के पूर्व, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अतः पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की कार्यवाही का रोक का आशय तात्पर्य माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के परिपेक्ष्य जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण एवं जिला स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति में लंबित प्रकरणों एवं नये प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से बंद करने से है।

माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्लू.पी.पी.आई.एल. 36/2018 शीर्षक याचिका डिस्ट्रक्ट छत्तीसगढ़ बनाम में दिनांक 24/08/2018 को पारित आदेश से प्रभावित पक्षों द्वारा उक्त स्पष्टीकरण के साथ एप्लीकेशन याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त याचिका के सुनवाई उपरांत माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा याचिकाकर्ता को राज्य स्तर पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने तथा राज्य स्तर पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर नियमानुसार कार्यवाही पर निर्णय लिये जाने बाबत् दिनांक 23/09/2019 को आदेश दिया गया।

जिला स्तरीय पर्यावरण आघात निर्धारण प्राधिकरण, राजनांदगांव द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति मामला मंत्रालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 12/12/2018 एवं राज्य स्तर पर्यावरण आघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 21/12/2018 के द्वारा जारी निर्देश के पूर्व दिनांक 28/09/2018 को जारी की गई है। साथ ही मामला माननीय पर्यावरण अर्थात जिला स्तरीय पर्यावरण आघात निर्धारण प्राधिकरण, राजनांदगांव द्वारा बैठक दिनांक 28/09/2018 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया था।

आवेदक तथा के आधार पर विचार निर्णय उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला स्तरीय पर्यावरण आघात निर्धारण प्राधिकरण, राजनांदगांव द्वारा मैसर्स श्री निवास प्रोडक्टस – श्री कमलेश कुमार सिंह को ग्राम– पंडरातराई, तहसील– पुटेरिया, जिला– राजनांदगांव को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की केवल पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेख अनुसार मान्य होगी।

तदनुसार अपर सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग को सूचित किया जाए।

एजेन्डा आइटम क्रमांक–3 — **राज्य स्तर विशेषज्ञ आकलन समिति, छत्तीसगढ़ की 323वीं, 324वीं एवं 325वीं बैठक क्रमशः दिनांक 27/06/2020, 28/06/2020 एवं 29/05/2020 की अनुशंसा के आधार पर गौण खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. मैसर्स श्री आर. अंजुडू मनीराज (पीपरछेड़ी सेण्ड माईन, ग्राम–पीपरछेड़ी, तहसील व जिला–दुर्ग), एच.एम.सी.एल. कॉलोनी, सेक्टर–4, भिलाई, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नक्शी क्रमांक 1031)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 127131/2019, दिनांक 24/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 06/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कथित जानकारी दिनांक 20/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–पीपरछेड़ी, तहसील व जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 502, कुल क्षेत्र क्षेत्र 4.858 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन विन्यास नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवंटित उत्खनन क्षमता–60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 18/01/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्पश्चात **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खदान पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर ऑनलाइन में लेवल के लेण्डस्केप (Levels) नेचर ग्रिड मैप में दर्शाकर कर प्रस्तुत

किये जायें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में फार.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। लिंक मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी इंगित कर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण आघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण आघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रोजेक्ट की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रावधान प्रस्तुत किया जाए।

7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक की उपस्थिति में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 310वीं बैठक दिनांक 05/02/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 05/02/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति की समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक से पूर्व में जारी गई उक्त जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(घ) समिति की 314वीं बैठक दिनांक 26/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रदीप मंडिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित रेत खदान में रेत स्तर के उपलब्ध का सही नहीं होने के कारण से समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रबंधक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रबंधक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ङ) समिति की 318वीं बैठक दिनांक 13/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रबंधक के पत्र दिनांक 12/05/2020 द्वारा सूचना दी गई है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रबंधक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रबंधक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(छ) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 27/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रदीप कुमार माखेल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा चर्चा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परिशीलन करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पीपरतराई का दिनांक 29/07/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – जिलाधिकारी कलेक्टर, खनिज शाखा के पत्र प्रमाण पत्र अनुसार ग्राम खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर वांछित संबंधित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.इ.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक खनि 3281/खनि02/रेत (विकास)/म.क.उ.ख/2019 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 15/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – जिलाधिकारी कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1289/खनि02/खनिज/रेत खदान/2018 दुर्ग,

दिनांक 25/10/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खनन खदानों की संख्या निरंक है।

5. **300 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1071/खनि.02/खनिज/रेत खदान/2018 दुर्ग, दिनांक 25/10/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 300 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं रेल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/015/खनिज/रेत (रिवर बेड)/2018 दुर्ग, दिनांक 03/10/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 02 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2016 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पीपरतराई 0.18 कि.मी., स्कूल ग्राम–पीपरतराई 0.3 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–पीपरतराई 0.38 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.75 कि.मी. दूर है। कुल खदान से 750 मीटर की दूरी पर आरक्षण/टोन्स नहीं स्थित है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिपादित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खनन की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 270 मीटर, न्यूनतम 250 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 525 मीटर, अधिकतम चौड़ाई – 100 मीटर, न्यूनतम 70 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी 30 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की गहराई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 87,120 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान पर योजना में उपलब्ध रेत स्तर की गहराई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 1.8 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **दूर्ग में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. दूर्ग में सरपंच, ग्राम पंचायत पीपरतराई के नाम से रेत खदान पट्टे अंतर्गत क्रमांक 302, क्षेत्रफल 4.856 हेक्टेयर, क्षमता–50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

जिला–दुर्ग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 27/05/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। शर्त आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

iii. कार्यपालन अभियंता (सिंचाई शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 2020/खनि.वि/सिंचा/2020 दुर्ग, दिनांक 29/02/2020 के अनुसार वर्ष 2016–17 में 3,000 घनमीटर एवं 2018–20 में 6,732 घनमीटर उत्खनन किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रबंधक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में उत्खनन नहीं किया गया है।

iv. निर्धारित मानकानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत खनन के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान एवं प्रस्तावित स्थान के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 20 मीटर मुना 25 मीटर के बिंदु बिन्दुओं पर दिनांक 14/02/2020 को रेत स्तर के परिमाण लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें संबंधित विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विवरण में कार्य प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
63.5	2%	1.27	Following activities at Government Primary & Middle School Village-Piparchhedi	
			Rain Water Harvesting System	1.00
			Potable Drinking Water Facility	0.27
			Total	1.27

समिति द्वारा परियोजना प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. रेत उत्खनन नैसर्गिक विधि से पूर्ण भराई का कार्य संबंधित द्वारा प्रस्ताव प्राप्त प्रस्तावित है।

16. परियोजना प्रबंधक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में प्रस्तावित किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी आकलन, कार्य एवं लागत की आकलन का समावेश नहीं किया

गया है। डिजाइन नदी बढ़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में लगभग 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है, लेकिन वर्तमान में खनन क्षेत्र रेत की लंबाई मोटाई 1.8 मीटर है।

समिति द्वारा विचार किये उपरांत कार्यसूची से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (प्राम-पीपलखेड़ी) का रकबा 4.000 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में अधिसूचित/संरक्षित स्थानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान डी-2 श्रेणी की पाई गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रावधानिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,500 नग पौधे – 1,250 नग बबूल के पौधे तथा शेष 1,250 नग (जामुन, करंजा, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त वृक्ष कार्य पर 1,200 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खनन क्षेत्र में आगामी 15 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) कराएंगा ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) द्वारा नदी आकार, रेत उत्खनन का नदी, भूजल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं वृक्ष जीवन पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त की जाये।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर के आयाम (Grid) से किया जाएगा।

   ii. रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह / जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक एवं खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इसी ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के अक्टूबर दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के अप्रैल मई 2020, 2021, 2022 तक कार्यवार डाटा से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को उपलब्ध किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार किये उपरांत कार्यसूची से की ग्राम आड़वू, मनोरगढ़, पीपरछेड़ी रोड़ माईन, पार्ट ओपन खसरा क्रमांक 502, ग्राम-पीपरछेड़ी, तहसील व जिला-दुर्ग, कुल लीज क्षेत्रफल 4.000 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 48,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशिनों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में पानी बहाने का प्रबंध प्रतिबंधित होगा। लीज

क्षेत्र में स्थित उस खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लगातार गहराई तक रेत का परिवहन टैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/08/2020 को संपन्न 36वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि खदान से स्कूल एवं अस्पताल की दूरी 500 मीटर से कम है। अतः स्कूल एवं अस्पताल के आसपास सघन प्लांटेशन परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाए। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा कार्यकारी समिति की अनुशंसा को अंगीकार करते हुए की आम अंडवू कलेक्टर, पीपरछेड़ी सेन्ड माईन, पार्ट खसरा क्रमांक 502, ग्राम-पीपरछेड़ी, तहसील व जिला-दुर्ग, कुल लीज क्षेत्रफल 4.858 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 49,500 घनमीटर प्रतिवर्ष का उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, पांच दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही स्कूल एवं अस्पताल के आसपास सघन प्लांटेशन किये जाने की आवश्यकता को निर्णित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

2. मैसर्स श्री अरविंद कुमार अग्रवाल (कोनारी सेन्ड माईन, ग्राम-कोनारी, तहसील व जिला-दुर्ग), बेल्डा रोड, अहिवारा, तहसील-साजा, जिला-दुर्ग (मंत्रालय का नस्ती क्रमांक 1033)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एम्ब्ज/ 127360/2018 दिनांक 26/11/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में अपूर्ण होने से प्रारूप दिनांक 05/12/2018 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 29/12/2018 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मीन माईनर) है। यह खदान ग्राम-कोनारी, तहसील व जिला-दुर्ग स्थित पार्ट ओपन खसरा क्रमांक 172, कुल लीज क्षेत्र 3.84 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन डिजलाय मशीन से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-65,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा संलग्नित कार्यसूची के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का गिरि प्रमाणित, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्मित किये जावें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) के आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उनकी स्थिति निर्धारण से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खदान पर मौजूदा में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (पिट) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के तट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्षेत्रफल की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो जिस वर्ष में जिस मद उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. खनि निदेशक एवं पर्यावरण प्रभावक का खदान में रेत के लेवलइंग (Levelling) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपलब्ध समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (फोटोग्राफ सहित) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निदेशक एवं पर्यावरण प्रभावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 310वीं बैठक दिनांक 05/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। पर्यावरण प्रभावक के पत्र दिनांक 05/02/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवेदकों कंपनी से समिति की समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि पर्यावरण प्रभावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में मांगी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निदेशक एवं पर्यावरण प्रभावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 314वीं बैठक दिनांक 26/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित रेत खदान में रेत बालू के लेवलइंग का कार्य नहीं होने के कारण से समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक एवं पर्यावरण प्रबंधक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में मांगी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुस्पष्ट जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं पर्यावरण प्रबंधक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(घ) समिति की 53वीं बैठक दिनांक 13/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। पर्यावरण प्रबंधक के पत्र दिनांक 12/06/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवेदनकर्ता ने समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है; अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि पर्यावरण प्रबंधक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में मांगी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुस्पष्ट जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार पर्यावरण प्रबंधक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ङ) समिति की 52वीं बैठक दिनांक 27/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु की गयी अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा मांगी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोनाडी का दिनांक 23/04/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार पट्टा क्षेत्र चिन्हांकित/सीमांकित कर पोलिंग संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (म.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक खनि 9283/खनि 02/रेत (खनन)/म.प्र.318/2019 पत्र रायपुर क्रमांक नगर, दिनांक 15/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1080/खनिज/खनि.02/रेत/2019 दुर्ग, दिनांक 25/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संस्थान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1080/खनिज/खनि. 02/रेत/2019 दुर्ग, दिनांक 25/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे स्कूल, मस्जिद, स्कूल, पुल, बांध, रेलवेलाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/314/खनिज/रेत (रिवर्स बिडिंग)/2018 दुर्ग दिनांक 03/10/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 02 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धनोली 1.8 कि.मी., स्कूल ग्राम–धनोली 1.7 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–धनोली 1.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीयमार्ग 1.85 कि.मी. दूर है। एन्टीकल्ट स्थान से 180 मीटर की दूरी पर अवस्थित है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 450 मीटर, न्यूनतम 250 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 300 मीटर, अधिकतम गहराई – 900 मीटर, न्यूनतम 70 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से किनारे से दूरी अधिकतम 80 मीटर, न्यूनतम 45 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की गहराई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 32,800 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान पर अर्थमास में उपलब्ध रेत सतह की गहराई जानने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र पर 1 गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 1.8 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान एवं प्रस्तावित स्थान के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तथा 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 14/05/2020 को रेत सतह के वास्तविक लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund

		(In Lakh Rupees)		Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Nearby Government School **Village-Piparchhadi**	
			Rain Water Harvesting System	0.30
			Potable Drinking water Facility	0.30
			Running water facility for Toilets	0.10
			Plantation with fencing	0.10
			Total	**0.80**

15. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि –

i. नये Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के अनुसार–

"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (s) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side."

ii. वर्तमान में लीज एरीयाज से 150 मीटर की दूरी पर सीमित है। नये गाइडलाईन अनुसार स्वीकृत रेत खदान के अपस्ट्रीम में एरीयाज से कम से कम 500 मीटर क्षेत्र छोड़ा जाना आवश्यक है। अतः लीज से अतिरिक्त 350 मीटर लंबाई को नेर माइनिंग क्षेत्र घोषित कर गणना उपयुक्त की जानी होगी। स्वीकृत एस.ओ.आई. अनुसार रेत खदान की लंबाई 300 मीटर है। रेत उत्खनन हेतु अतिरिक्त 350 मीटर लंबाई को नेर माइनिंग क्षेत्र घोषित किये जाने पर स्वीकृत एस.ओ.आई. क्षेत्र में रेत उत्खनन के लिए क्षेत्र शेष नहीं होगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–

1. नये Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 अनुसार रेत उत्खनन हेतु अतिरिक्त 350 मीटर लंबाई को नेर माइनिंग क्षेत्र घोषित किये जाने पर स्वीकृत एस.ओ.आई. क्षेत्र में रेत उत्खनन के लिए क्षेत्र शेष नहीं होगा। अतः प्रस्तावित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाना उचित नहीं है।
2. आवेदन को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा केवल में विचार – उपरोक्त प्रकरण का प्राधिकरण की दिनांक 10/06/2020 को आयोजित बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नदी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट/निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

पर्यावरण प्रकोष्ठ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स कुमारी कविता मिश्रा (बरबसपुर सैण्ड माईन), ग्राम–बरबसपुर, तहसील–नवागढ़, जिला–बालोद (पूर्व–दुर्ग), ग्राम–अर्जुन्दा, तहसील–नवागढ़, तहसील व जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नवीन क्रमांक 1183)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपत्र – एक्सटेंशन/ सीजी/ एक्सटेंशन/ 143604/2020, दिनांक 15/02/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से प्रारम्भ दिनांक 22/02/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परिवेशीय प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 28/02/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मीन माईनर) है। यह खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील–नवागढ़, जिला– बालोद–बोरिया–बोरसी स्थित खसरा क्रमांक 564, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन हस्तचालित नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित खनन क्षमता–49,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित घाट के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर चौड़ा 25 मीटर का गिरि बनाकर, वर्तमान में रेत घाट के लेंगथवाइज Levels लेंगथ साइज मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (बैंक्स लाइन) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी घाट के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जावे। उपरोक्त लेंगथवाइज Levels हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में लाटएल, को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। साइट प्लान में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उसे वास्तविक धरातल में प्रमाणीकरण उपरांत परिवेशीय वांछित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

3. नदीघाट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुल क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उपरोक्त गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से किया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र की मौके पर वास्तविक विभाग से सीमांकन कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि सीमा क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त कारण से खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, तत्पश्चात मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।

6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर अर्थमूव मशीनरी से उत्खनन रेत की गहराई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी फोटोग्राफिक गहराई का आकलन कर, खनिज विभाग के प्रमाणित फोटोग्राफ प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अनुषंगिक शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावित की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि उत्खनन पूर्व में संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग के प्रमाणित कथन कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक की सहमति से रेत के लेवल (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आपसी मात्रा की आवश्यकता के अनुसार समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (नक्शा-फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 27/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पवन कुमार सिंह अधिवक्ता उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बलरामपुर का दिनांक 27/02/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **संरक्षण योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि शाखा), जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 547/खनि-क/2020 कोरबा, दिनांक 13/02/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक 3086/ख.नि./रेत/2019-20, जांजगीर, दिनांक 13/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक 3084/ख.नि./रेत/2019-20, जांजगीर, दिनांक 13/02/2020 के द्वारा जारी प्रमाण पत्र

अनुसार खनन खदान से 300 मीटर की परिधि में मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं रेल कार्यालय आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **एस.डी.आई. का विवरण** – एस.डी.आई. कार्यालय कलेक्टर (डिजिटल सर्वेक्षण), जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक 3869/पीएम एनिव/सीएसपी/एस.डी./2020, जांजगीर, दिनांक 25/01/2020 द्वारा जारी की गई जिसकी अवधि 2 वर्ष शेष है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर-चांपा वनमण्डल, चांपा के ज्ञापन क्रमांक 640/सी/10080 चांपा, दिनांक 30/11/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि वन क्षेत्र की सीमा से 12.7 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्धारित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-बरबसपुर 0.425 कि.मी., तैलीमिक शाला बरबसपुर 0.32 कि.मी. एवं अस्पताल बोधा 17 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.45 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16.8 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित रेत खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

10. **पर्यावरणीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्ताव द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 780 मीटर, न्यूनतम 740 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 300 मीटर, औसतन चौड़ाई – 168.67 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी अधिकतम 210 मीटर, न्यूनतम 160 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4.15 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 85,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर सर्वेक्षण में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 6 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, तकनीक विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसकी अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 4.15 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु ड्रेजिंग भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण** – इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेनदृश्य** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल की चारों तरफ 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 20/01/2020 को रेत सतह के वर्तमान

लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें समेत विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत पर्यावरणीय सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विभाग से सभी उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
56.5	2%	1.13	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Barbaspur	
			Rain Water Harvesting System	1.45
			Plantation	0.10
			Total	1.55

16. रेत उत्खनन निम्नवत विधि से एवं मात्रा का कार्य लोकल द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. पर्यावरण प्रभावांकन द्वारा 5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मानी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी जानकारी का समावेश नहीं किया गया है। उक्त क्षेत्र नदी बही नदी है तथा इसमें पर्यावरण में उत्खनन 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार किया उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में केन्द्रीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान सी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **पुनर्वासन कार्य** – प्रस्तावित के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 750 नग आंवला के पौधे तथा शेष 750 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 250 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. पर्यावरण प्रभावांकन में खदान क्षेत्र से आसपास 1.5 वर्ष में विस्तृत सर्वे अध्ययन (Station Study) कराकर, वार्षिक रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही जानकारी, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, भू-जल, वनस्पति, जीव एवं मृदा जीवों पर प्रभाव तथा नदी की पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त की जाये।

4. **लीज क्षेत्र की सड़क का वैज्ञानिक डाटा –**

i. रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर तक तथा मानव लीज के बाहर / नदी तट (दोनों छोर) से 500 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भरे पूर्व निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर किया जायेगा।

ii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं लीज बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य अगामी 3 वर्ष तक नियत किया जायेगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा निस्तार विभाग उपखंड कांकेरलंका के खुसरी कालिया लिफ्ट, बरबसपुर बैरक माईनर, खसरा क्रमांक 554, ग्राम-बरबसपुर, तहसील-नवागढ़, जिला-बालोद-छत्तीसगढ़, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशीनों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में जिस रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में अधिक पानी तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जायेगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – पर्यावरण प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/06/2020 को संपन्न ऑनलाईन बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नदी का अवलोकन किया गया। विचार निर्णय उपरांत प्राधिकरण द्वारा कांकेरलंका से समिति की अनुशंसा की समीक्षा करते हुये खुसरी कालिया लिफ्ट, बरबसपुर बैरक माईनर, खसरा क्रमांक 554, ग्राम-बरबसपुर, तहसील-नवागढ़, जिला-बालोद-छत्तीसगढ़, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्तावित प्रस्ताव को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

4. मेसर्स श्री शक्तिकुंज उपखण्ड (टेकरी बैरक माईनर, ग्राम-टेकरी, तहसील-कांकेर, जिला-कांकेर-छत्तीसगढ़), ग्राम-नैला, तहसील-कांकेर, जिला-कांकेर-छत्तीसगढ़ (सीमांकन का नक्शा क्रमांक 5216)

ऑनलाईन आवेदन –प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी/ एमआईएन/ 146-882 / 2020 दिनांक 28/02/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मीनर क्वारिज) है। यह खदान ग्राम-टेकरी, तहसील-कांकेर, जिला-कांकेर-छत्तीसगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 786, कुल लीज क्षेत्र 3.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन डंपर्स मशीनों से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवंटित उत्खनन क्षमता-32,725 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 08/05/2025

समिति द्वारा प्रकरण की गहनी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपलब्ध सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड कन्फिगर, सीमान्त में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाय। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी पाट के सतही (Levels) का भी सर्वे किया जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावे। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में कार्ट्स, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावे। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उसे खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफ सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जावे।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना सम्भव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माइनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को सीमें पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं अन्य आधुनिक संरचना की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि खनन क्षेत्र उपर्युक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपलब्ध आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका सीमें पर सीमांकन तथा माइनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मात्रा जानने के लिए प्रति हेक्टेयर के कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्मति निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मति निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों एवं अतिरिक्त शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पूर्वानुमत की खदान स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रबंधक को खदान में रेत के लेवल (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आपेक्षित तैयारी में उपयोग समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (प्रमाण फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रबंधक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 327वीं बैठक दिनांक 27/05/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की सविस्तृत तथ्यात्मक, प्रीफीजिबिलिटी उपस्थित हुए। समिति द्वारा मांगी प्रस्तुत जानकारी का आलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न कमियाँ पाई गई –

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत देवरी का दिनांक 30/07/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार पट्टा खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम पंचायत, जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 087/खनि-6/2020 कोरबा दिनांक 24/02/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित भवन** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक 3148/खनि/रेत/2019-20, जांजगीर, दिनांक 20/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक 3148/खनि/रेत/2019-20, जांजगीर, दिनांक 20/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, आंगनवाड़ी, स्कूल, कुआं, क्रेशर, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं उच्च आबादी आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एन.ओ.आई.सी. का निबंधन** – एन.ओ.आई.सी. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक 2909/मीनल खनिज/नीलामी/न.क. 2020 जांजगीर, दिनांक 31/01/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर-चांपा वनमण्डल, चांपा के ज्ञापन क्रमांक 1067/खनि/1087क चांपा, दिनांक 30/11/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि वन क्षेत्र की सीमा से 0.06 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण सरकारी की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–देवरी 0.5 कि.मी., राजकीय स्कूल ग्राम–देवरी 1.8 कि.मी. एवं आरक्षित वाच 12.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.85 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6.1 कि.मी. दूर है। अधिसूचित रेल सेक्शन से 1 कि.मी. की दूरी तक कुछ / एनीकट स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 400 मीटर, न्यूनतम 240 मीटर तथा खनन स्थल की लम्बाई – 300 मीटर, अधिकतम चौड़ाई – 118.47 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी अधिकतम 70 मीटर, न्यूनतम 50 मीटर है।

12. **खनन स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.1 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.1 मीटर बताई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 39,725 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का भान कर माईनिंग विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.1 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचायत भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**–

   i. पूर्व में राजस्व ग्राम पोखरना देवरी के पास से रेत खनन खसरा क्रमांक 788 क्षेत्रफल 2.025 हेक्टेयर, क्षमता–29,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण आकलन निर्देशन प्राधिकरण, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18/10/2018 के द्वारा जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। शपथ अवधान रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 317/खनि./न.अ./2020 जांजगीर, दिनांक 22/06/2020 के अनुसार वर्ष 2016–17 में 800 घनमीटर, 2017–18 में 900 घनमीटर एवं 2018–19 में 8,800 घनमीटर उत्खनन किया गया है।

   iv. निर्धारित मानकानुसार प्रकाशित नहीं किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलिंग** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25

मीटर मुताबिक 25 मीटर के हिस्से बिन्दुओं पर दिनांक 15/02/2020 को मैप स्थल के माध्यम लेवलिंग (Levels) लेकर, उनसे सम्बन्धित विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत कंटोरेशनल सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15 **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
28.53	2%	0.57	Following activities at Newly Government Primary School Village-Deori	
			Rain Water Harvesting System	1.06
			Running Water Facility for Toilets	0.10
			Plantation	0.05
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.05
			Total	1.26

16 मैप अवलोकन मैनुअल विधि की एवं भराई का कार्य लीज द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17 परिवेशगत प्रस्तावक द्वारा 1.1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी आंकलन कार्य एवं उपलब्धी प्रोग्राम का समावेश नहीं किया गया है। इसमें नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षोपरांत में औसतन 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार किया उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. आवेदित खदान (ग्राम–देवरी) का रकबा 3.5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक कम होने के कारण यह खदान सी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रावधिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,000 नग पौधे – 1,000 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,000 नग (आमला, करंज, बांस, जाम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 1,000 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खनन क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गहन अध्ययन (Satation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) तथा नदी क्षेत्रों, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूरे खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 मुख्य 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।

   ii. रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह / जून) में भूमिगत लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर नदी सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एन.ई.आई.ए.ए. प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री शशिकमार उपाध्याय, देवरी रोपड़ माईन, खसरा क्रमांक 788, ग्राम–देवरी, तहसील–कालेडा, जिला–जांजगीर–चांपा, कुल लीज क्षेत्रफल 3.5 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 32,725 घनमीटर क्षमता रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जायेगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी उत्खनन का प्रयोग प्रतिबंधित होगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई पाइंट (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रेक्टर ट्रॉली द्वारा किया जायेगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/06/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नदी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री शशिकमार उपाध्याय, देवरी रोपड़ माईन, खसरा क्रमांक 788, ग्राम–देवरी, तहसील–कालेडा, जिला–जांजगीर–चांपा, कुल लीज क्षेत्रफल 3.5 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 32,725 घनमीटर क्षमता रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

8. मैसर्स बीकानेरी मावण सर्वा (एम–1 कैराकलार सोन्ड माईन, ग्राम–कैराकलार, तहसील–कलेरा, जिला–जालौर–सांचौर), स्थित दुर्गा बीकर, डायमिंग कोर्ड सहदू, रामपुर, जिला–रामपुर (लघिकालय का नवमी क्रमांक 1200)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एमआईए /सीजी /एमआईएन / 144611/2020, दिनांक 21/02/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियों होने के कारण दिनांक 28/02/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मीनर लीज) है। यह खदान ग्राम–कैराकलार, तहसील–कलेरा, जिला–जालौर–सांचौर स्थित खसरा क्रमांक 878, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन सरहद नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आंकलित उत्खनन क्षमता–1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपलब्ध **सर्वसम्मति के निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र एवं प्रस्तावित क्षेत्र के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर की पूरी रोड, 25 मीटर चौड़ा 26 मीटर का पिट ग्रन्थापर, वर्तमान में रेत खनन की लेवल्स (Levels) लेकर पिट मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावे। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जावे। रोड लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 3 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। पिट मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें चिह्नित किसान से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
3. नदीतट से खनन की सीमा की पूरी न्यूनतम 50 मीटर का नदी के घाट की चौड़ाई का 50 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इससे अनुसार खनन की कुल क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर चिह्नित किसान से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित खनन से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की पूरी बारे जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की पूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार पूरी के अंदर स्थित हो, तो उपलब्ध आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर, मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बारे उल्लेख किया जाए।

8. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर गठेमान में उपलब्ध रेत की मात्रा आंकने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

9. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर पर्यावरण सम्बन्धित निर्णय प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्बन्धित निर्णय प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्षेत्रफल की वर्तमान स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रावधान प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं पंजीयित प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलिंग (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ खदानी क्षेत्र की आवश्यक डेटाबेस में उपयोग समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (आधार फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं पंजीयित प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 27/06/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की गयी प्रार्थना, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अध्ययन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन की संबंध में ग्राम पंचायत बीरकछार का दिनांक 09/03/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर सहित है।

3. **उत्खनन योजना** – माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रदा.), जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 661/खनि-6/2020 कोरबा, दिनांक 17/02/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक 3088/खनि/रेत/2019-20 जांजगीर, दिनांक 14/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक 3088/खनि/रेत/2019-20 जांजगीर, दिनांक 14/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र

अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एस.डी.आई. का विवरण** – एस.डी.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जालौर द्वारा के ज्ञापन क्रमांक 2807/मीन खनिज/नीलामी/ए.के./2020 जालौर, दिनांक 31/07/2020 द्वारा जारी की गई निलामी अवधि 6 माह हेतु किया है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जालौर–सांचौर वनमण्डल, जालौर के ज्ञापन क्रमांक एफ.डब्लू./1087 जालौर, दिनांक 30/11/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित भूमि डम्प क्षेत्र की सीमा से 3.48 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्धारित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–केसरपाल 1.53 कि.मी., स्कूल बालोदा 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित रेत खदान की 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 1600 मीटर, न्यूनतम 1038 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 415 मीटर, अधिकतम चौड़ाई – 118 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी अधिकतम 280 मीटर, न्यूनतम 208 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की गहराई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 4 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान से माईनेबल रेत की मात्रा – 1,00,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर जांचान में उपलब्ध रेत सतह की गहराई ज्ञात करने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 4.15 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंजीयन भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के जलस्तर** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 40 मीटर मुख्य 40 मीटर के तीन बिन्दुओं पर दिनांक 08/02/2020 को रेत सतह

के अधिकतम संतरण (Levels) तथा उनके सापेक्ष विवरण से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/04/2014 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
37.5	2%	0.75	Following activities at Nearby Government Primary School **Village-Kerakachhar**	
			Rain Water Harvesting System	1.50
			Potable Drinking water Facility	
			Running water facility for Toilets	
			Plantation	
			Total	**1.50**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि अपने निवेशन के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

16. रेत उत्खनन निर्धारित तिथि से एवं गहराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 4 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। इसलिए नहीं बढ़ी नदी है तथा इसमें पर्याप्त मात्रा में लगभग 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-केराकाछार) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **पुनर्वास कार्य** – प्रस्तावित्ता के आधार पर नहीं गए पर कुल 1,500 नग पौधे – 150 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 250 नग (आमुन, करंजे, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त वृक्ष कार्य पर 250 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत जल अध्ययन (Siltation Study) कराकर, वार्षिक रेत के पुनर्भरण (Replenishment) कराकर नहीं

आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त की सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का केलाइन डाटा –**

i. परिसीमन प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर के ग्रीडवार (Grid) में किया जाएगा।

ii. रेत खनन के उपरान्त मानसून के पूर्व (सर्वे माह के अंतिम सप्ताह/जून) में माइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित फिक्स बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं फिक्स बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित फिक्स बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का सर्वे अगामी 5 वर्ष तक नियमित किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार किया गया उपरांत कार्यसूची के श्रीमती भावना शर्मा, एम-1 केलाखार मंगड़ माईन, खसरा क्रमांक 82/2, ग्राम-केलाखार, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग साईट तक रेत का परिवहन ट्रेक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/06/2020 को ऑनलाइन बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा कार्यसूची के समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्रीमती भावना शर्मा, एम-1 केलाखार मंगड़ माईन, खसरा क्रमांक 82/2, ग्राम-केलाखार, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परिसीमन प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

8. मैसर्स श्री सुनील कुमार चन्द्रा (पी–2 नांजरसकुई सेण्ड माईन, ग्राम–नांजरसकुई, तहसील–उमरठ, जिला–जावरसिंह–छोंदा), तहसील–उमरठ, जिला–जावरसिंह–छोंदा (संचालक का नवीन क्रमांक 1287)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपत्रक नवीन – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 149475 / 2020, दिनांक 17 / 03 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मेजर मिनरल) है। यह खदान ग्राम–नांजरसकुई, तहसील–उमरठ, जिला–जावरसिंह–छोंदा स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। प्रस्तावक महावरी से लिए अपना प्रस्तावित है। खदान की अनुमानित उत्खनन क्षमता–1,01,250 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 06 / 2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार उपरान्त **कार्यसूची के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अपर्यावरणीय मेजर सहित) की स्पष्ट / पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान एवं प्रस्तावित स्थान के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर दूरा 25 मीटर का फिश बोन्स, अंकित में रेत स्तर के लेवल्स (Levels) लेकर लिंक मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाएं। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तल के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Designated TBM structure) निर्धारित किये जाने। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाएं। लिंक मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उनके खनिज विभाग से प्रमाणीकरण प्रमाण फोटोग्राफ सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
4. पहाड़ी से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 50 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसमें प्रस्तावित खदान के मुख्य क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर नक्शे पर दर्शाकर, इसका नक्शेवार माईनिंग प्लान में अलग से कवरेज जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नीले पर खनिज विभाग के सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
5. प्रस्तावित स्थान से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, नक्शा नीले पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, सहित विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

7. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अभिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही खदान की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

8. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो जिसके द्वारा किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी सहित विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत की लेवल (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आपसी मेल की आवश्यकता वैधक में उपलब्ध समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (प्रमाण कागजात) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 27/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुनील कुमार चन्द्रा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सिलतरा का दिनांक 11/08/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, सहित रायपुर से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि, प्रशा.), जिला-बलौदा के ज्ञापन क्रमांक 820/खनि-6/2020 बलौदा, दिनांक 09/03/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – अपर कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक 3485-4/ख.नि./रा/2019-20 जांजगीर, दिनांक 07/03/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक केंद्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक 3485-2/ख.नि./रेत/2019-20 जांजगीर, दिनांक 07/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र

अनुसार नक्शा खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. आर्डनेंस फैक्टरी (सतित्र) जबलपुर, जिला–जबलपुर (म.प्र.) के ज्ञापन क्रमांक 2865/पीएम एनीपिए/पीएमपी/एल.ओ./2020 जबलपुर, दिनांक 25/07/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जबलपुर–पश्चिम वनमण्डल, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ.ओ./10667 ओएम, दिनांक 30/11/2016 की जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि एवं क्षेत्र की दूरी 30 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्धारित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–खुरपटरी 1 कि.मी., रहुल ग्राम–खुरपटरी 1.4 कि.मी. एवं अन्यतम ग्राम 1.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30.9 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.85 कि.मी. की दूरी पर है। प्रस्तावित रेत खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवभौगोलिक संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अधिसूचित वीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या संरक्षित जैवभौगोलिक क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 498 मीटर, न्यूनतम 470 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 360 मीटर, औसतन चौड़ाई – 159.89 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से परिधीय विस्तार से दूरी अधिकतम 80 मीटर, न्यूनतम 47 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4.44 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.25 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,01,250 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर कॉलम में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का आकलन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 4.4 मीटर है। रा० को वास्तविक गहराई हेतु पर्याप्त भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत संग्रह के जैवमास** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर चौड़ा 25 मीटर के बिन्दु बिन्दुओं पर दिनांक 14/02/2020 को रेत संग्रह

के कार्यक्रम लेवल (Level) लेकर, उनी उल्लेख विषय से प्रमाणीकरण एवं प्रस्ताव संलग्न सहित आवश्यकी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के सी.एस. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) नियम समिति के समक्ष विचार के बाद उपरोक्त निम्नानुसार विवरण प्रकरण प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
61.93	2%	1.23	Following activities at Nearby Government Middle School Village- Manjarkhurd	
			Rain Water Harvesting System	0.82
			Potable Drinking water Facility	0.20
			Running water facility for Toilets	0.10
			Plantation	0.10
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.05
			Total	1.27

16. रेत उत्खनन पेनुब्रत रिपोर्ट में एट भराई का कार्य लीजधारक द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. पर्यावरणीय प्रबंधक द्वारा 2.26 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वर्षाकि रेत पुनःभरण संबंधी उपचारात्मक कार्य एवं सहायकी जानकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। गहराई बढ़ी गयी है तथा इतनी गहीकरण में लगभग 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार निर्णय उपरांत कार्यवाही के निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. आवेदित खदान (ग्राम–मांजरखुर्द) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रावधानिता के आधार पर भरी हुए पर कुल 1,800 नग पौधे – 800 नग आंवला के पौधे तथा शेष 800 नग (जामुन, कटहल, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) कराकर, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाधा नहीं आकर, रेत उत्खनन का नदी, वनस्पति, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं वन्य जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 मुना 25 मीटर के अन्तराल (Grid) में किया जाएगा।

   ii. रेत खनन के उपरान्त मानसून के पूर्व (नई माह के अंतिम सप्ताह / जून) में खाईनिम लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित बिन्दु बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारम्भ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं बिन्दु बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित बिन्दु बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अप्रैल 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा जिला बिलासपुर उपखण्ड कोटा के श्री सुनील कुमार चन्द्रा, पी–3 मांजरसुई सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 61, ग्राम–मांजरसुई, तहसील–कोटा, जिला–बालोद–धमतरी, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई कामिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में पानी बहाली का प्रवाह प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र से निकाले रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/06/2020 को सम्पन्न 344वी बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नदी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा कार्यसूची में समिति की अनुशंसा को सीमित करते हुये श्री सुनील कुमार चन्द्रा, पी–2 मांजरसुई सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 61, ग्राम–मांजरसुई, तहसील–कोटा, जिला–बालोद–धमतरी, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

7. केसर्स श्री सुनील कुमार पन्चा (बी–1 खुरपदटी सेण्ड माईन्स, ग्राम–खुरपदटी, तहसील–कमल, जिला–जांजगीर–चांपा), तहसील–कमल, जिला– जांजगीर–चांपा (सलियालय का नगरी क्रमांक 1266)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 141480 / 2020, दिनांक 17 / 03 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मीन माईनर) है। यह खदान ग्राम–खुरपदटी, तहसील–कमल, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 147, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता–1,01,250 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 82वीं बैठक दिनांक 18 / 05 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण एवं तत्पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान एवं प्रस्तावित स्थान के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, चौपन में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 500 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के लेवल्स (Levels) का भी कार्य किया जावे। प्रकार लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 3 टेम्पलेट बेंच मार्क (Cumulated TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) के आर.एल. को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उनके अंकित विवरण से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

3. नदीतल से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शा में दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से किया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर अंकित निशान से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थान से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बिन्दु का उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर, उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, अंकित विवरण से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक मात्रा हेतु गणना भी प्रस्तुत किया जावे।

6. यदि भूमि में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्मति निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मति निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही खदान की वर्तमान स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो निकाय पर्ची में दिए गए लायसेन्स की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आवंटित तिथि में आवश्यक समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (प्रमाण कोटेशन्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्रांक दिनांक 25/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(अ) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 27/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु की सूचित कुटुम्ब बन्धु, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनके द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खुरसुली का दिनांक 26/02/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **निस्तारित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान निस्तारित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 800/खनि–8/2020 कोरबा दिनांक 09/03/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 3491/ख.नि./रेत/2019-20 जांजगीर, दिनांक 07/03/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 3492/ख.नि./रेत/2019-20 जांजगीर, दिनांक 07/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एस.डी.आई. का विवरण** – एस.डी.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बालोद मांग के ज्ञापन क्रमांक 2863/सील खनिज/सीलएमी/एक्स./2020 बालोद, दिनांक 25/01/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **वन विभाग का अस्थायी प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बालोद–मांग वनमण्डल, बालोद के ज्ञापन क्रमांक एफ.सी./10888 मांग, दिनांक 30/11/2019 को जारी अस्थायी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि वन क्षेत्र की सीमा से 35 मि.मी. की दूरी पर है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संस्थानों की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बुलारादी 0.21 कि.मी., शासकीय स्कूल बुलारादी 0.88 कि.मी. एवं अस्पताल अम्बा 4.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.45 कि.मी. की दूरी पर है। प्रस्तावित रेत खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – पर्यावरण प्रबंधन द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के तट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 400 मीटर, न्यूनतम 320 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 380 मीटर, औसतन चौड़ाई – 131.66 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से पश्चिमी किनारे से दूरी अधिकतम 60 मीटर, न्यूनतम 32 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की गहराई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4.43 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.25 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनेबल रेत की मात्रा – 1,01,250 एम.सी.एम. है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर माइनिंग से उपलब्ध रेत भण्डार की भराई जाने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उनकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 4.43 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**–

    i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत बुलारादी के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 147, क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर, क्षमता–1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु राज्य स्तर पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 08/10/2015 के द्वारा जारी दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। गत अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 316/ख.नि./ग.अ./2026 जांजगीर, दिनांक 22/05/2026 के अनुसार वर्ष 2015–16 में 30,000 घनमीटर एवं 2016–17 में 21,300 घनमीटर उत्खनन किया गया है।

iv. निर्धारित मानकानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत भण्डार के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र एवं प्रस्तावित खदान के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 28 मीटर कुल 28 मीटर के गिरि डिपुजर पर दिनांक 14/02/2026 को रेत भण्डार के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उनके आधार पर प्रस्तावित उत्खनन योजना कोटेशन सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – माननीय कलक्टर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2026 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु राशि के व्यय विवरण के मदों अथवा निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
64.13	2%	1.28	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Manghidara (Khurghati)	
			Rain Water Harvesting System	1.18
			Plantation with fencing	0.10
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.05
			Total	1.33

16. रेत उत्खनन नियमित विधि से एवं मशीन का प्रयोग नहीं कर हाथ द्वारा उत्खनन कार्य प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.25 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण तकनीकी अध्ययन करने एवं संबंधित आंकड़ों का समावेश

नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्तमान में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तावित खदान (ग्राम-खुरपाटुटी) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में संरक्षित/संवेदनशील क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रावधानिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 3,000 नग पौधे – 1,500 नग करंजुन के पौधे तथा शेष 1,500 नग (जामुन, कर्रोन, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 700 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माप अध्ययन (Detailed Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाधित नहीं होवे, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं भूमि पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 मुना 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।

   ii. रेत खनन के उपरांत मानसून की पूर्व (नई सतह की अंतिम सप्ताह / जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के सभी (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित रिफ्ट बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं रिफ्ट बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित रिफ्ट बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अप्रैल 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री सुनील कुमार पण्डा, पी-1 खुरपाटुटी सैण्ड माईन, खसरा क्रमांक 187, ग्राम-खुरपाटुटी, तहसील-कसडोल, जिला-बालोद-बोर्ड, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग साईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/05/2020 को आयोजित 322वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा कार्यसूची में अंकित की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए की मुनीम कुमार पत्नी, पी–1 खुरपरदी सेन्ड माइन्स, खसरा क्रमांक 142, ग्राम–खुरपरदी, तहसील–शमशु, जिला–जोधपुर–रांका, कुल क्षेत्र संपूर्ण 2 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

8. मैसर्स श्री मुनीम कुमार खण्डेलिया (पत्र–1 करोलीछोटी सेन्ड माइन्स, ग्राम–करोलीछोटी, तहसील–मण्डलगढ़, जिला–भीलवाड़ा), किशोरीनारायण रोड, अजमेर, जिला–अजमेर राजा (कार्यालय का नस्ती क्रमांक 1215)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपत्रवार नम्बर – एमआईए / सीजी /एमआईएन / 146218/2020, दिनांक 28/02/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह पट्टाधारित रेत खदान (मीन माईनर) है। यह खदान ग्राम–करोलीछोटी, तहसील–मण्डलगढ़, जिला–भीलवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 409, कुल क्षेत्र क्षेत्र 4.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मशीनरी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता–99,200 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात **कार्यवृत्ति में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था**–

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पार की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान एवं प्रस्तावित स्थान के अवस्थिति तथा आवश्यकतानुसार 100 मीटर की दूरी तक, 20 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, ग्रिडिंग में रेत सतह के उच्चतम (Levels) लेकर ग्रिड मैप में दर्शाते हुए प्रस्तुत किये जावे। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जावे। सतह लेवल (Levels) हेतु ग्राम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Converted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उनके सहित विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जावे।
3. मशीनरी से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पार की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (इसे भी अधिक की) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुल क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर सक्षम विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित खदान से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर तक होना आवश्यक है। यदि जीव क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपलब्ध आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर नक्शा सीधे पर सीमांकन तथा साइनेज लगाने में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान पर नर्मदा में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का आकलन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किया जाए।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण आघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण आघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अभिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पूर्वावेदन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2014 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान से रेत के लेवेलाइज (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आवंटित क्षेत्र में संपरीक्षा सहित भूवैज्ञानिक जानकारी / प्रस्तावित (प्रस्ताव फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 29/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 223वीं बैठक दिनांक 27/05/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की पश्चात बैठक अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोसली(प्रोटो) का दिनांक 28/08/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **विस्थापित/पीएपी** — कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विस्थापित/पीएपी कर्मित है।

3. **उत्खनन योजना** — साइनेज प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी (खनिज शाखा), जिला–रा.म. कार्यालय के द्वारा क्रमांक 1025/खनिज/राज.सी. अनु./रेत/2019-20 कार्यालय दिनांक 27/02/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–पन्नाली के ज्ञापन क्रमांक 305 पन्नाली, दिनांक 19/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 04 खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–पन्नाली के ज्ञापन क्रमांक 304 पन्नाली, दिनांक 19/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एयरपोर्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–पन्नाली के ज्ञापन क्रमांक 123/खनिज/निविदा/2020 पन्नाली, दिनांक 28/01/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्गत प्रपत्र में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सीलदीह 0.6 कि.मी., सार्वजनिक स्कूल एवं सार्वजनिक अस्पताल ग्राम–कोदेनीगोटी 1.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. दूर है। रजिस्ट्रार ऐरा खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एयरपोर्ट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – पर्यावरण प्रबंधक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, कन्जर्वेशन प्रस्तावित निर्माण बाई द्वारा घोषित विरासती भौगोलिक एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 1020 मीटर, न्यूनतम 895 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 285 मीटर, अधिकतम चौड़ाई – 190 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के उत्तरी किनारे से दूरी अधिकतम 220 मीटर एवं दक्षिणी किनारे से दूरी अधिकतम 165 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनेबल रेत की मात्रा – 88,200 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर क्रमशः में उपलब्ध रेत मात्रा की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उपलब्ध वास्तविक गहराई का आकलन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित प्रमाणपत्र प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 5 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु परामर्श की प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**–

    i. पूर्व में कलेक्टर, ग्राम पंचायत कर्रेली(प्रोटो) के नाम से रेत खदान पट्टा अवधि खनन प्रमाण 410, क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर, क्षमता–30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु राज्य स्तर पर्यावरण मूल्यांकन निर्देशन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28/11/2018 के द्वारा जारी विभाग से 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ अवलोकन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

iii. कार्यपालन अभियंता (खनिज शाखा) जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 716/खनिज/वि/2020 धमतरी, दिनांक 16/06/2020 के अनुसार वर्ष 2015-16 में 19,642 मा.मी.टन एवं 2016-17 में 32,780 मा.मी.टन उत्खनन किया गया है।

iv. निर्धारित मार्गानुसार प्रस्तावित नहीं किया गया है।

12. **खदान क्षेत्र में रेत मठ्ठा के लेआउट** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र एवं प्रस्तावित मठ्ठा के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर मुख्य 25 मीटर के जिक जिन्दुली पर दिनांक 14/02/2020 को रेत मठ्ठा के सीमांकन लेआउट (Layout) लेकर, वन्ट खनिज विभाग के प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के सी.एस. दिनांक 01/09/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
41.3	2%	82.6	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Karelichhoti	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Potable Drinking water Facility	0.18
			Running water facility for Toilets	0.17
			Plantation with fencing	0.25
			Total	1.00

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाय।

15. रेत उत्खनन मैनुअल दिशा से एवं भवाई का कार्य लीज द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन करने एवं तत्संबंधी बाधाओं का समावेश नहीं किया गया है। भविष्यवाणी बढ़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में लगभग 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. अभेदित खदान (ग्राम-कोटीकोटी) का रकबा 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों का कुल क्षेत्रफल 9 हेक्टेयर से अधिक कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,500 नग पौधे – 1,250 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,250 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक ऐसे खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत पाट सर्वेक्षण (Station Study) करवायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय पारिस्थितिकी, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का केसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन की अनुमति मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) में लाईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खदान लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सभी पूर्व निर्धारित सिंक बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (सिंक उत्खनन प्रारंभ करने से पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं सिंक बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित सिंक बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अप्रैल 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री सुनील कुमार खण्डेलिया, ग्राम-1 कोटीकोटी, तेह. माहुन, जिला प्रयागराज 408 ग्राम-कोटीकोटी, तहसील-मांडा, जिला-प्रयागराज, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रहते हुए, कुल 12,500 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से छः वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जायेगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/06/2020 को संपन्न 322वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विषय विषयों उपरांत प्राधिकरण द्वारा कार्यसूची में समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए श्री सुनील कुमार जायसवाल, ग्राम–5 कोरोनीकोरी सेन्ड माईन, खसरा क्रमांक 426, ग्राम–कोरोनीकोरी, तहसील–मनपुरोड़, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्रफल 4.8 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 33,500 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

पर्यावरण प्रस्ताव की पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

9. गिरधर श्री दीनक सिंह राजपूत (कोरोनीकरी सेन्ड माईन, ग्राम–कोरोनीकरी, तहसील–मनपुरोड़, जिला–दुर्ग) सेक्टर–5, सिविक सेंटर, भिलाई, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1220)

ऑनलाईन आवेदन – प्रकरण नम्बर – एमआईए / सीजी / एमआईए / 140726/2020, दिनांक 02/03/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मीनर मिनिरल) है। यह खदान ग्राम–कोरोनीकरी, तहसील–मनपुरोड़, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मशीनरी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–34,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था**–

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, कॉलम में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के कोर्ट (Levels) का भी कार्य किया जावे। जनरल लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आरएल, को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उनके स्थानिक विस्तार से प्रस्तावित उपयोग कोऑर्डिनेट्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 50 मीटर का नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उपरांत मानचित्र कर नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख एप्रूव्हिल प्लान में अतिरिक्त कॉलम में कराया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर स्थानीय विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो खनिकर्म अथवा पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र का आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर खनन में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु नक्शा भी प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/09/2018 के अनुपालन सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परिचालन प्रबंधक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध समस्त सूचनाएं जानकारी / प्रमाणपत्र (प्रमाण फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरानुसार खनि निरीक्षक एवं परिचालन प्रबंधक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 27/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु की अवधारित सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोरोंडीबंदी का दिनांक 26/03/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित मय खंभित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी (खनिज शाखा), जिला-बालोद, कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 1112/खनिज/उपखं.मजि./अनु./रेत/2019-20 क्रमांक, दिनांक 27/02/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–पलामू के ज्ञापन क्रमांक 385 पलामू, दिनांक 25/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आसपास अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–पलामू के ज्ञापन क्रमांक 387 पलामू, दिनांक 25/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, डोर एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि अधिसूचित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–पलामू के ज्ञापन क्रमांक 142/खनिज/रिविजा/2019 पलामू, दिनांक 30/01/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अनेनीयाडी 0.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–अनेनीयाडी 0.95 कि.मी. एवं अस्पताल कुरूंद 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **वातिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परिक्षेत्रवार प्रमाणपत्र द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, वातिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 350 मीटर, न्यूनतम 270 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 280 मीटर, औसतन चौड़ाई – 178.21 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी अधिकतम 120 मीटर, न्यूनतम 82 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4.1 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 84,830 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान पर उपलब्ध में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई आकलन के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उनकी वास्तविक गहराई का आकलन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 4.2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु विभाग की प्रस्तुत किया गया है।

12. **भूमि में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**–

   i. भूमि में खसरा, ग्राम बनगाव अनेनीयाडी के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 01, औसतन 6 हेक्टेयर, क्षमता–82,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, झारखण्ड द्वारा

पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/04/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

iii. जनपदीय कलेक्टर (खनिज शाखा), पिता-बपारी के द्वारा क्रमांक 582/खनिज/उ0ख0/मा0/2020 बपारी, दिनांक 20/05/2020 के अनुसार वर्ष 2016-17 में 19,638 घनमीटर, 2017-18 एवं 2018-19 में निर्गत उत्खनन किया गया है।

iv. निर्धारित शर्तानुसार पूर्णतालन नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत भराव के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ 100 मीटर की दूरी तथा 25 मीटर पुनः 25 मीटर के बिंदु बिन्दुओं पर दिनांक 12/02/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर उनके खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत कोटिवार सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु गतिविधि की लागत विवरण से सम्बंधित निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
76.80	2%	1.59	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Kareli badi	
			Rain Water Harvesting System	1.10
			Potable Drinking water Facility	0.20
			Running water facility for Toilets	0.10
			Plantation	0.05
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.05
			Total	1.50

15. रेत उत्खनन नैसर्गिक विधि से एवं खुदाई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

98. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की आर्थिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन प्रपत्र एवं उपलब्धि आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी घाटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (प्रान-कोसोडोही) का रकबा 4.99 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रायमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 3,000 नग पौधे – 1,500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाधा नहीं आंकड़े, रेत उत्खनन पर नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं स्थल जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (नई गाद के अंतिम सतह/फूल) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 300 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व गाद अवधृत) इसी ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जायेगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जायेगा। प्रीप्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अप्रैल 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एम.ई.आई.टी., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से की गयी गणना सिंह राजपुर, कोडोसोडी सेन्ड माईन, खसरा क्रमांक 61, ग्राम-कोडोसोडी, तहसील-महासमुंद, जिला-महासमुंद, कुल लीज क्षेत्रफल 4.99 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 79,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशीनों द्वारा (Manually) की जायेगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में विभिन्न रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से संलग्नित फाईट तक रेत का परिवहन टेक्टर ट्रॉली द्वारा किया जायेगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/06/2020 की सम्पन्न 322वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा कार्यसम्पादी की संस्तुति की अनुशंसा को दृष्टिगत करते हुए की सैनिक सिंह उदयपुर, कंसेशनरी सैण्ड माईन, खसरा क्रमांक 01, ग्राम–कांसीवाड़ी तहसील–गढ़बोरा, जिला–डूंगरपुर, कुल क्षेत्र क्षेत्रफल 4.94 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति अवधि दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

जीपीएस प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

10. मेसर्स श्री अवधेश कुमार (सैनिक सैण्ड माईन, ग्राम–सीगा, तहसील–गढ़बोरा, जिला–डूंगरपुर) सेक्टर–04, प्लॉट नं. 43, भिलाई, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1221)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 146773 / 2020, दिनांक 02 / 03 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मीन माईनर) है। यह खदान ग्राम–सीगा, तहसील–गढ़बोरा, जिला–डूंगरपुर स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल क्षेत्र क्षेत्र 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खसरा पहाड़ी से घिरा नदी प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता –85,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 16 / 06 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपस्थित सदस्यगण की निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर मुख 25 मीटर का चित्र अन्तराल, क्रॉसेज में रेत सतह के लेवल्स (Levels) सहित चित्र मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तल के लेवल्स (Levels) का भी मार्क किया जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Duncelled TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) के आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। चित्र मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उनके सहित विवरण से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में आवश्यक रूप से कराया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नीचे पर सहित विवरण के सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित खदान से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति योजना की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 200 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि क्षेत्र क्षेत्र अवलोकनानुसार दूरी के अंदर स्थित है तो वर्तमान आधार एवं खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर उसके नीचे पर डीएमएफ तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान पर ऑनलाइन से उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थान पर खनन हेतु कार्य चल चुका पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डीईआईए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनर्वास की वास्तविक स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो निकट वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओएम दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं पर्यावरण प्रबंधक की खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध मात्रा सुदूरवर्ती जानकारी / दस्तावेज (प्रदान फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरानुसार खनि निरीक्षक एवं पर्यावरण प्रबंधक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(घ) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 27/08/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की आवश्यक सूचना, प्रोपराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सीपत का दिनांक 03/04/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – उपसंचालक जियोलॉजी, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार ग्राम खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर लीजिया है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक 1196/खनिज/उत्खनन, अनु/रेत/2019-20 कार्यालय, दिनांक 27/02/2020 द्वारा अनुशंसित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – भूवैज्ञानिक कार्यालय (खनि शाखा), जिला-बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक 394 एनएमी, दिनांक 25/02/2020 के अनुसार

आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – उपखण्ड अधिकारी (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 381 धमतरी, दिनांक 25/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एन.ओ.आई. का विवरण** – एन.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 139/खनिज/निविदा/2019 धमतरी, दिनांक 30/01/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्गत प्रपत्र में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-परसकोल 0.77 कि.मी., स्कूल ग्राम-सांगा 1.25 कि.मी. एवं अस्पताल कुरूद 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 14.5 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित रेत खदान के 5 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित नेशनल पार्क क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तल से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 1260 मीटर, न्यूनतम 1140 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 270 मीटर, अधिकतम चौड़ाई – 135.14 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तल से दूरी अधिकतम 820 मीटर, न्यूनतम 875 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4.10 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनेबल रेत की मात्रा – 85,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर उत्खनन में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई आंकने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 5 पाइप (Pits) खोदकर उनकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 4.10 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंजीयन भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**–

    i. पूर्व में अनुविभाग, पाल संचालित संस्था के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 01, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, क्षमता–75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-धमतरी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 27/03/2018 के द्वारा जारी निर्देशों से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गत अवधान निर्देश प्रस्तुत नहीं की गई।

iii. कलेक्टर कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–पन्नाली के ज्ञापन क्रमांक 784/खनिज/जिला शाखा/2020 पन्नाली, दिनांक 26/05/2020 के अनुसार वर्ष 2018–19 में 7,000 घनमीटर उत्खनन किया गया है।

iv. निर्धारित मानकानुसार पूरा भुगतान नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत स्तर के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल की चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर दूरी पर 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 14/02/2020 को रेत स्तर के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उनके खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु कंपनी के व्यवसाय विस्तार से संबंधित उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
54.05	2%	1.09	Following activities at Nearby Government Middle School **Village- Saunga**	
			Rain Water Harvesting System	1.11
			Plantation with fencing	0.10
			Total	**1.21**

15. रेत उत्खनन पेशुकान नीति से एक गवाई का कार्य लीज द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति चाही है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण क्षमता आकलन कार्य एवं तलहटी आकृति का मानचित्र नहीं किया गया है। नदी की चौड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में लगभग 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार किया जाकर उपरोक्त कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. प्रस्तावित खदान (ब्लाक–नौगा) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान सी–2 श्रेणी की पायी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रावधानिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 3,000 नग पौधे – 1,500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,500 नग (जामुन, कनार, बेल, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 600 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 3 वर्ष में विस्तृत नाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं वृक्ष पौधों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की बाढ़ का बेसलाईन डाटा** –

   i. रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा सम्पूर्ण लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी स्तर के स्तरों (Levels) का सही पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में लिए उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत बाढ़ के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत बाढ़ के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत बाढ़ के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से की आवश्यक शुल्क, लीज रेण्ट माईन, खसरा क्रमांक 01, ग्राम–नरिया, तहसील–गंगालौर, जिला–धमतरी, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। सिंचित रेत (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जायेगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/06/2022 की संपन्न हुई बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को मंजूरी देते हुये की आवश्यक शुल्क, लीज रेण्ट माईन, खसरा क्रमांक 01, ग्राम–नरिया, तहसील–गंगालौर, जिला–धमतरी, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

11. मेसर्स श्री संदीप गुप्ता (कसदा लेण्ड माईन), ग्राम–कसदा, तहसील–नगरगांव, जिला–धमतरी, छत्तीसगढ़, कांकेर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (संक्षिप्तकरण का नक्शी क्रमांक 1223)

ऑनलाईन आवेदन – प्रोपोजल नम्बर – एसईआईए / सीजी / एमआईएन / 448778/2020, दिनांक 03/03/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मिनेर मिनिरल) है। यह खदान ग्राम–कसदा, तहसील–नगरगांव, जिला–धमतरी स्थित खसरा नंबर 1154, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन ऐसी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवंटित उत्खनन क्षमता –88,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/08/2020

समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की गोलाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान एवं प्रस्तावित क्षेत्र के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर चौड़ा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, मापित में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों छोर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी दर्ज किया जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concrete TBM structure) निर्मित किए जावें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) के लाट्स, को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

3. नदीगर्भ से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की गोलाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर नक्शे पर दर्शाकर इसका माइनिंग प्लान में अभिव्यक्ति कर ले लिया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थान से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति योजना की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपलब्धतानुसार दूरी से कम किया है, तो उपलब्ध आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर विहित कर, मौके पर सीमांकन तथा माइनिंग प्लान में इस बिन्दु उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान पर अधिकतम में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक नमूना (ड्रिल) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

6. खनि पट्टे में आवंटित क्षेत्र पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्मति निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मति निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पूर्वावरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से आवंटित है, तो जिला स्तर से किए गए पट्टाधारक की पर्यावरणीय क्षति की जानकारी संबंधित विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में पेट के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आवधिक बैठक में तत्संबंध सम्पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (खदान फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 27/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संदीप गुप्ता, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – पेट्रोल उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत इकड़ा ने का दिनांक 21/08/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **विन्यासित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा के द्वारा प्रमाण पत्र अनुसार मौके खदान विन्यासित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी (खनिज शाखा), जिला–उ.क. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1421/खनिज/उ.क.सं. कांकेर/2019–20 कांकेर दिनांक 27/02/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–कलेक्टर के ज्ञापन क्रमांक 263–क/खनि/ऊ.क./2020 कलेक्टर, दिनांक 14/02/2020 के अनुसार आवंटित क्षेत्रफल से 500 मीटर के भीतर अन्य पेट्रोल खदानों की संख्या शून्य है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कलेक्टर के ज्ञापन क्रमांक 263–क/खनि/ऊ.क./2020 कलेक्टर, दिनांक 14/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एस.ओ.आई. का विवरण** – एस.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक 212/खनिज/निविदा/2019 बलरामपुर, दिनांक 06/02/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्धारित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-कटरा 2 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल ग्राम-कटरा 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 14 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/पुलिया स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में ओरांजीग सीम, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 850 मीटर, न्यूनतम 840 मीटर तथा खनन स्थल की लम्बाई – अधिकतम 288 मीटर, न्यूनतम 180 मीटर, अधिकतम गहराई – 214 मीटर, न्यूनतम 150 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से बायें किनारे से दूरी अधिकतम 284 मीटर, न्यूनतम 83 मीटर एवं दायें किनारे से दूरी अधिकतम 588 मीटर, न्यूनतम 560 मीटर है, जबकि इकाली नदी तट से दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

11. **खदान स्थल पर रेत की गहराई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर बताई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 96,800 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की गहराई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 पड़ाई (Pits) खोदकर उपलब्ध वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**–

   i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत इकाला के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 1154, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, क्षमता–75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण संमूल्यन निर्धारण प्राधिकरण, जिला-बलरामपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/08/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। शर्त अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

iii. कार्यालय वनक्षेत्रपाल (वन्यजीव शाखा), जिला-बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक 785/वन्यजीव/उत्तरमाह/2020 बलरामपुर दिनांक 28/09/2020 के अनुसार वर्ष 2017-18 में 3,000 फलदार पौधरोपण किया गया है।

iv. निर्धारित मानकानुसार पुष्टीकरण नहीं किया गया है।

13. **वाहन क्षेत्र में वैध मार्ग के सेटबैक** – वैध उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के आसपास तथा अधिकतम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर मुख्य 25 मीटर के निश्चित बिन्दुओं पर दिनांक 05/08/2020 को वैध मार्ग के उपस्थित सीमांकन (Levels) लेकर, उनके आधार निर्माण के प्रस्तावित उपयोग फोटोग्राफ सहित जानकारी/प्रस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार के बाद उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
58.2	2%	1.16	Following activities at Nearby Government Middle School Village-Haada	
			Rain Water Harvesting System	1.05
			Potable Drinking water Facility	0.30
			Plantation	0.15
			Total	1.50

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि स्थल निरीक्षण के उपरान्त सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. **नदी मार्जिन क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 890 मीटर एवं न्यूनतम – 840 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी न्यूनतम 83 मीटर है। खदान की नदी तट से दूरी, नदी के पाट की चौड़ाई का न्यूनतम 50 प्रतिशत होना चाहिए। अतः मार्जिन प्लान में नदी तट से न्यूनतम 89 मीटर से 94 मीटर पौधरोपण उपलब्ध किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 1,000 नग पौधरोपण वैध मार्जिन क्षेत्र रखा गया है। इस प्रकार वैध उत्खनन का कार्य आवेदित 4.84 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. वैध उत्खनन नियुक्त विधि से एवं गहराई का कार्य सक्षम द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की पूर्णिक वैध पुनःभरण योजनी आधारभूत कार्य एवं तलस्तरी आकृतियों का समावेश नहीं किया गया

है। रेत नहीं छोड़ी गयी है तथा इसमें वर्तमान में लगभग 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनः संचय होने की संभावना है।

समिति द्वारा निम्नांकित उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (ग्राम–दमदा) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की दीर्घा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/प्रस्तावित खदानों का कुल संचालन 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान श्रे–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रावधानिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,500 नग पौधे – 1,250 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,250 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परिसीमन प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) द्वारा नदी अंतःक्षेत्र, रेत उत्खनन का नदी, भूजलस्तर, स्थानीय जलस्रोतों, जीव एवं वनस्पतियों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. परिसीमन प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। जारीकृत सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 मूल्य 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।

   ii. रेत खनन के उपरांत मानसून की पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जायेगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्रीप्रे–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तथा अभिलेखों क्रम से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री संदीप गुप्ता, सहायक रोपण माईनर, पार्ट अधि पंजीयन क्रमांक 1154 ग्राम–दमदा, तहसील–मगरलोड जिला–धमतरी, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में से कैप माईनिंग क्षेत्र 1,800 घनमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.84 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 48,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जायेगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज

क्षेत्र में निकाले गए खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लीजित माईंट तथा रेत का परिवहन ट्रेक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवलोक माईनिंग क्षेत्र का मौके पर प्रतिबिंब विभाग से सत्यापन कराने के उपरान्त ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

प्रतिवेदन द्वारा बैठक में विवरण – उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिवेदन की दिनांक 10/06/2020 की सम्पन्न 66वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिवेदन द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार बिन्दुवार उपरान्त प्रतिवेदन द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को संशोधन करते हुए की ग्राम पुष्प, हलका नंबर माईनर, पार्ट ऑफ खसरा नम्बर 1154, ग्राम-हलका, तहसील-मनावर, जिला-धारनी, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 1.000 मानकीटर क्षेत्र कम करने पर 4.04 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

12. मैसर्स श्री शोएब खान (पत्थरी लीज माईन, ग्राम-पत्थरी, तहसील व जिला-धमतरी), सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग (अधिवक्ता का नस्ती क्रमांक 1229)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एमआईए /सीजी /एमआईएन / 147366 /2020, दिनांक 05/03/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मीनर मिनिरल) है। यह खदान ग्राम-पत्थरी, तहसील व जिला-धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 738, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मशीनरी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 82,711.3 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(क) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपरान्त **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र एवं प्रस्तावित क्षेत्र के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, ग्रिडिंग में रेत सतह की लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (टोल क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के लेवल्स (Levels) का भी सर्वे किया जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में अक्षांश, जो-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उनकी खनिज विभाग से प्रमाणीकृत लेवलिंग फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नीचे का खनिज विभाग से सीमांकन कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल के निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं अन्य आधुनिक संरचना की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अधिकतम से न्यूनतम 500 मीटर तथा आवासीय से न्यूनतम 300 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त खदान पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका नीचे का सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हैक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निदेशक एवं पर्यावरण प्रभाकर की खदान में रेत के लेवलिंग (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सूचनाओं जानकारी / दस्तावेज (प्रमाण फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्तानुसार खनि निदेशक एवं पर्यावरण प्रभाकर को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रपत्र दिनांक 23/05/2020 प्राप्त प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 27/05/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की आवश्यक सूचना, अभिकर्ता प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परिशीलन करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पसपुली का दिनांक 12/09/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **विस्थापित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा के पत्र क्रमांक एवं अनुसार यह खदान विस्थापित/सीमांकित कर पाया है।

3. **प्रस्तावित योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-पन्ना, कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 1114/खनिज/पन्ना/अनु./रेत/2019-20 कार्यालय, दिनांक 27/02/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित पहाड़** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-पन्ना के ज्ञापन क्रमांक क्रमांक 404 पन्ना, दिनांक 25/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर प्रस्तावित क्षेत्र में पहाड़ी की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-पन्ना के ज्ञापन क्रमांक 304 पन्ना, दिनांक 25/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-पन्ना के ज्ञापन क्रमांक 270/खनिज/निविदा/2018 पन्ना, दिनांक 06/03/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रपत्र में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-कलापाहाड़ 0.35 कि.मी., हाईस्कूल ग्राम-पनपुरी 0.75 कि.मी. एवं अस्पताल पवाई 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 38 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या संरक्षित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 725 मीटर, न्यूनतम 538 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 288 मीटर, अधिकतम चौड़ाई – 182.58 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के उत्तरी किनारे से दूरी अधिकतम 75 मीटर, न्यूनतम 63 मीटर है, जबकि दक्षिणी नदी तट से दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

11. **खदान स्थल पर रेत की गहराई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4.17 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 82,774 घनमीटर है। रेत परिवहन हेतु प्रस्तावित स्थल पर दर्शाया गया उपलब्ध रेत भंडार की गिनती जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उनकी वास्तविक गहराई का मापन कर, माईनिंग विभाग के प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की

गई है। इसके अनुसार रेत की औसत औसत गहराई 4.57 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु फ्लोचार्ट भी प्रस्तुत किया गया है।

12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

i. पूर्व में तत्पश्चात प्राप्त संशोधित पत्रावली के माध्यम से रेत खदान खसरा क्रमांक 735, क्षेत्रफल 4.8 हेक्टेयर, मात्रा-75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण, जिला-धमतरी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 04/10/2018 के द्वारा जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गत अवधि रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 781/खनिज/खनि.शाखा/2020 धमतरी, दिनांक 28/05/2020 के अनुसार वर्ष 2018-19 में 7,888 घनमीटर उत्खनन किया गया है।

iv. निर्धारित मानकानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ से 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर चौड़ा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 13/02/2020 को रेत सतह के वास्तविक लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें संलग्नित विवरण में प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन, दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति की बैठक दिनांक से पूर्व प्रस्तावित निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
54.12	2%	1.08	Following activities at Nearby Government Middle School Village-Parsuli	
			Rain Water Harvesting System	1.22
			Plantation	0.10
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.05
			Total	1.37

15. **नैव माइनिंग क्षेत्र** – नदी के तट की चौड़ाई अधिकतम 275 मीटर एवं न्यूनतम – 250 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी न्यूनतम 60 मीटर है। खदान की नदी तट से दूरी, नदी के तट की चौड़ाई का न्यूनतम 50 प्रतिशत होना चाहिए। अतः माइनिंग प्लान में नदी तट से न्यूनतम 37 मीटर से 55 मीटर चौड़ाई में उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 3.11 हेक्टेयर नैव माइनिंग क्षेत्र रखा गया है। इस प्रकार रेत उत्खनन का कार्य अवशेष 4.66 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. रेत उत्खनन मैन्युअल विधि से एवं ढुलाई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी आंकड़ा कार्य एवं तालाबंदी आंकड़ा का समावेश नहीं किया गया है। बनास नदी है तथा इसमें उत्खनन में लगभग 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम-पनसूती) का रकबा 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/प्रस्तावित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रावधानिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 3,000 नग पौधे – 1,500 नग आंवला के पौधे तथा शेष 1,500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गवर्न अध्ययन (Situation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) संबंधी जानकारी, रेत उत्खनन का नदी, नहीं, आसपास कलपनि, जीव एवं वृक्ष जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह / जून) में माइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 500 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के कार्ट (Levels) का कार्य पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ों दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., राजस्थान को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार निर्णय उपरांत सर्वसम्मति से की शोएब खान, पत्थरूली सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 735, ग्राम-पत्थरूली, तहसील व जिला-धमतरी, कुल लीज क्षेत्रफल 4.8 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 211 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.88 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक दोहित रखते हुए कुल 73,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लॉगिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का लीज पर लावित विस्तार से समाप्त सीमांकन कराये की अवधि की लावित विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/06/2020 की माननीय छठवीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को दृष्टिगत करते हुये की शोएब खान, पत्थरूली सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 735, ग्राम-पत्थरूली, तहसील व जिला-धमतरी, कुल लीज क्षेत्रफल 4.8 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 211 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.88 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक दोहित रखते हुए, कुल 73,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परिशोधित प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

13. मेसर्स श्री सतीश मंडल (छोटकी सेण्ड माईन, ग्राम-छोटकी, तहसील-पेण्ड्रारोड, जिला-बिलासपुर), खाई नंबर 5, सिलगिट्टी, तहसील व जिला-बिलासपुर (लघिवालय का नस्ती क्रमांक 1217)

ऑनलाईन आवेदन – प्रोपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 149563/2020 दिनांक 02/03/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मीनर मिनिरल) है। यह खदान ग्राम-छोटकी, तहसील-पेण्ड्रारोड, जिला-बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 5 कुल लीज क्षेत्र 1.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मशीनरी नदी से बाहर प्रस्तावित है। खदान की आकलित उत्खनन क्षमता-[illegible] घनमीटर प्रतिवर्ष है।

केसों का विवरण –

(अ) समिति की 327वीं बैठक दिनांक 18/06/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन तथा उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान एवं प्रस्तावित क्षेत्र के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी तक 25 मीटर चौड़ा 25 मीटर का विंड कॉरीडोर सर्वेक्षण में रेत सतह की लेवल्स (Levels) लेकर बिल्ड रेत में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। पश्चात लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्मित किए जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। जिस पिल्लर में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, खनिज विभाग के प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. नदीगर्भ से खनन की सीमा की दूरी न्यूनतम 50 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खनन की कुल क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो परस्पर गणना कर मापदंड पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खनन के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग के तकनीकी कर्मचारी, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खनन की अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि खनन क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर सर्वेक्षण में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (पिट) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु मॉनिटरिंग भी प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि खनन क्षेत्र में आरक्षित स्थान पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही एक्सटेंशन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खनन पूर्व में संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. प्रति निरीक्षक एवं परिपालन प्रमाणक को खनन में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ जानकारी मात्र की आरक्षित फैक्स में उपलब्ध समस्त सूचनाएं जानकारी / दस्तावेज (प्रमाण फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार समिति निदेशक एवं नियोजना प्रकोष्ठ को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 27/05/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की सूचनानुसार निर्धारित, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सोहरी का दिनांक 15/08/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **निरापत्ति/सीमांकित** — कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार खदान निरापत्ति/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** — माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (सि. प्रभा.) जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1648/खनि/रेत/उत्खनन प्लान/2020 बिलासपुर, दिनांक 24/02/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1868/खनि/रेत/2020 बिलासपुर, दिनांक 27/02/2020 के अनुसार प्रस्तावित खदान से 500 मीटर के भीतर आवंटित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. **300 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1868/खनि/रेत/2020 बिलासपुर, दिनांक 27/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 300 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं रेल आवृत्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** — एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1372/खनि/रेत नीलामी/2019 बिलासपुर, दिनांक 23/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** — भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्धारित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** — निकटतम आबादी ग्राम-बड़ोरा 0.6 कि.मी., सार्वजनिक स्कूल ग्राम-बड़ोरा 0.625 कि.मी. एवं अस्पताल सीमा 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7.5 कि.मी. दूर है। पूरा खदान से 100 मीटर की दूरी पर आबादी में स्थित है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** — परियोजना प्रस्ताव द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र एवं घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. **खनन क्षेत्र पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** — आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई — अधिकतम 80

मीटर, न्यूनतम 50 मीटर तथा खनन स्थल की लम्बाई – 345 मीटर, अधिकतम गहराई – 27.82 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से लगी हुई है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.2 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनेबल रेत की मात्रा – 8,835 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंजीयन भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**–

   i. पूर्व में रतनपुर ग्राम पंचायत फोरेशी के पास की रेत खदान खसरा क्रमांक 82, क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर, क्षमता– 21,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन मिनिमल प्राधिकरण, जिला–बिलासपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 02/02/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गत अवधि रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 136/रा.नि./खा./रेत/2020 बिलासपुर, दिनांक 22/05/2020 के अनुसार वर्ष 2016–17 में 6,100 घनमीटर, 2017–18 में 3,000 घनमीटर, 2018–19 में निरंक एवं 2019–20 में 1,200 घनमीटर उत्खनन किया गया है।

   iv. निर्धारित सार्वजनिक सुनवाई नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलइंग** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तथा 10 मीटर गुणा 10 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 05/02/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) तथा उनके खनिज विभाग से प्रमाणीकरण तथा फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु कंपनियों के लाभ विस्तार के वर्षों उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

14.80	2%	0.29	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Khodri	
			Rain Water Harvesting System	0.79
			Plantation	0.10
			Total	**0.89**

15. गैर माईनिंग क्षेत्र –

i. खनन ने खदान नदीतट से लगी हुई है। नई दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के तट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से 7.5 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 2,750 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

ii. पूरा खदान में 900 मीटर की दूरी पर आवासीय भवन स्थित है। नई गाइडलाईन अनुसार पूरा के अवस्थित से कम से कम 300 मीटर दूरी का जाना आवश्यक है। अतिरिक्त 150 मीटर लम्बाई को गैर माईनिंग क्षेत्र 4,650 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

iii. राजकीय गाइडलाईन के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूरा से अतिरिक्त 150 मीटर लम्बाई को एवं नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के तट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत रखते हुए गैर माईनिंग क्षेत्र रखे जाने से कुल गैर माईनिंग क्षेत्र 7,211 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। अतः कि उत्खनन का कार्य अधिक 7,750 वर्गमीटर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं गहराई का कार्य लेबर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.2 मीटर की गहराई तक खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं उपलब्धि आंकड़ों का संलग्न नहीं किया गया है। भूमिगत नदी बहती नहीं है तथा इसमें अधिकतम में अधिकतम 1 मीटर गहराई के अतिरिक्त रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार बिन्दुओं उपरांत कार्यसूची की निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. आवेदित खदान (ग्राम-खोदरी) का रकबा 1.5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में अधिसूचित/संरक्षित क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **पुनर्भरण कार्य** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर 600 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत भाव अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) क्षमता, नदी आकृति, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. लीज क्षेत्र की सतह का कंटूरलाईन डाटा –

i. परियोजना प्रबन्धक द्वारा उत्खनन की पूरी खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सही किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सही 10 गुणा 10 मीटर के ग्रीड (Grid) में किया जाएगा।

ii. रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह / जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इसी चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत खनन के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्रीपोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा निरीक्षण दिनांक उपखण्ड मजिस्ट्रेट से भी सलीम मंडल, खसरा नम्बर माईन, खसरा क्रमांक 82, ग्राम–खोजरी, तहसील–पेन्ड्रारोड, जिला–बिलासपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 7,211 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 0.77 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 7,700 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशिनों द्वारा (Manually) की जायेगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढों (Excavation pits) से लीजिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का सीधे पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने एवं माईनिंग प्लान में इस कार्य संशोधन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/08/2020 की संपन्न हुई बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नदी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री सलीम मंडल, खोजरी रीच माईन, खसरा क्रमांक 82, ग्राम–खोजरी, तहसील–पेन्ड्रारोड, जिला–बिलासपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 7,211 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 0.77 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 7,700 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रबन्धक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

14. मेसर्स श्री नरपाल सिंह [ई–2 बसीपुर सेण्ड माईन, ग्राम–बसीपुर, तहसील–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर], तहसील व जिला–बलरामपुर (अधिवालय का नवीन क्रमांक 1244)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपत्र–ख – एसआईए / सीजी / एमआईएस / 148396 / 2020, दिनांक 12 / 03 / 2020)

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मीन खनिज) है। यह खदान ग्राम–बसीपुर, तहसील–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1465, कुल क्षेत्र क्षेत्र 4.00 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मझार नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अनुमानित प्राक्कलन क्षमता–43,312.5 घनमीटर बताई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 06 / 2020

समिति द्वारा प्रकरण की गहनी एवं प्रचुर जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर मुण्ड 25 मीटर का मिश्र बनाकर, वर्तमान में रेत स्तर के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तल के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 3 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्मित किये जाये। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में अक्षांश, अक्षांशेतर (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उनके अंकित विवरण से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफ सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुल क्षेत्र में उत्खनन किया जाना सम्भव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका खनिज माईनिंग प्लान में अंतिमतः भाग से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थान से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आहरी स्थल की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी स्थान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि सीमा क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो आवश्यकता आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर, उसका सीमा पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक नमूना (Pit) खोदकर उसकी लम्बाई

गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि पूर्व में आवेदित क्षेत्र पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं आवेदित क्षेत्र के पश्चात में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनर्स्थापन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में जिए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर तब प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रावधान प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रबंधक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आवासी मार्ग की आवेदित क्षेत्र में उपलब्ध वास्तव सुसंगत जानकारी / वास्तविक (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण किए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रबंधक ने एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 324वीं बैठक दिनांक 26/06/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नवजोत सिंह, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बलीपुर का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा के द्वारा प्रमाण पत्र अनुसार मौके पर खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 2341/खनिज/2020 बैकुण्ठपुर, दिनांक 06/03/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3581/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 04/03/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित ग्राम रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3580/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 04/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्ताव खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल

वन, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवेलाइन, एयरपोर्ट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एन.ओ.डी.आई. का विवरण** – एन.ओ.डी.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 5476/सी.ओ.टी./टी.सी./ने.ख.ड.ड/2018 सूरजपुर, दिनांक 18/09/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–दूलनरोगरा 1 किमी., स्कूल ग्राम–भठौरपुर 1.5 किमी. एवं अस्पताल अटरी 8 किमी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22.1 किमी. एवं राज्यमार्ग 7.4 किमी. दूर है। प्रस्तावित रेत खदान के 1 किमी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपवनमंडलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक /एफ.सी./1830 सूरजपुर, दिनांक 27/08/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि वन क्षेत्र की सीमा से 200 मीटर की दूरी पर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – प्रस्तावित प्रसाधक ग्राम 10 किमी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र किसी भी तरीके प्रतिबंधित किया है।

11. **खदान स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खदान स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 120 मीटर, न्यूनतम 120 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 400 मीटर, न्यूनतम 400 मीटर, चौड़ाई – अधिकतम 80.00 मीटर, न्यूनतम 80.07 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी अधिकतम 14 मीटर, न्यूनतम 8 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 50 प्रतिशत होना चाहिए।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.14 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3.1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार क्षेत्रफल में माईनेबल रेत की मात्रा – 43,310 घनमीटर है। रेत सत्यापन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत मात्रा की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, तकनीकी विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.54 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंजियन की प्रस्तुत किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं ली गई है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत घाट के लेवदूल** – रेत उपलब्धता हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 2.5

मीटर मुख्य 35 मीटर के बिच बिन्दुओं पर दिनांक 30/03/2020 को रेत भराव के अवलोन लेवल्स (Levels) लेकर, उनकी खनिज विभाग से प्रमाणित प्रमाण फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) मेनु समिति के समक्ष विस्तार से सभी प्रस्तावों निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
41.2	2%	0.82	Following activities at Nearby Government Adarsh Nawan Madhamic Shala Village-Banshipur	
			Rain Water Harvesting System	1.01
			Plantation with fencing	0.10
			Total	1.11

16. **रैर माइनिंग क्षेत्र** – नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 130 मीटर एवं न्यूनतम – 120 मीटर है, जबकि खदान की नदी घाट से दूरी न्यूनतम 8 मीटर है। खदान की नदी घाट से दूरी, नदी के घाट की चौड़ाई का न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिए। अतः माइनिंग प्लान में नदी घाट की न्यूनतम 12 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 8,000 वर्गमीटर रैर माइनिंग क्षेत्र बचा गया है। इस प्रकार रेत उत्खनन का कार्य अवशेष 4.57 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

17. रेत उत्खनन निम्नतम विधि से एवं भराई का कार्य लीजधारक द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण मात्रा अध्ययन कर्ता एवं सरकारी अधिकारी का सत्यापन नहीं किया गया है। खदान नदी सोंदि नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवंटित खदान (ग्राम–बंशीपुर) का रकबा 4.98 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में अधिकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान सी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **पुनर्वास कार्य** – प्रासंगिकता के आधार पर नदी घाट पर कुल 1,200 नग पौधे – 600 नग फलदार के पौधे तथा शेष 600 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि)

पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त चहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खनन क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत पाट अध्ययन (Station Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं भूमि जीव पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 मुख्य 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।

   ii. रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (नई मार्च के अंतिम सप्ताह / जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व तथा उपरांत) इसी ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार किया गया कि खसरा संख्या से भी लगभग मिक्स ई-2 बसीपुर सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 1165, ग्राम-बसीपुर, तहसील-अमापुर, जिला-गुरुवापुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.98 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 6,000 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.32 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 43,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशिनों द्वारा (Manually) की जायेगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में विधिवत रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लीकिंग लाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का सीमांकन एवं खनिज विभाग से समुचित सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/08/2020 को संपन्न अगली बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा भूमि का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा कार्यसमिति से सहमति की

अनुसार अर्ध संशोधन करते हुए श्री नवनीत सिंह, डी–2 बसीपुर सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 1988, ग्राम–बसीपुर, तहसील–भलुवापुर, जिला–चुरामनपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.96 हेक्टेयर में से नये माइनिंग क्षेत्र 8,000 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.37 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 43,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

पर्यावरण प्रभावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

15. मेसर्स श्री अजितेश साहू (हरपीका सेण्ड माईन, ग्राम–हरपीका, तहसील–भलुवापुर, जिला–कोरिया), सरकन्दा, बेन्दाखोपारा, तहसील व जिला–बिलासपुर (सचिवालय का पत्र क्रमांक 1218)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपत्र–ख पत्र – एसआईए / सीजी/ एमआईएन/ 148817/2020 दिनांक 02/03/2020।

प्रकरण का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (सेण्ड बारिंग) है। यह खदान ग्राम–हरपीका, तहसील–भलुवापुर, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 336, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन गहराई नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवंटित उत्खनन क्षमता–60,822 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020

समिति द्वारा प्रकरण की पात्रता एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपस्थित **सदस्यगणों से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की गहराई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित क्षेत्र के आरएल तथा आकनलेजमेंट से 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, प्रत्येक में रेत स्तर के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह की स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) से आरएल, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 50 मीटर या नदी के पाट की गहराई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जाती है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका समावेश माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र का नक्शे पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त अंकाक्षा पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका नीचे पर सीमांकन तथा साईनिंग फलक से इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. पेड़ प्रगणन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र पर वर्तमान में उपलब्ध पेड़ की गणना करने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक नमूना (Plot) चाहकर उसकी वानस्पतिक गणना का माप कर, सूचित विवरण से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। पेड़ की वानस्पतिक गणना हेतु गणनाक्षेत्र भी प्रस्तुत किया जाने।

6. यदि पूर्व में आवेदित क्षेत्र पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संघातात निर्देशन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण संघातात निर्देशन प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पूर्वावेदन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

9. यदि निर्देशक एवं परियोजना प्रबंधक को खदान में पेड़ के घेरावृत्त (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपस्थित सम्पूर्ण सूचनाएं जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार यदि निर्देशक एवं परियोजना प्रबंधक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 334वीं बैठक दिनांक 26/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सूरजमणी सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्शे, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – पेड़ गणना के संबंध में ग्राम पंचायत हरचौका का दिनांक 30/11/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय अनेक्चर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर पाया है।

3. **वृक्षारोपण योजना** – साईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो यदि अधिकारी, सिंचाई-परियोजना के द्वारा क्रमांक 2368/खनिज/2020 कोरबा, बैकुण्ठपुर, दिनांक 20/02/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 2284 कैलूपाठपुर दिनांक 26/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 2284 कैलूपाठपुर, दिनांक 26/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, पोल, एनीकट एवं ग्राम पंचायतें आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.डी.आई. का विवरण** – एल.डी.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1574/रेत/खिजरी/2018 कैलूपाठपुर, दिनांक 15/11/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2016 द्वारा निर्धारित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–हरदीकला 0.35 कि.मी., स्कूल ग्राम–हरदीकला 0.7 कि.मी. एवं अस्पताल भगतपुर 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 54 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र एवं वर्णित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल का नदी की पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 140 मीटर, न्यूनतम 82 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 1186 मीटर, न्यूनतम 1124 मीटर, गहराई – अधिकतम 54.20 मीटर, न्यूनतम 32.89 मीटर पाई गई है। खदान नदी तट से लगी हुई है, जबकि इसकी नदी तट से दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.15 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.15 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 50,822 मेट्रिक टन है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रत्येक में उपलब्ध रेत मात्रा की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उपरली सतहिक गहराई का मापन कर, सामिल रिपोर्ट से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.15 मीटर है। रेत की सतहिक गहराई हेतु घोषणा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**–

    i. पूर्व में संपर्क, ग्राम पंचायत हरदीकला के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 238, क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर, क्षमता–30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु

जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्देशन प्राधिकरण, पिथौरागढ़–अल्मोड़ा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 01/02/2018 के द्वारा जारी दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। शर्त अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–पिथौरागढ़ के ज्ञापन संख्या 2344/ /वि0/रि0मै0/02/2020/ वैकुण्ठपुर/पिथौ0, दिनांक 22/05/2020 के अनुसार वर्ष 2017–18 में 5,250 घनमीटर एवं 2018–19 में 86,250 घनमीटर उत्खनन किया गया है।

iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

13. **उत्खनन क्षेत्र में हिल साइड के क्षेत्रफल** – हिल उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अगल–बगल तथा आसपास में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर दूरी 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 10/02/2020 को हिल साइड के विभिन्न लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – मान0 भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार के बाद सुझाव निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
14.1	2%	0.28	Following activities at Nearby Government Higher Secondary School Village-Harchoka	
			Rain Water Harvesting System	1.02
			Running water facility for Toilets	0.10
			Plantation	0.05
			Total	1.17

15. **नैप माईनिंग क्षेत्र** – नदी के तट की चौड़ाई अधिकतम 140 मीटर एवं न्यूनतम – 80 मीटर है, जबकि उत्खनन नदी तट लगी हुई है। उत्खनन की नदी तट से दूरी, नदी के तट की चौड़ाई का न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिए। अतः माईनिंग प्लान में नदी तट से न्यूनतम 14 मीटर से 16 मीटर सीमांकन सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है जिसमें 800 वर्गमीटर नैप माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इस प्रकार हेतु उत्खनन का कार्य अधिकतम 4.92 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. रेत उत्खनन वैज्ञानिक विधि से एवं कराई का कार्य लीज द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.18 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तकनीकी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। गहराई नहीं बढ़ाई गई है तथा इसमें वर्षाकाल में लगभग 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा निकर निर्माण उपसाल कार्यसमिति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खनन (ग्राम-हरगोकर) का रकबा 2 हेक्टेयर है। खनन की सीमा से 500 मीटर की परिधि में अधिकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर से अधिक कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **पूर्वानुमोदन कार्य** – पारदर्शिता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,000 नग पौधे – 1,000 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,000 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त बफर जोन पर 1,000 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक ने खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत भाद अध्ययन (Siltation Study) करवाकर वार्षिक रेत के पुनःभरण (Replenishment) दर का नदी अभिवाह, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय पारिस्थितिकी, जीव एवं वनस्पति जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की पुनःभराव पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त की जाए।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन लीज के बायां / नदी तट (दोनों ओर) से 500 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। पायलेस्ट्रा एवं नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर के अन्तराल (Grid) में किया जाएगा।

   ii. रेत खनन की समयावधि मानसून की पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह / जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बायां / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह (अक्टूबर) इन्हीं बिंदु बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जायेगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अप्रैल 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायें।

5. समिति द्वारा निकर निर्माण उपसाल कार्यसमिति से श्री अजितेश साहू, हरगोकर मण्डल पाईन, मार्ग अंकित मरकाम कमांक 336, ग्राम-हरगोकर, तहसील-पखांजूर, जिला-कोंडागांव, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में से नदी माईनिंग क्षेत्र 500 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.50 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अनुमोदन

मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 48,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशीनों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। लीज क्षेत्र में किया रेत खुदाई गड्ढों (Excavation pits) से लोडिंग पॉइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. नॉन माइनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माइनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण का प्राधिकरण की दिनांक 16/06/2020 को सम्पन्न 88वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के समिति की अनुशंसा को संज्ञान में लेते हुये की अजितेश साहू, हल्दीपाड़ सेण्ड माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 338, ग्राम-हल्दीपाड़, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में से नॉन माइनिंग क्षेत्र 300 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.92 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 48,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रतिवेदन प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

16. मेसर्स श्री राकेश सिंह ठाकुर (सी-1, हल्दीपाड़ सेण्ड माईन, ग्राम-हल्दीपाड़, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर), विनोबा नगर, तहसील व जिला-बिलासपुर (कार्यालय का नस्ती क्रमांक 1234)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 147747 / 2020, दिनांक 08 / 03 / 2020।

प्रकरण का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-हल्दीपाड़, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 422, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मशीन से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता-48,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 16/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा सदस्य सचिवालय से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की लंबाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर चौड़ा 25 मीटर का क्रिस क्रॉस, नदी पात्र में रेत स्तर के लेवल्स (Levels) लेकर क्रिस क्रॉस में प्रस्तावित कर प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी घाट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी बराबर के स्तरों (Levels) का भी नदी

किया जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्मित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आरएल, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। फिट बेंच में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी प्रदर्शित करते चार्ट चालित विधान से प्रस्तावित उत्खनन फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. नदीगर्भ से खनन की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इससे अनुसार खनन की कुल क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अभिकथन रूप से कराया जावे। खनन के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को पीले रंग चालित विधान से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित खनन से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति योजना की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खनन के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र की आवश्यकतानुसार नक्शे पर सिमित कर, नक्शा मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान पर खनिज में उपलब्ध रेत की गुणवत्ता जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में प्रथम से कम एक गहराई (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर चालित विधान से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किया जावे।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थान पर खनन हेतु कार्य कर पर्यावरण स्वीकृति निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अभिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पूर्वावलोकन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खनन पूर्व से संचालित है, तो जिला खनिज के लिए एवं उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी चालित विधान से प्रमाणित कर अवश्य प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परिचालन प्रबंधक को खनन से रेत के नमूनों (Lumps) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आवश्यक मात्रा की आवंटित क्षेत्र में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (प्रमाण फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परिचालन प्रबंधक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 21/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ङ) समिति की 324वीं बैठक दिनांक 28/05/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मानसिंह सिंह राठौड़, पीएसआई उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्शे, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत के संबंध में ग्राम पंचायत सलीपाल का दिनांक 30/08/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **विभागीय/सीमांकित** — कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विभागीय/सीमांकित क्षेत्र घोषित है।

3. **पर्यावरण स्वीकृति** – संलग्नित प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है, जो राजि अधिकारी, जिला–कोटपूतली के प्रमाण क्रमांक 2342/खनिज/2020 कैथून्यापुर, दिनांक 08/09/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के प्रमाण क्रमांक 3800/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 04/09/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अधिकृत अन्य ऐसे खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के प्रमाण क्रमांक 3801/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 04/09/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एन.ओ.आई. का निरसन** — एन.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के प्रमाण क्रमांक 3474/सी.एन.ई./टी.सी./प्र.क्र.02/2018 सूरजपुर, दिनांक 18/02/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सालीपाल 0.41 कि.मी., रजुला सालीपाल 0.5 कि.मी. एवं अम्बाला प्रतापपुर 14 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 38.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.5 कि.मी. है। पूरा खदान से 500 मीटर की दूरी पर अम्बाडोल में स्थित है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला–सूरजपुर के प्रमाण क्रमांक /वा.वि./1832 सूरजपुर, दिनांक 27/08/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि का क्षेत्र की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **पर्यावरणीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 220 मीटर, न्यूनतम 180 मीटर तथा खनन क्षेत्र की लम्बाई – अधिकतम 802 मीटर, न्यूनतम 584 मीटर, चौड़ाई – अधिकतम 87.8 मीटर, न्यूनतम 42.74 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से किनारे से दूरी अधिकतम 86 मीटर, न्यूनतम 13 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. **खदान खनन पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.15 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 48,084 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत परत की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 6 गड्ढे (Pits) खोदकर उपलब्ध वास्तविक गहराई का आकलन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु उपलब्ध भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **दूसरे से प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को दूसरे से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत स्तर के विवरण** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 19/02/2020 को रेत स्तर का अवलोकन सेल्फ (Level) मीटर, कर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार में पत्रों उपरांत निम्नानुसार निम्नुत प्रस्ताव प्रस्तुत किये गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40.58	2%	0.81	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Sattipara	
			Rain Water Harvesting System	0.76
			Running water facility for Toilets	0.10
			Total	0.86

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 220 मीटर एवं न्यूनतम – 180 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी न्यूनतम 13 मीटर है। खदान की नदी तट के दूरी, नदी के पाट की चौड़ाई का न्यूनतम 10 प्रतिशत

होना चाहिए। अतः माईनिंग प्लान में नदी तट से न्यूनतम 50 मीटर से 10 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 2.535 हजारमीटर मैन माईनिंग क्षेत्र बचा गया है। इस प्रकार रेत उत्खनन का कार्य अधिक 4.54 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

17. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एक मशीन का कार्य अधिक द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.15 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वर्तमान रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का सत्यापन नहीं किया गया है। गहराई नहीं छोड़ी गयी है तथा इसमें वर्षोपरान्त में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. आवेदित खदान (ग्राम–खालीपाल) का रकबा 4.8 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रावधिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,500 नग पौधे – 750 नग करंज के पौधे तथा शेष 750 नग (जामुन, कदंब, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त खुला क्षेत्र पर 750 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) संबंधी सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं खुला जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त की जाये।

4. **जीव क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 500 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे किया जायेगा। उपलब्ध सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 पुनः 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जायेगा।

   ii. रेत खदान के उपरांत मानसून के पूर्व (नई गाद के अंतिम सतह/पूर्व में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 500 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व गाद अध्ययन) इसी ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का सर्वे किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त

2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त कार्यसूची से श्री राकेश सिंह ठाकुर, सी–1, सालीपारा सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 422, ग्राम–सालीपारा, तहसील–खरसीया, जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 2.535 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.64 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 46,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मानवों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में पानी भरान का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लीजिंग एरिया तक रेत का परिवहन डम्पर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जायेगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – लगातार प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/06/2020 को आयोजित 86वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा कार्यसूची से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए श्री राकेश सिंह ठाकुर, सी–1, सालीपारा सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 422, ग्राम–सालीपारा, तहसील–खरसीया, जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 2.535 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.64 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 46,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

17. मेसर्स श्री दिलीप कुमार गुप्ता (ब्लॉक–1, कोरिया सेण्ड माईन, ग्राम–कोरिया, तहसील व जिला–सूरजपुर), वार्ड नं. 7, तहसील व जिला–कबीरधाम (मध्यप्रदेश का नस्ती क्रमांक 1251)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 148503/2020, दिनांक 12/03/2020।

प्रकरण का विवरण – यह प्रस्तावित रेत उत्खनन (मीनर खनिज) है। यह खदान ग्राम–कोरिया, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1698, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन सुनसुटला नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता–37744.74 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपलब्ध कार्यसूची में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल से आरक्षीय तथा अनारक्षीय में 500 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत स्तर के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावे। इसके अतिरिक्त खान लीज की साइड / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के लेवल्स (Levels) भी ली जाने किया जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावे। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आरएल, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावे। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) का भी दर्शाकर, उनके खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किए जावे।

3. पट्टेधारक से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 50 मीटर या गड्ढे के पाट की गहराई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अतिरिक्त कर से कराया जावे। खदान के उत्खन्न क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं ऐसे आधुनिक संरचना की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी उत्खनन से आरक्षीय में न्यूनतम 500 मीटर तथा अनारक्षीय में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी से अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र की आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर परिवहन से उत्पन्न धूल की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किया जावे।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अभिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावित की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो पिछले वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को स्थान से रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आवश्यक मात्रा की आवश्यक मैपिंग में उपरोक्त समस्त सूचना जानकारी / दस्तावेज (फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त खनि निरीक्षक एवं पर्यावरण प्रभावक को एसईएआ, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ग) समिति की 324वीं बैठक दिनांक 29/05/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुनील उपाध्याय, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पाया, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्रेट उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोरिया का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **खनिकर्म योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है जो खनिज अधिकारी, जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 2344/खनिज/2020 सूरजपुर दिनांक 05/03/2020 द्वारा अनुशंसित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3407/खनिज/2020 सूरजपुर दिनांक 04/03/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य ग्रेट खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संस्थाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3819/खनिज/आविट/2019 सूरजपुर दिनांक 04/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्ताव खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं फल आवृति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **एन.ओ.सी. का विवरण** – एन.ओ.सी. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3482/गौ.ख.रे./रिजी./न.क.02/2019 सूरजपुर, दिनांक 18/02/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 3 वर्ष हेतु वैध है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपवनमंडलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक / म.वि./1628 सूरजपुर, दिनांक 27/05/2020 की जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि एवं क्षेत्र की सीमा से 6 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा जिलेवार प्रकाशन के डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण सरकारी की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-गुरमाटा 340 मीटर, स्कूल आमेठा 1.25 कि.मी. एवं अस्पताल बिश्रामपुर 5.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 20.0 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित ग्रेट खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – पर्यावरण प्रभावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, माइनिंग लीज क्षेत्र या घोषित नेशनल पार्क/सेंचुरी क्षेत्र स्थित नहीं होना अभिलेखित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खनन की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 200 मीटर, न्यूनतम 180 मीटर तथा खनन एरिया की लंबाई – अधिकतम 950 मीटर, न्यूनतम 830 मीटर, चौड़ाई – अधिकतम 80.12 मीटर, न्यूनतम 68 मीटर दर्शाई गई है। खनन की नदी तट से प्रस्तावित किनारे से दूरी अधिकतम 20 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. **खनन स्थल पर रेत की गहराई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.13 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खनन में माइनेबल रेत की मात्रा – 37,744 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की गहराई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. **खनन क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर दूरी 25 मीटर के फिक्स बिन्दुओं पर दिनांक 18/02/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु परियोजना के समग्र निवेश से पृथक जानकारी निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Anapara (Koreya)	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Plantation	0.05
			Distribution of books to students	0.05

			relating to conservation and protection of environment	
			Total	0.69

16. **गैर माइनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 200 मीटर एवं न्यूनतम – 160 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी न्यूनतम 10 मीटर है। खदान की नदी तट से दूरी, नदी के पाट की चौड़ाई का न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिए। अतः माइनिंग प्लान में नदी तट से न्यूनतम 20 मीटर से 50 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 1.824 हेक्टेयर गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है। इस प्रकार रेत उत्खनन का कार्य अधिकतम 3.81 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

17. रेत उत्खनन मेकुअल विधि से एवं नावों का कार्य ठेकेदार द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वर्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का सत्यापन नहीं किया गया है। पुनःपूरित नदी प्रोटो नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. प्रस्तावित खदान (ग्राम–बोरिया) का रकबा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान श्रे–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रस्तावित के आधार पर नदी तट पर कुल 1,200 नग पौधे – 600 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 600 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त मुख्य मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत मार्ग अध्ययन (Situation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) पश्चात् नदी अवस्था, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय जलवायु, जीव एवं वृक्ष जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त की सके।

4. **लीज क्षेत्र की माप का बेसलाईन डाटा –**

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन लीज के बाहर / नदी तट (ढेनी क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 मुण्ड 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जायेगा।

   ii. रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (वर्ष माह के अंतिम सप्ताह/पूर्व) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (ढेनी क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित सिंक बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार मॉनसून–मानसून में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व भार आरोपण) इसी चिह्नित बिन्दुओं पर रेत खाद्य के लेवलिंग (Levels) का भारण किया जाएगा।

iv. रेत खाद्य के पूर्व निर्धारित चिह्नित बिन्दुओं पर रेत खाद्य के लेवलिंग (Levels) के भारण का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आकड़े अप्रैल 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एम.डी.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

8. समिति द्वारा विचार किया गया खनिज पर्यावरणीय ने की द्वितीय कुलदीप गुप्ता, एफ–1, कोरेगा सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 1838, ग्राम–कोरेगा, तहसील व जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 1.874 पर्सेन्टेज क्षेत्र कम करने पर 3.81 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन प्रतिबन्धन 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 37,500 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में चारों तरफ का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग पॉइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

9. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवैध माईनिंग क्षेत्र का सीमा पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/06/2020 को संपन्न 44वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरान्त प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय ने समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए श्री दिलीप कुमार गुप्ता, एफ–1, कोरेगा सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 1838, ग्राम–कोरेगा, तहसील व जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 1.874 पर्सेन्टेज क्षेत्र कम करने पर 3.81 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन प्रतिबन्धन 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 37,500 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

तदिशानुसार प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

19. केसर्स श्री दिलीप कुमार गुप्ता (एफ–2 कोरेगा सेण्ड माईन, ग्राम–कोरेगा, तहसील व जिला–सूरजपुर), तहसील व जिला–कबीरधाम (अधिकारिक का नस्ती क्रमांक 1208)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एमआईए /सीजी /एमआईएन / 148716/2020, दिनांक 03/03/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (लीज खनिज) है। यह खदान ग्राम–कोरेगा, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1711, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन पुनर्भरण नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अधिकतम उत्खनन मात्रा–47,400 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(ख) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि—

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, कम्पास से रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के लेवल्स (Levels) का भी सर्वे किया जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्मित किये जावें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में अक्षांश, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उनके सहित विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

3. चयनित से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 50 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुल क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर नक्शे पर दर्शाकर, इसका उत्खनन माइनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जावे। खदान की खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नीचे एवं सहित विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं अन्य आपूर्ति स्रोत की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर, उसका नीचे पर सीमांकन तथा माइनिंग प्लान में इस संबंध उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर तात्कालिक में उपलब्ध रेत की मोटाई आंकने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, सहित विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्मति निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मति निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पूर्वानुमोदन की अवधान स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी सहित विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रावधान प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं पर्यावरण प्रबन्धक की सहायता से पेड़ के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध समस्त सुचनाएं जानकारी / डेसक्रीप्शन (प्रावधान फॉर्मेटानुसार) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं पर्यावरण प्रबन्धक के एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 324वीं बैठक दिनांक 28/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु की सूचीत उपस्थित, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा चाही, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – पेड़ उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोरिया का दिनांक 20/06/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **विस्थापित/पीएवीयू** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह स्थान विस्थापित/पीएवीयू का नहीं है।

3. **पर्यावरण क्लीयरेंस** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 2347/खनिज/2020 कोरिया, बैकुण्ठपुर दिनांक 05/03/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3827/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 04/03/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर कार्यरत खदान का खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3819/खनिज/सीबिट/2019 सूरजपुर, दिनांक 04/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्ताव खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे आवासीय, स्कूल, पुल, बांध, पुलिया एवं अन्य आबादी आदि अधिसूचित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.डी.आई. का विवरण** – एल.डी.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3480/सी.डब्ल्यू./एल.डी./एल.डी./2019 सूरजपुर, दिनांक 18/02/2020 द्वारा जारी की गई, पिछली अवधि 3 वर्ष हेतु मांगा है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपवनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर उपवनमंडल, जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक / क्षति / 1828 सूरजपुर, दिनांक 27/06/2020 की जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि वन क्षेत्र की सीमा से 6 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संस्थानों की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कोरिया 0.51 कि.मी., स्कूल ग्राम–कोरिया 0.80 कि.मी. एवं अस्पताल निकटतम 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.8 कि.मी. एवं रेलवेस्टेशन 20 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खदान स्थल पर नदी के तट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के तट की चौड़ाई – अधिकतम 120 मीटर, न्यूनतम 115 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 802 मीटर, न्यूनतम 889 मीटर, चौड़ाई – अधिकतम 82.08 मीटर, न्यूनतम 36 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के दक्षिणी किनारे से दूरी अधिकतम 30 मीटर, न्यूनतम 14 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.15 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.75 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 41,400 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे Pits, खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग के प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.1 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु गणनाएं भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान का पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलिंग** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 18/02/2020 को रेत सतह के वास्तविक लेवलिंग (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु कंपनी के सम्पूर्ण निवेश से भरी जानकारी निम्नानुसार प्रस्ताव विस्तृत प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

		Rupees)		(In Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Kurreya	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Running water facility for Toilets	0.05
			Plantation	0.05
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.05
			Total	0.74

18. रेत उत्खनन मैनुअल तिथि से एवं चराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.15 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की आर्थिक रेत पुनःभरण क्षमता अध्ययन कार्य एवं सम्बन्धी अध्ययन का उल्लेख नहीं किया गया है। पुनःपूरण नहीं होती नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवंटित खदान (ब्लाक-कोरिया) का रकबा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थापित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,200 नग पौधे – 600 नग आंवला के पौधे तथा शेष 600 नग (जामुन, कनेर, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इनके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 300 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाधा रहित आकलन, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थलीय वनस्पति, जीव एवं भूजल पौधों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उत्खनित सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।

   ii. रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) में लाईसेंस लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100

मीटर तक तथा लगन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (प्रान्त ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सही पूर्व निर्धारित डिक्र बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. हाथी प्रवास पीरट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारम्भ करने के पूर्व तथा पश्चात्) हाथी डिक्र बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित डिक्र बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पीरट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अप्रैल 2020, 2021, 2022 तक प्रतिवर्ष मार्च से एम.डी.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विन्दु उपरान्त कार्यसमिति के श्री दिलीप कुमार गुप्ता, एक–2, कोरेगा सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 2211, ग्राम–कोरेगा, तहसील व जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशिनों द्वारा (Manually) की जायेगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से नोडिंग पाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जायेगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/06/2020 को सम्पन्न 88वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नदी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरान्त प्राधिकरण द्वारा कार्यसमिति में समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री दिलीप कुमार गुप्ता, एक–2, कोरेगा सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 2211, ग्राम–कोरेगा, तहसील व जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

15. मेसर्स श्री राकेश सिंह ठाकुर (सी–2 सतौपारा–3 सेण्ड माईन, ग्राम–सतौपारा, तहसील–अम्बापुर, जिला–सूरजपुर), बिन्दौरा नगर, तहसील व जिला–बिलासपुर (संचालक का पत्नी क्रमांक 1258)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एक्सआईए /सीजी /एम्लाईडन / 140000 / 2020, दिनांक 13/03/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (सैण्ड माईनिंग) है। यह खदान ग्राम–सतौपारा, तहसील–अम्बापुर, जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1, कुल लीज क्षेत्र 4.00 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मशीन से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–81,236 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की जांची एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात कार्यवाही के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. पिट उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर चौड़ा 25 मीटर का पिट बनाकर, वर्तमान में रेत स्तर के लेवल्स (Levels) लेकर पिट मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (टोन्ट ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी उल्लेख किया जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क्स (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परेरी बेंच मार्क्स (TBM) के आर.एल. को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। पिट मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क्स (TBM) को भी प्रदर्शित कर, उसे अधिकृत विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / प्रस्तावित प्रस्तुत किये जावें।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जाना है। यदि इनके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अंकित कर के कराया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र का नीचे पर अधिकृत विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति योजना की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर, धरातल नीचे पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।

5. पिट उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्षोपरान्त में उपलब्ध रेत की मोटाई आंकने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का आकलन कर, अधिकृत विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। पिट की वास्तविक गहराई हेतु फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किया जावे।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण सम्मति निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मति निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में उनसे प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनर्वास की वर्तमान स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों के लिए नए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक की उपस्थिति में रेत के लेवल (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आवेदी पक्ष की आवेदित क्षेत्रफल में उपलब्ध सम्पदा सूचीबद्ध जानकारी / वस्तुनिष्ठ (प्रमाण फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/09/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 334वीं बैठक दिनांक 28/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश सिंह ठाकुर, प्रोपराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सारीपाली का दिनांक 20/08/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **विभाजित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विभाजित/सीमांकित नव घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – पर्यावरण प्रबंधन प्रस्तुत किया गया है जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 2344/खनिज/2020 कोरिया, बैकुण्ठपुर दिनांक 05/03/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3588/खनिज/2020 सूरजपुर दिनांक 04/03/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3588/खनिज/2020 सूरजपुर दिनांक 04/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एन.ओ.आई. का विवरण** – एन.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3472/पी.सी.ए./टी.सी./म.क्र.22/2019 सूरजपुर दिनांक 18/02/2020 द्वारा जारी की गई, शिकायती आपत्ति 3 वर्ष हेतु लिए हैं।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्धारित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-सारीपाली / सारीपाल 0.32 कि.मी. स्कूल सारीपाली 780 मीटर एवं अस्पताल प्रतापपुर 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.4 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित रेत खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक / वा.वि / 1532 सूरजपुर, दिनांक 27 / 05 / 2020 का जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित भूमि वन क्षेत्र की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – पर्यावरण प्रभाव आकलन द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉलुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 210 मीटर, न्यूनतम 180 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 554 मीटर, न्यूनतम 546 मीटर, चौड़ाई – अधिकतम 85.77 मीटर, न्यूनतम 84 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी अधिकतम 25 मीटर, न्यूनतम 20 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.17 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.15 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 51,306 घन्मीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत स्तर की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.17 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंजीयन भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह की लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर पुनः 25 मीटर के क्रिस क्रिस्ड्स पर दिनांक 18 / 02 / 2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग के प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु राशि के लिए विभाग के वर्ष आवंटन निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40.94	2%	0.81	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Digdigwapara	

			(Sattipara)	
			Rain Water Harvesting System	0.85
			Running water facility for Toilets	0.10
			Plantation	0.05
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.05
			Total	1.05

16. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं मजदूरों का कार्य ठेकेदार द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.15 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तकनीकी आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है। मालूम नहीं पड़ती नदी है तथा इसमें बारिश में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार किया जाकर उपरोक्त कार्यवाही के निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

1. आवेदित खदान (माइन-क्षेत्र) का रकबा 4.99 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर का पाया जाने होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – उपलब्धता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,500 नग पौधे – 750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 750 नग (जामुन, कदम, काला जाम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खनन क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाधा नहीं आकर, रेत उत्खनन का नदी, नहीं तल, स्थानीय जलचरों, जीव एवं वन्य जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का केलसाईन करना –**

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 मुण्ड 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।

   ii. रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (नई गाद के अंतिम बरसात/पानी) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100

मीटर तक के क्षेत्र में नदी तलहटी के स्तरों (Levels) का सही पूर्व निर्धारित फिक्स बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारम्भ करने के पूर्व तथा उपरान्त) इन्हीं फिक्स बिन्दुओं पर रेत खदान के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत खदान के पूर्व निर्धारित फिक्स बिन्दुओं पर रेत खदान के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एम.डी.आई.टी.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार किया गया उपग्रह सर्वेक्षणकर्ता से श्री राकेश सिंह ठाकुर, सी-2 सालीपाल-3 सेल्फ माईन, खसरा क्रमांक 31, ग्राम-सालीपाल, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.96 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 49,600 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशिनों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) की लोडिंग साईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/08/2020 की लगभग 84वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नदी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वेक्षणकर्ता से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री राकेश सिंह ठाकुर, सी-2 सालीपाल-3 सेल्फ माईन, खसरा क्रमांक 31, ग्राम-सालीपाल, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.96 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 49,600 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

20. मैसर्स श्री गजेन्द्र सिंह (ई-1 बंशीपुर सेल्फ माईन, ग्राम-बंशीपुर, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर), टिकरमारा, तहसील व जिला-धमतरी (खनिपालस का गस्ती क्रमांक 1204)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 148832/2020, दिनांक 16/03/2020।

प्रकरण का विवरण – यह प्रकरणाधीन रेत खदान (माइनर मिनरल) है। यह खदान ग्राम-बंशीपुर, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1480, कुल लीज क्षेत्र 4.96 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी के किनारे स्थित प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-49826.08 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 16/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की मंशानी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 500 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के लेवल्स (Levels) का भी सर्वे किया जावे। तत्पश्चात लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क्स (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परेरी बेंच मार्क्स (TBM) में आरएल, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क्स (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें सक्षम विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 50 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुल क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर सक्षम विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आवृत्ति संबंधित की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त प्रावधान पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का भरान कर, सक्षम विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

6. यदि पूर्व में आवंटित रूपा पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण मूल्यांकन निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व में संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की मात्रात्मक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं पर्यावरण प्रबंधक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आपसी मेल की आवश्यक बैठक में लगातार अथवा दूरभाष जानकारी / चर्चा (लगातार फोलोअप्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं पर्यावरण प्रबंधक के एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष दिनांक 23/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 324वीं बैठक दिनांक 26/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु की गयी सिंह, प्रोपराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा कंपनी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बंशीपुर का दिनांक 26/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **जिलाधिकारी/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा के प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार मात्र खदान जिलाधिकारी/सीमांकित का घोषित है।

3. **जलवायु योजना** – माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, (खनिज शाखा) जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 2338/खनिज/2020 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 08/03/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 3615/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 04/03/2020 के अनुसार प्रस्तावित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3813/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 04/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि के अंदर की सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एम.ओ.आई. का विवरण** – एम.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3474/सी.एम.टी./रिजी/एम.ओ.यू./2019 सूरजपुर, दिनांक 19/03/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 02 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-बंशीपुर 0.44 कि.मी. मीटर, स्कूल बंशीपुर 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल भास्की 2.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21.8 कि.मी. एवं राज्य मार्ग 7.0 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपजिलाधिकारी, सूरजपुर उपखण्ड, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक / भू.नि./2020 सूरजपुर, दिनांक 27/06/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि वन क्षेत्र की सीमा से 0.28 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **पर्यावरणीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, अन्तर्राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र किसी नहीं होना प्रतिपादित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 280 मीटर, न्यूनतम 130 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 440 मीटर, न्यूनतम 410 मीटर, चौड़ाई – अधिकतम 128.50 मीटर, न्यूनतम 108 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के उत्तरी किनारे से दूरी अधिकतम 125 मीटर, न्यूनतम 6 मीटर एवं दक्षिणी किनारे से दूरी अधिकतम 25 मीटर, न्यूनतम 14 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.15 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान से माईनेबल रेत की मात्रा – 42,829 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर अधिकतम से अधिकतम रेत सतह की मोटाई वाले के लिए प्रस्तावित स्थल पर 06 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसकी अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.15 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु चेकलाग भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत माफ के लेआउट** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के विस्तृत बिन्दुओं पर दिनांक 20/02/2020 को रेत माफ के वास्तविक लेआउट (Layout) लेकर, वन्यी खनिज विभाग के प्रमाणीकरण उपरांत कोऑर्डिनेशन सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष निवेश से सभी उपयोग निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

41.20	2%	0.824	Following activities at Nearby Government Naveen Middle School Kodwaripara Village-Banshipur	
			Rain Water Harvesting System	0.91
			Plantation	0.10
			Total	1.01

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 280 मीटर एवं न्यूनतम – 130 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के उत्तरी किनारे से दूरी अधिकतम 125 मीटर, न्यूनतम 6 मीटर एवं दक्षिणी किनारे से दूरी अधिकतम 25 मीटर, न्यूनतम 14 मीटर दूरी है। खदान की नदी तट से दूरी, नदी के पाट की चौड़ाई का न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिए। अतः माईनिंग प्लान में नदी तट उत्तरी किनारे से दूरी न्यूनतम 14 मीटर एवं दक्षिणी किनारे से दूरी न्यूनतम 13 प्रतिशत उल्लंघन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 3.5ha वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इस प्रकार रेत उत्खनन का कार्य अधिकतम 4.62 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

17. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 5.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुसंशित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन करने एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी छोटी नदी है तथा इसमें उत्खनन से अधिकतम 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार किया उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. प्रस्तावित खदान (ग्राम–बंशीपुर) का रकबा 4.62 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रावधानिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,200 नग पौधे – 600 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 600 नग (जामुन, कर्रंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त वहृक्ष मार्ग पर 600 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत साइट अध्ययन (Situation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, भूजल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त की जाये।

4. **खनन क्षेत्र की स्थाई का बेसलाईन डाटा** –

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी स्थाई के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। जगदीकरा सभी नदी स्थाई के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।

ii. रेत खनन के उपरान्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) में माइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (रिवरी बेड) से 500 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के भारी (Levels) का सभी पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार पीक-मानसून में रेत उत्खनन प्रारम्भ करने के पूर्व माह अक्टूबर इसी चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जायेगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य अगामी 3 वर्ष तक निरन्तर किया जायेगा। पीक-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े जनवरी 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री चन्द्रजीत सिंह, ई-1 बंशीपुर सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 1165, ग्राम-बंशीपुर, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.98 हेक्टेयर में से नॉन माईनिंग क्षेत्र 2.508 हेक्टेयर क्षेत्र कम करने पर 4.82 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 48,500 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, अगले दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशिनों द्वारा (Manually) की जायेगी। रिवर बेड (River Bed) में पानी जाकर्ने का प्रबंध प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में किसी भी खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से माईनिंग प्लाईट तक रेत का परिवहन ट्रेक्टर ट्रॉली द्वारा किया जायेगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरान्त ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जायेगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/08/2020 को सम्पन्न 88वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री चन्द्रजीत सिंह, ई-1 बंशीपुर सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 1165, ग्राम-बंशीपुर, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.98 हेक्टेयर में से नॉन माईनिंग क्षेत्र 2.508 हेक्टेयर क्षेत्र कम करने पर 4.82 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 48,500 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, अगले दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

21. मेसर्स दीपती सीतादेवी अग्रवाल (बांगो सेण्ड माईन, ग्राम-बांगो, तहसील-पोंड़ी उपरोड़ा, जिला-कोरबा), कटघोरा, जिला-कोरबा (प्राधिकरण का नस्ती क्रमांक 1280)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 148516/2020 दिनांक 12/07/2020।

प्रकरण का विवरण – ग्राम प्रस्तावित रेत खदान (मीन खनिज) है। यह खदान ग्राम–बांगरे तहसील–पोड़ी उपरोड़ा, जिला–बलौदा बाजार पार्ट अप्रूव खसरा क्रमांक 382, कुल लीज क्षेत्र 4.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन हसदेव नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवंटित उत्खनन क्षमता – 06,200 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2026:

समिति द्वारा प्रकरण की गहनी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपरान्त **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, कार्यालय में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। इसकी अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों छोर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के लेवल्स (Levels) का भी सही लिया जावें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में अक्षांश, को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उनकी खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
3. नदीघाट के उत्खनन की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुल क्षेत्र में उत्खनन किया जाना सम्भव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जावें। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नीचे पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो मानचित्र आधार पर उत्खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका नीचे पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का आंकन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु क्रासलाइन भी प्रस्तुत किया जावें।
6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन

में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनर्वनरोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. यदि निरीक्षक एवं परिवीक्षण प्रमाणपत्र को खदान में रत्न की लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सूचनाएं जानकारी / दस्तावेज (प्रमाण फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार यदि निरीक्षक एवं परिवीक्षण प्रमाणपत्र को एम.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रपत्र दिनांक 23/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 324वीं बैठक दिनांक 28/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुशील कुमार नायर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पहली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – पेट उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खोपी का दिनांक 02/06/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **विन्यासित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्यासित/सीमांकित की जाकित है।

3. **उत्खनन योजना** – माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो वन संरक्षक, (खनि शाखा) जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 801-02/खनि-6/2020 कोरबा, दिनांक 06/03/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 797/खनि-02/रेत की (खोदी)/ग.क. 15/2019 कोरबा, दिनांक 06/03/2020 के अनुसार प्रस्तावित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 796/खनि-02/रेत की (खोदी)/ग.क. 15/2019 कोरबा, दिनांक 06/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एस.डी.आई. का निरसन** – एस.डी.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 49/खनि-03/रेत की (खोदी) ग.क. 15/2019 कोरबा, दिनांक 20/02/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्गत प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बांगो 0.52 कि.मी., स्कूल ग्राम–बांगो 0.52 कि.मी. एवं अस्पताल पोखरी–उपरौरा 3 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.3 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/दर्शनीय स्थल नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – पर्यावरण प्रभावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आर्द्रभूमि सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या पोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसतन 630 मीटर तथा खनन स्थल की लम्बाई – 138 मीटर, औसतन चौड़ाई – 275 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी 50 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की गहराई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,56,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (pits) खोदकर उसमें वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 4 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

   i. पूर्व में स्वर्गीय साग पंचायत बांगो के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 385, क्षेत्रफल 4.0 हेक्टेयर, मात्रा–1,56,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन निर्देशन प्राधिकरण, जिला–कोडरमा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18/03/2019 के द्वारा जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गत अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोडरमा के ज्ञापन क्रमांक 344/खनि.03/रेत की(बांगो)/ने.अ.02/2018 कोडरमा, दिनांक 05/03/2020 के अनुसार वर्ष 2017–18 में 35,400 घनमीटर, 2018–19 में 44,800 घनमीटर एवं 2019–20 में 42,300 घनमीटर उत्खनन किया गया है।

   iv. निर्धारित मानकानुसार भुगतान नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के क्षेत्रफल** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25

मीटर से रिक्त हिस्सों पर दिनांक 13/02/2020 को पेड़ लगाए के अतिरिक्त लेमलता (Lemna) लेकर, जिसे सहमति विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त परियोजना संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति की सभा विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
53.40	2%	1.06	Following activities at Nearby Government Primary School **Village-Bango**	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Potable Drinking water Facility	0.20
			Plantation	0.20
			Total	**1.10**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि फाइल निर्देशन के उपरान्त सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. रेत उत्खनन निम्नुसार विधि से एवं गहराई का कार्य लीजधारक द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमतित उत्खनन क्षेत्रफल में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी प्रमाणों का सत्यापन नहीं किया गया है। इसलिए नदी बची गयी है तथा इसमें जलीय जीवों में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई के अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. प्रस्तावित खदान (ग्राम-बांगो) का रकबा 4.5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान श्रेणी-ए श्रेणी की मानी गयी।

2. **पुनर्वनरोपण कार्य** – प्रस्तावित के अनुसार पट्टा गयी तट पर कुल 2,000 नग पौधे – 1,000 नग आंवला के पौधे तथा शेष 1,000 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त खुले मार्ग पर 250 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक ने खदान क्षेत्र में अगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत पाल अध्ययन (Dilation Study) कराया गया, जिसमें रेत के पुनर्भरण (Replenishment) कारक नहीं

आकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, कानूनी वनस्पति, जीव एवं मृदा जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह / जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 500 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के चार्ट (Levels) का कई पूर्व निर्धारित फिक्स बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (जिस उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्ही फिक्स बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित फिक्स बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. कमीशनर को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से श्रीमती सीतादेवी अग्रवाल, बालू लीज माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 382, ग्राम–कांगा, तहसील–पोड़ी उपरोड़ा, जिला–कोरबा, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 73,500 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लीकिंग चाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जायेगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/08/2020 को सम्पन्न 98वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा गहराई का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्रीमती सीतादेवी अग्रवाल, बालू लीज माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 382, ग्राम–कांगा, तहसील–पोड़ी उपरोड़ा, जिला–कोरबा, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 73,500 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

पर्यावरण प्रभावांक की पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

22. मैसर्स श्री मनीष कुमार सिन्हा (खदान लीज माईन, ग्राम–उरदा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा), मठहनी भांठा, तहसील व जिला–महासमुंद (अधिसूचना का नवमी क्रमांक 1282)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी /एमआईएन / 144806/2020, दिनांक 12/05/2020।

प्रकरण का विवरण – नदीय रेत खदान (मीन मटेरियल) है। यह खदान ग्राम–उरदा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1288, कुल लीज

क्षेत्र 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन प्रस्ताव नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आकलित उत्खनन क्षमता – 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की चर्चा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपलब्ध **दस्तावेजों से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, सर्वेक्षण में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 500 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के लेवल्स (Levels) का भी लेवे किया जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्मित किये जावें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में अक्षांश, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

3. नदीगर्भ से खदान की गहराई की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इनके अनुसार खदान के कुल क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी कारण सहित चर्चा कर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस संबंध उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर सर्वेक्षण में उपलब्ध रेत की मात्रा जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु खाता खोल उपलब्ध अनापत्ति निर्धारण प्राधिकरण (एम.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं आवंटित खदानों के मामले में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पूर्वानुमोदन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निदेशक एवं भूविज्ञान प्रभागाध्यक्ष को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) देने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आपकी मात्रा की आवश्यक बैठक में उपस्थित संबंधित सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निदेशक एवं भूविज्ञान प्रभागाध्यक्ष को एन.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 324वीं बैठक दिनांक 26/05/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गणेश कुमार सिन्हा, प्रोपराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत तरदा का दिनांक 28/06/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार पट्टा खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – यथोचित योजना प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक, (खनि शाखा), जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 622/खनि-4/2020 कोरबा, दिनांक 09/03/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 820/खनि-03/रेत मी.(तरदा)/ग.क. 15/2019 कोरबा, दिनांक 09/03/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 818/खनि-03/रेत मी. (तरदा)/ग.क. 15/2019 कोरबा, दिनांक 09/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं उक्त आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का निरसन** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 51/खनि-03/रेत मी.(तरदा)/ग.क. 17/2019 कोरबा, दिनांक 20/02/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु थी।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संस्थानों की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–लपटा 0.8 कि.मी., स्कूल ग्राम–लपटा 0.8 कि.मी., एवं अस्पताल ग्राम–लपटा 0.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. दूर है। रेलवेस्टेशन कोरबा 9 कि.मी. की दूरी तक फुल/एयरोड्रम स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – पर्यावरण प्रबंधक द्वारा 10 कि.मी. तक परिधि में आरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या पर्यावरण जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना अभिलेखित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी की घाट की चौड़ाई – अधिकतम 900 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 328 मीटर, अधिकतम चौड़ाई – 125 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी 150 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर पेड़ की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर पेड़ की गोलाई – 3 मीटर तथा पेड़ खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल पेड़ की संख्या – 1,96,000 घनमीटर है। पेड़ उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर अलग-अलग पेड़ मात्रा की गोलाई मापने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार पेड़ की उपलब्ध औसत मोटाई 3 मीटर है। पेड़ की वास्तविक गहराई हेतु नमूनाकन भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**–

    i. पूर्व में खनिज, ग्राम पंचायत लपटा के नाम से रेत खदान क्षमता आकार 1200 मीटरलंबा 4 हेक्टेयर, क्षमता–84,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण संघातता निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरबा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 22/06/2018 के द्वारा जारी दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ अवलोकन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

    iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के आदेश क्रमांक 1417/खनिज/रेत नी.(लपटा)/भू.रा.वि./2019 कोरबा, दिनांक 06/08/2020 के अनुसार वर्ष 2016–17 में 34,500 घनमीटर, 2017–18 में 40,500 घनमीटर, 2018–19 में 54,000 घनमीटर एवं 2019–20 में निरंक उत्खनन किया गया है।

    iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत भराव के लेआउट** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल की अधिकतम तथा औसतन में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर चौड़ा 25 मीटर के बिच किनुडी पर दिनांक 05/03/2020 को रेत भराव के वर्तमान लेआउट (Layout) लेकर, उन्हें खनिज विभाग के प्रमाणीकरण उपरांत कोन्टेक्टरान सहित अभिलेखों/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
44.52	2%	0.89	Following activities at Nearby Government School Village- Tarda	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Plantation	0.20
			Total	0.90

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि स्थल निरीक्षण के उपरान्त सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. पेट्रोलियम मिनरल रिलीज के एवं चढ़ाई का कार्य लीज द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःपूरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का सम्मिलित नहीं किया गया है। इसमें यह नहीं कही गयी है तथा इसमें बर्सात में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःपूरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यसूची के निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. प्रस्तावित खदान (ग्राम–टार्डा) का रकबा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रावधिकता के आधार पर नयी खदान पर कुल 2,000 नग पौधे – 1,000 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,000 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त बफर जोन में 400 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खनन क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गहन अध्ययन (Detailed Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) कारक सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, पारितंत्र जीव एवं वृक्ष जीवों का प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त की जाये।

4. **लीज क्षेत्र की चारों का बेसलाईन डाटा** –

i. परियोजना प्रबंधन द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर के ग्रीडिंग (Grid) में किया जाएगा।

ii. रेत खनन के उपरांत बालसूत्र से पूर्व (पई माह के अंतिम सप्ताह/जून) में माईनिंग क्षेत्र सेंड तथा क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व तथा तत्पश्चात् इसी चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अप्रैल 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एम.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को उपलब्ध किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार किया गया उपरांत सर्वसम्मति से श्री मनीष कुमार सिन्हा, तत्पश्चात सेण्ड माईनिंग पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1268, ग्राम-तरदा, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशिनों द्वारा (Manually) की जायेगी। रिवर बेड (River Bed) में बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से अतिरिक्त पानी तक रेत का परिवहन टेक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/08/2020 को संपन्न 98वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार बिन्दु उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए श्री मनीष कुमार सिन्हा, तत्पश्चात सेण्ड माईनिंग पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1268, ग्राम-तरदा, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रबंधक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

23. मेसर्स श्री आशीष सलूजा (लाफिनखुर्द सेण्ड माईन, ग्राम-लाफिनखुर्द, तहसील व जिला-महासमुंद), सीपत रोड सरकंदा, जिला-बिलासपुर (कार्यालय का नस्ती क्रमांक 5208)

ऑनलाईन आवेदन – उपरोक्त मामला – एसआईए / सीजी /एमआईएन / 149411/2020, दिनांक 17/02/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मैनिल खनिज) है। यह खदान ग्राम–लाकिनखुर्द, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 2480 कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन बालाई नाला (नदी) से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अपेक्षित उत्खनन क्षमता –55,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 18/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की पात्रता एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपस्थित **कार्यकारियों से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर चौड़ा 25 मीटर का ब्लॉक बनाकर, चयनित में रेत भराव के लेवल्स (Levels) लेकर सिंह मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। तल लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 3 टेम्परारी बेंच मार्क (Constructed TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आरएल, को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। सिंह मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, दाईं खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
3. नदीघाट की खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इससे अनुसार खदान के कुल क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो प्रस्तावी योजना का नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से करना रहे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति संयंत्र की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित है, तो उपलब्ध आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र की आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्षाकाल में बाढ़ग्रस्त रेत की भरपाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।
6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही सुप्रीमकोर्ट की अवमानना निवारी की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की सकारात्मक मात्रा की जानकारी सॉफ्ट फिशन से प्रदर्शित कर कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में डेड के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ जानकारी नाप की आवश्यक बैठक में उपस्थित समस्त पूर्वगत जानकारी / दस्तावेज (प्रमाण कोटेशन) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के समक्ष दिनांक 25/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 324वीं बैठक दिनांक 28/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु की अग्रिम पावती, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नियमों, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्रेड उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लोमिन्कुर्रे का दिनांक 11/05/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार गत खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर स्थापित है।

3. **उत्खनन योजना** – नवीनीकृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प.) सर्वेक्षणालय, भौतिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1579/खनि 02/रेत/सा.प्र.अनुमोदन/ख.अ. 19/2020 नया रायपुर, दिनांक 07/05/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 253/क/रेत/ख.अ./2019 महासमुंद, दिनांक 22/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य रेत खदानों की संख्या शून्य है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 253/क/रेत/ख.अ./2019 महासमुंद, दिनांक 22/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, रेल, हवाईअड्डा एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एन.ओ.आई. का विवरण** – एन.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद की ज्ञापन क्रमांक 121/ख.नि./रेत नीलामी/ख.अ./19 महासमुंद, दिनांक 22/01/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्धारित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-पनगोट 0.575 कि.मी., स्कूल ग्राम-लाफिनखुर्द 1.88 कि.मी. एवं अस्पताल महावीपुर 8.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8.65 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10.5 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित ग्रेनाइट खदान की 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 600 मीटर, न्यूनतम 475 मीटर तथा खनन स्थल की लम्बाई – 314 मीटर घोषित – अधिकतम 168.77 मीटर, न्यूनतम 151.71 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी अधिकतम 70 मीटर, न्यूनतम 60 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4.15 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर बताई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 85,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई पर भरपाई कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.15 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु मॉनिटरिंग भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत भराव के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के आसपास तथा पारावर्ती में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 06/02/2020 को रेत भराव के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत कोऑर्डिनेट्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार निम्नुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
70.50	2%	1.41	Following activities at Nearby Government Higher Secondary School Village-Lafinkhurd	

			Rain Water Harvesting System	1.53
			Plantation	0.05
			Total	**1.58**

16. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं मशीनों का प्रयोग अलग द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की अधिक रेत पुनःभरण संबंधी आवेदन कार्य एवं तत्संबंधी अध्ययनों का सम्पादन नहीं किया गया है। यमुनाई नाला (नदी) छोटी नदी है तथा इसमें उत्खनन में लगभग 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम–जाजिनचुवां) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,500 नग पौधे – 750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 750 नग (जामुन, करंज, धौंस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त वहृक्ष मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (**Siltation Study**) करायेगा ताकि रेत के पुनःभरण (**Replenishment**) वाले नदी अभिक्षेत्र, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, क्रवारीय उत्खनन, जीव पर मूल जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की पुनःप्राप्ति पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (**Levels**) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (**Levels**) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर के अन्तराल (**Grid**) में किया जायेगा।

   ii. रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (नई गाद के अतिरिक्त भराव/भूमि) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (**Levels**) का सर्वे पूर्व निर्धारित फिक्स बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व मार्च अक्टूबर) इन्हीं फिक्स बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (**Levels**) का मापन किया जायेगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित फिक्स बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (**Levels**) के मापन का सर्वे आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के अक्टूबर दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के अप्रैल–मई 2020, 2021, 2022 तक अभिकर्ता मय से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार निर्णय उपरांत सर्वसम्मति से श्री आदित्य राठौड़, लाफिनखुर्द सैण्ड माईन, खसरा क्रमांक 2480, ग्राम–लाफिनखुर्द, तहसील व जिला–महासमुंद, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशिनों द्वारा (Manually) की जाएगी। नियत क्षेत्र (River bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में बिना रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन हैवाय ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/06/2020 को संपन्न 66वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। नियत निर्णय उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए श्री आदित्य राठौड़, लाफिनखुर्द सैण्ड माईन, खसरा क्रमांक 2480, ग्राम–लाफिनखुर्द, तहसील व जिला–महासमुंद, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

24. मैसर्स श्री श्रवण कुमार जायसवाल (भुरकी सैण्ड माईन), ग्राम–भुरकी, तहसील व जिला–महासमुंद) कार्य नं. 7, तहसील व जिला–कोरबा (कार्यालय का पत्रांक 1272)

ऑनलाईन आवेदन – प्रोपोजल नम्बर – एमआईए / सीजी /एमआईएन / 150393/2020, दिनांक 23/05/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मेजर माईनर) है। यह खदान ग्राम–भुरकी, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 588 कुल लीज क्षेत्र 4.8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन बरमाई नदी (नदी) से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता–51,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 122वीं बैठक दिनांक 18/05/2020

समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा पट्टे के क्षेत्र की गोलाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान एवं प्रस्तावित स्थान के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, सर्वेक्षण से रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2' डेम्परडी बेस मार्क (Concrete TBM structure) निर्मित किये जायें। डेम्परडी बेस मार्क (TBM) के अक्षांश, को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाएं। ग्रिड मैप में

टिम्बरी बैक वर्क्स (TBW) को भी उपलब्ध, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/डेस्क्रीप्शन प्रस्तुत किये जाएं।

3. नक्शापट्टे से खदान की सीमा की पूरी न्यूनतम 50 मीटर की पट्टी के पास की सीमाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखे जाने है। यदि इसके अनुसार खदान के कुल क्षेत्र में संरक्षण किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम मुख्य, बाह्य, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोतों की पूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। मुख्य /एनीकट की पूरी नहरों के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि मौके क्षेत्र वास्तविकतानुसार पूरी से अंतर लिया हो, तो उपलब्ध आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, प्रमाण मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मात्रा जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक नमूना (Sample) संग्रहण उसकी वास्तविक गहराई का भाग कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु सत्यापन भी प्रस्तुत किया जावे।

6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्त शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्वारीपिट की अवस्थान स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परिचालन प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलिंग (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आवश्यक बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (प्रस्ताव फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परिचालन प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(अ) समिति की 324वीं बैठक दिनांक 28/05/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भवन कुमार जायसवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विसंगति पाई गई:-

1. **ड्राम पंजीयन का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन की संबंध में ड्राम पंजीयन संख्या का दिनांक 07/11/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **निर्धारित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान निर्धारित/सीमांकित का घोषित है।

3. **खनन योजना** – माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1862/खनि 02/रेत/म.प्र.अनुमोदन/ख.प्र 11/2020 नया रायपुर, दिनांक 17/03/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 284/क/रेत/ख.अ./2018 महासमुंद, दिनांक 03/03/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित ग्राम रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 284/क/रेत/ख.अ./2018 महासमुंद, दिनांक 03/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एन.ओ.आई. का विवरण** – एन.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 123/खनि/रेत नीलामी/ख.अ./18 महासमुंद, दिनांक 20/01/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 02 वर्ष शेष है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक म.नि./1229 महासमुंद, दिनांक 21/03/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण भवनों की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–रानकट्टी 0.4 कि.मी., स्कूल ग्राम–गुरमी 0.75 कि.मी. एवं अस्पताल नगर पंचायत–किरीबुरु 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.8 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – पर्यावरण प्रबंधक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, टाईगर प्रोजेक्ट निर्माण कोई प्राप्त घोषित विरासती डिस्ट्रीक्ट, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन क्षेत्र पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 200

मीटर, न्यूनतम 100 मीटर तथा खनन क्षेत्र की लम्बाई – अधिकतम 893 मीटर, न्यूनतम 800 मीटर चौड़ाई – अधिकतम 58 मीटर, न्यूनतम 41.46 मीटर दर्शाई गई है। खदान की पश्चिमी तट से दूरी अधिकतम 40 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.25 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान से माईनेबल रेत की मात्रा – 51,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर भौतिक रूप से उपलब्ध रेत तथा की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 9 गड्ढे (Pits) खोदकर उनकी वास्तविक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.4 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत खनन के लेबल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के आसपास तथा आसपास में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 08/02/2020 को रेत खनन के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, एवं खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किए गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार में रखी उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40.77	2%	0.81	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Murki	
			Rain Water Harvesting System	0.03
			Plantation	0.10
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.10
			Total	0.83

16. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

12 परिसीमन प्रस्तावक द्वारा 1.25 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं उपलब्धी आंकड़ों का उपयोग नहीं किया गया है। गहराई नाला (नदी) छोटी नदी है तथा इसमें पर्याप्त में लगभग 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-गुरमी) का रकबा 4.8 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रावधिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 पौधे – 750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 250 नग (जामुन, करंज, आंवला, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त खुला मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परिसीमन प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत भाग अध्ययन (Station Study) करायेंगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् नदी जलग्रहण, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय उपसमति, जीव एवं वृक्ष जीवों का प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. परिसीमन प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर के ग्रीडवार (Grid) में किया जाएगा।

   ii. रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के स्तरों (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के स्तरों (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जायेगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अधिकारी जल से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री बालम कुमार अग्रवाल, गुरमी, तेन्द्रा भाईपाल, खसरा क्रमांक 588, ग्राम-गुरमी, तहसील व जिला-महासमुंद, कुल लीज रकबा 4.8 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 48,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति अगले निर्णय से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशिनों द्वारा (Manually) की

जाएगी। जिस बेड (Silo Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लॉकिंग चाइंट तक रेत का परिवहन ट्रेक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकरण की दिनांक 10/06/2020 की संपन्न छठी बैठक में विचार किया गया। प्रतिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार उपरांत प्रतिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री भवन कुमार जायसवाल, मुस्तरी सिंह माईन, खसरा क्रमांक 588, ग्राम-मुरली, तहसील व जिला-महासमुंद, कुल लीज क्षेत्र क्षेत्रफल 4.8 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 48,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

आवेदनकर्ता प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

25. मैसर्स श्री दीपक त्रिपाठी (सेमरिया सोन्ड माईन, ग्राम-सेमरिया, तहसील-बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा) ग्राम-केसकाल पुल, तहसील व जिला-बिलासपुर (संचालक का नस्ती क्रमांक 1202)

ऑनलाईन आवेदन – प्रोपोजल नम्बर – एमआईए / सीजी / एमआईएन / 144864 / 2020, दिनांक 22/02/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मीनर मिनिरल) है। यह खदान ग्राम-सेमरिया, तहसील-बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा स्थित पार्ट लीज खसरा क्रमांक 858/1, कुल लीज क्षेत्र 4.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की प्रतिवर्ष उत्खनन क्षमता – 1,14,750 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 222वीं बैठक दिनांक 18/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्खनन **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर चौड़ा 25 मीटर का क्रिस क्रास करते हुए रेत सतह के लेवल्स (Levels) नक्शे पिट मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के सभी (Levels) का भी मार्क किया जाये। लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 3 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। पिट मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उनके सहित विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 30 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी भरपाई कर, नदी पर अवरोधक, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अभिचित कर की जाना चाहिये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर स्थानिय निकाय से सीमांकन कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 200 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपनिबंधक कार्यालय पत्र प्रदान हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस संबंध उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वार्षिक में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से उपलब्धि जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनरारंभ की अवधि तिथि की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों के लिए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रावधान प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं पर्यावरण प्रभावक को खदान में रेत के लेवलर (Leveler) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ जानकारी मात्रा की अनुमोदित मैप्स में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (विवरण फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं पर्यावरण प्रभावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आदेश दिनांक 23/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(अ) समिति की 324वीं बैठक दिनांक 28/05/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक तिवारी, प्रोपराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुनकुनिया का दिनांक 31/01/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **निस्तारित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा के प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान निस्तारित/सीमांकित घोषित है।

3. **खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है जो जय संघटनम् (प्रा. लि.), जिला–बिलासपुर के प्रापण क्रमांक 1288/2/खनि/रेत/खनन प्लान/2020 बिलासपुर, दिनांक 17/02/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के प्रापण क्रमांक 1487/खनि/सीन–1/2020 बलौदाबाजार, दिनांक 06/02/2020 के अनुसार प्रस्तावित खदान से 500 मीटर के भीतर आवेदित अन्य रेत खदानें की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के प्रापण क्रमांक 1555/खनि/सीन–1/2020 बलौदाबाजार, दिनांक 06/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के प्रापण क्रमांक 1386/भौ. खनिज/नीलामी/म.क/2019 बलौदाबाजार, दिनांक 26/12/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु दिया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2016 द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सर्रीपाली 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–सर्रीपाली 1.25 कि.मी. एवं अस्पताल कलगांव 10.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 26.1 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7.5 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित उक्त खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या संरक्षित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 1280 मीटर, न्यूनतम 1075 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 350 मीटर, न्यूनतम 300 मीटर, चौड़ाई – अधिकतम 146.7 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी अधिकतम 170 मीटर, न्यूनतम 110 मीटर है।

10. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,14,750 मा.मी.टन है। रेत परिवहन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत स्टाक

की गहराई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर भूजल वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग में प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 4 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पेमाइश भी प्रस्तुत किया गया है।

11. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

12. **खनन क्षेत्र में रेत बाहर के लेखाचित्र –** रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के आसपास तथा अडाप्टींग में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर मुना 25 मीटर के बिंदु बिन्दुओं पर दिनांक 10/08/2020 को रेत खदान के वर्तमान लेआउट (Lease) लेकर, उसे खनिज विभाग में प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) –** भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति की सम्यक विचार के पश्चात निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
59.25	2%	1.18	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Samariya	
			Rain Water Harvesting System	1.07
			Running water facility for Toilets	0.10
			Plantation	0.10
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.05
			Total	1.32

14. रेत उत्खनन स्वीकृति तिथि से एक गहराई तक कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तलवाली आकड़ों का सम्पोषण नहीं किया गया है। महानदी घाटी नदी है तथा इसमें अधिकतम में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की सम्भावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. आवेदित खदान (ग्राम–सेमरिया) का रकबा 4.5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक कम होने से खदान श्रेणी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रार्थियकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,500 नग पौधे – 750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 750 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. पर्यावरणीय प्रभावों के खदान क्षेत्र में आसपास 1.5 कि.मी. में स्थित गठ अध्ययन (Situation Study) कराकर, खनिज रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाधा नहीं डालेंगे, रेत उत्खनन का नदी, पर्यावरण, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं पूरा जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. पर्यावरणीय प्रभावों द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) के 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 मुख्य 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।

   ii. रेत खनन के उपरान्त मानसून के पूर्व (नई मात्रा की अवैध खनन/चोरी) में माइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के आसपास एवं आउटसाईड में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) में 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व तथा उत्खनन) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्रीपोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अप्रैल 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एम.डी.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार निर्णय उपरांत कलेक्टर्स ने श्री दिनेश किस्कोटी, संचालक लीज माईन, पार्ट लीज खसरा क्रमांक 688/1, ग्राम–सेमरिया, तहसील–कसडोराबाजार, जिला–कसडोराबाजार–पाटन, कुल लीज क्षेत्रफल 4.5 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 67,500 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, आगे दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मानवों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी मशीनों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में जिला रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से जेटीडब्ल्यू पाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/06/2020 की उपरान्त 322वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नदी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरान्त प्राधिकरण द्वारा रूपांतरण के समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए श्री दीपक किशोरी, पिता/पति दीपक माईन, वार्ड क्रमांक 02, खाता संख्या 1024/1, ग्राम–पंचरिया, तहसील–कटौरियागंज, जिला–कटौरियागंज–भागलपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.5 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 67,500 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

26. मैसर्स श्री सत्यम यादव (श्री कोट(द) सैन्ड माईन, ग्राम–कोट(द), तहसील–कहलगाँव, जिला–कटौरियागंज–भागलपुर) सुंदर विहार कॉलोनी, बैरहाटी नगर, भिलाई, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1228)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसईआई / सीजी / एमआईएन / 147080/2020, दिनांक 04/03/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मीनर माईनर) है। यह खदान ग्राम–कोट(द), तहसील–कहलगाँव, जिला–कटौरियागंज–भागलपुर स्थित खाता क्रमांक 1/1, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन ओपन पॉट से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता –60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 10/06/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपस्थित सदस्यगणों के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान एवं प्रस्तावित स्थान के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाएँ। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी पाट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी कई लिया जाये। तथा लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जाएँ। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आक्षांश, को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाएँ। ग्रिड मैप के टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हीं तकनिक विचार से प्रस्तावित्मान उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएँ।
3. एडीटर से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो इसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया

जाये। उपरान्त के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नीचे पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्थल की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खनन के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर तथा जल आपूर्ति स्थल है। यदि जीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त अंकन पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उपरोक्त नीचे पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में राजस्व रेत की भराई जाने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का गणना कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण आकलन निर्देशन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अभिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कृषिरोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विभाग वार्षी के लिए कार्य उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. जांच निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक की मौजूदगी में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आरसी भाग की अपलोडित बैठक में उपलब्ध समस्त सुसंगत जानकारी / प्रमाणित (अद्यतन फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार जांच निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक की एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के समक्ष दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की गयी सभी, अपेक्षित प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोरा(ग) का दिनांक 20/04/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – तहसीलदार, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार मौके पर उत्खनन चिन्हांकित/सीमांकित कर दर्शाया है।

3. **संरक्षण योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप कलेक्टर (राजस्व), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1877/खनि/रेत/संरक्षण प्लान/2020 बिलासपुर, दिनांक 27/02/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कवर्धा–मोहगांव के ज्ञापन क्रमांक 1506/खनि/सीम–1/2020 कवर्धा, दिनांक 07/02/2020 के अनुसार प्रार्थित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कवर्धा–मोहगांव के ज्ञापन क्रमांक 1567/खनि/सीम–1/2020 कवर्धा, दिनांक 07/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि संरचित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **एस.डी.आई. का विवरण** – एस.डी.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कवर्धा–मोहगांव के ज्ञापन क्रमांक 820/एस.डी.आई/सीसीसी/पी.आर./2019 कवर्धा दिनांक 17/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कोट(रा) 0.75 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–कोट 1 कि.मी. कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीयमार्ग 6.5 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पर्यावरणीय/जैवपारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित ईकोसेंसिटिव क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 300 मीटर, न्यूनतम 298 मीटर तथा खनन स्थल की लम्बाई – 410 मीटर, औसतन चौड़ाई – 63 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से गहराई के किनारे से दूरी अधिकतम 30 मीटर एवं न्यूनतम 25 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की गहराई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 80,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर तलीयान में उपलब्ध रेत सतह की चौड़ाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उपरांत वैज्ञानिक गहराई का ज्ञान कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की

गई है। इसके अनुसार पेड़ की उपलब्ध औसत गोलाई 2.75 मीटर है। पेड़ की तत्कालीन गहराई हेतु परन्तुक भी प्रस्तुत किया गया है।

12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–

i. पूर्व में सहायक खान पंजियक कोटा(रा) के नाम से पेड़ खदान खसरा क्रमांक 1/1 क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर, अयस्क–68,000 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तर पर्यावरण सलाहकार निर्देशिका प्राधिकरण, जिला–बारां/झालावाड़–झालावाड़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 14/02/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज) झालावाड़, जिला– बारां/झालावाड़–झालावाड़ के ज्ञापन क्रमांक 1883/टीन–ई/खा/2020 बारां/झालावाड़, दिनांक 13/08/2020 के अनुसार वर्ष 2016–17 में 25,400 मेट्रिक टन, वर्ष 2017–18 में 7,500 मेट्रिक टन एवं वर्ष 2018–19 में निरंक उत्पादन किया गया है।

iv. एम.ई.आई.एल., जयपुर के द्वारा दिनांक 14/10/2019 द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण बोर्ड(रा) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की भी सत्यापन कार्य के साथ पर सत्यापन किया गया है। इसके आधार पर कार्यालय द्वारा वर्ष 2019–20 में 8,820 मेट्रिक टन उत्पादन किया गया है।

v. निर्धारित कार्यप्रणाली उल्लंघन नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में पेड़ काट के लेवल्स** – पेड़ उत्खनन हेतु प्रस्तावित खदान पर 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 01/02/2020 को पेड़ काट के कंटूर लेवल्स (Levels) लेकर, उसी संबंधित विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत कोरोनोग्राम सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु राशि के सम्बन्ध विस्तार से उसी अनुसार निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Kot (Ra)	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking water Facility	0.40

			Running water facility for Toilets	0.40
			Plantation	0.20
			Total	1.50

समिति द्वारा पर्यावरण प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि कंपनी नियमों के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रावधान एक पार्ट में प्रस्तुत किया जाए।

15. रेत उत्खनन नियमावली विधि की पूर्व भराई का कार्य लीज द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

16. पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन मात्रा में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी आंकलन कार्य एवं तकनीकी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। जोक नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा निम्न बिन्दुओं उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

1. आवेदित खदान (खाम-लोत(ए)) का रकबा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में संरक्षित/संवेदनशील खदानें जब कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से ज्यादा कम होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रावधानिकता के अनुसार एक नदी तट पर कुल 1,500 नग पौधे – 750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 750 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 250 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. पर्यावरण प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र से आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत बाढ़ अध्ययन (Situation Study) करायेगा ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) कारक नदी आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं वन्य जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त की जाये।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा रेत खनन के पूर्व माईनिंग लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक के नदी सतह के लेवल्स (Levels) की लिए जायेंगे। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 मुख्य 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।

   ii. रेत खनन के उपरांत फरवरी के पूर्व मिई माह के अंतिम सप्ताह / जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित बिन्दु बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार फीडर–मानसून में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व बाढ़ अवशेषों इन्सी बिंदु बिन्दुओं पर रेत भराव के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत भराव के पूर्व निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर रेत भराव के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक नियमित किया जाएगा। फीडर–मानसून के आगामी दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के अगस्त अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.डी.आई.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

8. समिति द्वारा विचार किया उपरांत सर्वसम्मति से की मौजा पाटन, तो कोट(ए) सेन्ड माईन, खसरा क्रमांक 1/1, ग्राम–कोट(ए), तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय अनुमति, आगे दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढों (Excavation pits) से स्टॉकयार्ड साईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/06/2020 को सम्पन्न हुई बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये की मौजा पाटन, तो कोट(ए) सेन्ड माईन, खसरा क्रमांक 1/1, ग्राम–कोट(ए), तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय अनुमति, आगे दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परिशोधन प्रस्तावक को पर्यावरणीय अनुमति जारी किया जाए।

27. मैसर्स श्री अनिल जैन (डी–1 मलपुरी सेन्ड माईन, ग्राम–मलपुरी, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा), मन्नू चौक, टिकरापारा, बिलासपुर, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का पत्रांक क्रमांक 1294)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 152501 / 2020, दिनांक 04/05/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (सैण्ड माईनिंग) है। यह खदान ग्राम–मलपुरी, तहसील–पलारी, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 502, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान मलपुरी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवंटित उत्खनन क्षमता–1,20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर कुल 25 मीटर का ब्लॉक बनाकर, वर्तमान में रेत भराव के लेवल्स (Levels) लेकर ब्लॉक मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी स्थल के लेवल्स (Levels) का भी लिया जावे। प्राप्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 3 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किए जावें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावे। ब्लॉक मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत कोरेग्राफ्स सहित जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किये जावे।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जाती है। यदि इसके अनुसार खदान को कुछ क्षेत्र में प्रस्तावित किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर प्रदर्शित, इसका डायनेमिक माइनिंग प्लान में अलग से कवर्ड कर प्रस्तुत जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं अन्य आधुनिक स्थल की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र प्रावधानानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो तार्किक आधार पर रखने हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका सीमा पर सीमांकन तथा माइनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जावे।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में अनावश्यक रेत की भराई आने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किया जावे।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर पर्यावरण सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्षेत्रफल की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परिवेशीय प्रबंधक की उपस्थिति में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध सुविधा उपलब्धता / पदस्थापना (प्रावधान पर्याप्तता) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परिवेशीय प्रबंधक को एम.ई.एल.सी., छत्तीसगढ़ के शासन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 303वीं बैठक दिनांक 29/05/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की गयीं कथन, अभिलेख समिति उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मलपुरी का दिनांक 17/01/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **विधायिका/सीमांकन** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान विधायित/सीमांकित कर पाया है।
3. **उत्खनन योजना** – उक्त पट्टा प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 27/खनि/रेत/उत्खनन पट्टा/2020 बिलासपुर, दिनांक 04/05/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1482/खनि/रेत-1/2019 बलौदाबाजार, दिनांक 21/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवेदित क्षेत्र में खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1482/खनि/रेत-1/2019 बलौदाबाजार, दिनांक 21/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एन.ओ.आई. का विवरण** – एन.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1383/सी.खनिज/सीजनरी/एन.ओ./2019 बलौदाबाजार, दिनांक 26/12/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 3 वर्ष हेतु वैध है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-मलपुरी 1.3 कि.मी., स्कूल ग्राम-मिरपुरी 2.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-मिरपुरी 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित रेत खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 880 मीटर, न्यूनतम 850 मीटर तथा खनन स्थल की लम्बाई – 180 मीटर, चौड़ाई – 246 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के पूर्वी किनारे से दूरी अधिकतम 110 मीटर एवं न्यूनतम 80 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की गहराई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,20,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत बारह की गहराई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits), औसतन उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इनके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 4 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु संदर्भ भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

    i. पूर्व में खनिज ग्राम संसाधन मंत्रालय के पत्र की रेत खदान पार्ट अधि. खसरा क्रमांक 502, क्षेत्रफल 3.058 हेक्टेयर, क्षमता–75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संसाधन निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 27/01/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। पूर्व अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

    iii. जिलाधीश कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम–भाटापारा के आदेश क्रमांक 1803/सीए–6/रेत/2020 कबीरधाम, दिनांक 27/08/2020 के अनुसार वर्ष 2016–17 में 43,400 घनमीटर, वर्ष 2017–18 में निरंक, वर्ष 2018–19 में 4,000 घनमीटर एवं वर्ष 2019–20 में निरंक उत्खनन किया गया है।

    iv. निर्धारित शर्तानुसार प्रतिवेदन नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत बारह के जीवमंडल** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर चौड़ा 25 मीटर के बिंदु डिप्लूवर दिनांक 02/01/2020 को रेत बारह की अधिकतम लेवल (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण पश्चात फोटोग्राफ सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किए गये हैं।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के

अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष निवेशक से प्राप्त उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
39.5Cr	2%	0.79	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Gidhpuri	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Potable Drinking water Facility	0.15
			Running water facility for Toilets	0.15
			Plantation	0.10
			Total	0.80

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि उक्त निवेशन के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. रेत उत्खनन निर्धारित तिथि से पूर्व भराई का कार्य लीज़ धारक द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तकनीकी आंकड़ों का सत्यापन नहीं किया गया है। महानदी घाटी नहीं है तथा इसमें वर्षाकाल में परिणामतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा निम्नांकित उपरांत कार्यवाही के निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-मलगुरी) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की दिशा से 500 मीटर की परिधि में स्कूल/संवेदनशील खदानें या कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रावधानिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,000 पौधे – 1,000 नग आंवला के पौधे तथा शेष 1,000 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 100 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खनन क्षेत्र से आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत बाढ़ अध्ययन (Siltation Study) कराकर, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) कारक सही आंकें, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं भूजल जैसे पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त कर सकें।

4. **जीव क्षेत्र की सतह का वैज्ञानिक आंकड़ा –**

i. परियोजना प्रबन्धक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर की ग्रीडवार (Grid) में किया जाएगा।

ii. रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में जिस उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर/ इसी ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत ग्राम-पंचायत से श्री अमित जैन, सी-1 महावीर स्पेक्ट माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 302, ग्राम-महासुमी, तहसील-पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशिनों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र से निकले रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग पाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/08/2020 को संपन्न 363वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वेक्षण्ति से समिति की अनुशंसा को संशोधन करते हुये श्री अमित जैन, सी-1 महावीर स्पेक्ट माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 302, ग्राम-महासुमी, तहसील-पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रबंधक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

28. मेसर्स मोहम्मद कासीम रजा (एम-2 सिकासीम सेण्ड माईन, ग्राम-सिकासीम, ग्राम पंचायत सोंढरा, तहसील-कसडोल, जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा), न्यू हाउसिंग नगर क्षेत्र, पंडरी जिला-रायपुर (संचालक का नस्ती क्रमांक 6300)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी /एमआईएन / 152857 / 2020, दिनांक 10 / 08 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मीनर सहित) है। यह खदान ग्राम–सिलतरा, ग्राम पंचायत मोहतरा, तहसील–डभरा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मशीनरी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता –72,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 19/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपस्थित सदस्यगणों से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान एवं प्रस्तावित स्थान के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर कृष्ण 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत स्तर के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी पाट (दोनों ओर) में 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी स्तर के लेवल्स (Levels) का भी ग्रिड किया जाये। लेवल लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concrete TBM structure) निर्माण किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी प्रदर्शित, जल संसाधन विभाग से प्रमाणीकरण कराकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुल क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उत्खनन माइनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, पाल, एनीकट एवं जल आपूर्ति योजना की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र मानचित्रानुसार दूरी की अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका सीमा का सीमांकन तथा माइनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (पिट) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण आकलन निर्देशन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण आकलन निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अभिलेखित शर्तों के पालन

में की गई कार्रवाई की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रकाशन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की उपखनिज मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का ओ.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परिचालन प्रबंधक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (प्रकाशन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परिचालन प्रबंधक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 320वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु की गई उपस्थित अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – केस उल्लेखित के संबंध में ग्राम पंचायत निपानीपाल का दिनांक 24/10/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा के ज्ञापन प्रमाण पत्र अनुसार पट्टा क्षेत्रफल चिन्हांकित/सीमांकित कर पोस्टिंग है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ले.प्र.), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 38/खनि/रेत/उत्खनन प्लान/2020 बिलासपुर, दिनांक 04/08/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक /1843/खनि /सीम-1/2018 बलौदाबाजार, दिनांक 01/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1841/खनि /सीम-1/2018 बलौदाबाजार, दिनांक 01/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, कॉज़, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 4325/सी.खनिज/नीलामी /न.क./2019 बलौदाबाजार, दिनांक 26/12/2019 द्वारा जारी की गई, नीलामी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्गत आदेश में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–निवारीय 0.236 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–चिकटोला 0.235 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 35 कि.मी. दूर है। अधिसूचित रेल संचालन के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/पुलिया स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अधिसूचित वीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र किसी भी प्रकार स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खनन की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 1160 मीटर, न्यूनतम 1150 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 383 मीटर, अधिकतम चौड़ाई 108 मीटर एवं न्यूनतम 100 मीटर दर्शाई गई है। खनन की नदी तट से पश्चिमी किनारे की दूरी अधिकतम 232 मीटर एवं न्यूनतम 188 मीटर है।

11. **खनन स्थल पर रेत की गहराई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 8 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार खदान से माइनेबल रेत की मात्रा – 32,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वास्तव में उपलब्ध रेत भंडार की गहराई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 04 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.5 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत भंडार के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर पृथक 25 मीटर के मिश्र बिन्दुओं पर दिनांक 11/02/2020 को रेत भंडार के अधिकतम लेवल्स (Levels) लेकर, कार्य खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार के बाद उपरोक्त निम्नानुसार प्रावधान प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Puncentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh

				Rupees)
25	2%	0.50	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Chichpal	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Potable Drinking water Facility	0.15
			Plantation	0.20
			Total	0.75

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि स्थल निरीक्षण के उपरान्त सी.ई.आर. (Corporate Environmen Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

18. रेत उत्खनन निकासी विधि से पूर्व भराई का कार्य लीज द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तकनीकी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। गहरानी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में बहाव्यता 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की सम्भावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवंटित खदान (ग्राम-चिचपाल) का रकबा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में कलेक्ट्रेट/संरक्षित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,200 नग पौधे – 800 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 400 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त खुले मार्ग पर 100 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खनन क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत भार अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) दरों का सही आंकड़ा, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं वहाँ जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का केलाइन स्टाट –**

   i. रेत खनन के उपरान्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तथा तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (ड्रेनेज क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सभी पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर/ इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के स्तरों (Levels) का मापन किया जाएगा।

iii. रेत खनन के पूर्व निर्धारित किए गए बिन्दुओं पर रेत खनन के लेवल (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। फरवरी–मानसून के बाद की दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के बाद की अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एनई–आईएएस प्रारूपिकरण का प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से मौजा–कावीन खाद, एम–2 ब्लॉक–2 सेण्ड माईन, पार्ट ब्लॉक खसरा क्रमांक 01, ग्राम–बिरगोल, तहसील–कवर्धा, जिला–बालोदबाजार–भाटापारा, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशीनों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढा (Excavation pits) से लोडिंग पाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/08/2020 को संपन्न 84वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि खदान की अस्पताल की दूरी 500 मीटर से कम है। अतः अस्पताल के आसपास शासन पुनर्वासन परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाए। विचार विमर्श उपरान्त प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए मौजा–कावीन खाद, एम–2 ब्लॉक–2 सेण्ड माईन, पार्ट ब्लॉक खसरा क्रमांक 01, ग्राम–बिरगोल, तहसील–कवर्धा, जिला–बालोदबाजार–भाटापारा, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही अस्पताल के आसपास शासन पुनर्वासन किये जाने की अतिरिक्त शर्त निहित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

23. मैसर्स श्री अम्बिकाकला (एम–1 कोरेजी सेण्ड माईन, ग्राम–कोरेजी, तहसील–चारामा, जिला–कांकेर, सेक्टर–03, भिलाई, जिला–दुर्ग (खनिजालय का नस्ती क्रमांक 1266)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 151640/2020 दिनांक 17/04/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मेसर्स सहित) है। यह खदान ग्राम–कोरेजी, तहसील–चारामा, जिला–कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 602, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में अवस्थित है। उत्खनन मशीनों से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता–1,16,612.5 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(क) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/09/2020

समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी पूर्व प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात **कार्यसूची से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के तट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खनन एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, गणित में रेत स्तर के लेवल(या Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी पाट के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु फर्म से डन 2 टेम्परारी बेस मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परारी बेस मार्क (TBM) के आरएल, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेस मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उसे खनिज विभाग के प्रमाणीकरण उपरांत कोटेशन सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने।

3. नदीतट की खुदाई की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खुदाई के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अलग से करवाया जाये। खुदाई के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा पर खनिज विभाग से सीमांकन करवाकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं अन्य आधुनिक संरचना की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खुदाई के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त खुदाई पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र की आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर, उसका सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस संबंध उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रतिदिन में उत्खनन रेत की मात्रा जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पत्रावली भी प्रस्तुत किया जाए।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण आकलन निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटेशन सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटेशन सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर अब प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रावधान प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं पर्यावरण प्रबंधक को खदान में रेत का लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आवश्यकता के अनुसार पत्रावली सुनवाई पत्रावली / कम्प्लायंस (अनुपालन) फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं पर्यावरण प्रबंधक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 23/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/06/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अमनदीप सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत प्रपत्रावली का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सिरसौद का दिनांक 06/12/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार ग्राम खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर पाया है।

3. **खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1340/खनिज/खनन की अनु./रेत/2019-20 कांकेर दिनांक 19/03/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 127/खनिज/रेत(मुरूम)/2019-20 कांकेर, दिनांक 28/05/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1239 (सी)/खनिज/रेत(मुरूम)/2019-20 कांकेर, दिनांक 19/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्ताव खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि अधिसूचित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एन.ओ.आई. का विवरण** – एन.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 896/खनिज/रेत(निजी भूमि)/2019 कांकेर, दिनांक 06/01/2020 द्वारा मांगी की गई, जिसकी अवधि 3 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्गत प्रावधान में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-कोटेली 0.7 कि.मी., स्कूल ग्राम-कोटेली 0.8 कि.मी. एवं अस्पताल सरकन्दूरी 3.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.8 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित रेत खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की गहराई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की गहराई – अधिकतम 300 मीटर, न्यूनतम 280 मीटर तथा खनन स्थल की अधिकतम लंबाई – 470 मीटर, चौड़ाई – 154 मीटर बताई गई है। खदान की नदी तट के दूसरे किनारे से दूरी अधिकतम 30 मीटर एवं न्यूनतम 25 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से दूरी नदी के पाट की गहराई तथा 10 प्रतिशत होना चाहिए।

11. **खदान स्थल पर रेत की गहराई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.5 मीटर बताई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,14,512 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर डॉमिन में उपलब्ध रेत सतह की गहराई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**–

    i. पूर्व में सत्यम् ग्राम पंचायत निवासी के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 602, क्षेत्रफल 05 हेक्टेयर, क्षमता–1,25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तर पर्यावरण आकलन निर्देशन प्राधिकरण, जिला– उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 21/03/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 03 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गत अवधान रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

    iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 128/खनिज/रेत(पुष्ट)/2020-21 कांकेर, दिनांक 26/05/2020 के अनुसार वर्ष 2017-18 में 12,949 घनमीटर, 2018-19 में 32,819 घनमीटर एवं वर्ष 2019-20 (दिनांक 16/06/2019 तक) 6,021 घनमीटर उत्खनन किया गया है।

    iv. निर्धारित क्षतिपूरक वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत गहराई के जैवमूल्य** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 19/06/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के

अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु कार्यों के लिए विस्तार से मदों उपबंध निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
52.50	3%	1.58	Following activities at Nearby Government Adim Jati Kalyan Vibhag Middle School Village-Bodeli	
			Rain Water Harvesting System	0.64
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation	0.20
			Total	1.14

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 300 मीटर एवं न्यूनतम 280 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी न्यूनतम 25 मीटर है। खदान की नदी तट से दूरी, नदी के पाट की चौड़ाई का न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिए। अतः माईनिंग प्लान में नदी तट से न्यूनतम 30 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 100 मी.मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इस प्रकार रेत उत्खनन का कार्य अधिकतम 4.99 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. रेत उत्खनन निकुशल विधि से एवं भराई का कार्य लीज़ द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की फ्रीबोर्ड रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं सम्बन्धी प्रपत्रों का सम्लग्नक नहीं किया गया है। गहराई बढ़ाई नहीं है तथा इसमें भविष्य में लगभग 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की सम्भावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त कार्यवाही में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तावित खदान (ग्राम–बोदली) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में क्रियान्वित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान सी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **पुनर्वासपक्ष कार्य** – प्रायोजिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,500 नग पौधे – 1,250 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,250 नग (आमुण, करंज, आम, आंवला आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 1,000 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खनन क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष के निश्चित मार्ग अवलोकन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) कार्य सही आँकड़े रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं मूल जीवों पर प्रभाव तथा नदी के कटाव की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर के ग्रीड (Grid) में किया जायेगा।

   ii. रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तट खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जायेगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जायेगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विषय निर्धारित अपवाह संभावनाओं के भी अध्ययनवश, एस–1 कोटेजी, सोना माईन खसरा क्रमांक 602, ग्राम–कोटेजी तहसील–मालदा, जिला–बालोद कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में से नॉन माईनिंग क्षेत्र 100 कन्सीडर क्षेत्र कम करने पर 4.90 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 14,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, अगले विस्तार में 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशीनों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में निकाले रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में अधिकतम ग्राउंड तक रेत का परिवहन टैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जायेगा।

6. नॉन माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर वानिकी विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने का उपरांत ही वानिकी विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जायेगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/08/2020 की सम्पन्न 84वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नदी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा समेकसमिति की समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये की ओमप्रकाश, एस–1 कोटेजी, सोना माईन खसरा क्रमांक 602, ग्राम–कोटेजी, तहसील–मालदा, जिला–बालोद, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में से

नेट माइनिंग क्षेत्र 100 हजारमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.999 हेक्टेयर क्षेत्र में, खेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 74,000 घनमीटर प्रतिवर्ष के उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, आगे दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

38. मेसर्स इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सकर्रा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (सम्मिलन का नवीन क्रमांक 780)

ऑनलाईन आवेदन –एसआईए/सीजी/सीएफआई/53282/2018, दिनांक 22/09/2020।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–सकर्रा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 753/1, 756/1, 756/2, 756/3, 756/4, 758/1, 759/1, 759/4, 759/7, 766/1, 757/4, 735/(2) से 735/1, 757/3, 754/(2) से 754, 755, 757, 752/(2) से 752, कुल क्षेत्रफल – 7.99 हेक्टेयर (19.49 एकड़) में प्रस्तावित लोह खदान (मेट टाईप लोह खदान) क्षमता– 0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु फाइनल ईआईए रिपोर्ट के साथ आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग व्यय 22 करोड़ होगा।

पूर्व में एसईएसी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 06/05/2019 के द्वारा लोह खदान की बी–1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित श्रेणी अ(ए) लोह खदान का सीआरजेड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु जारी किया गया था।

लोक सुनवाई दिनांक 18/02/2020, दिन बुधवार, समय 12.00 बजे, ग्राम ग्राम–सकर्रा, महानदी लोह खदान, मेसर्स के मुख्य द्वार के सामने तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई प्रक्रिया सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के पत्र दिनांक 12/08/2020 द्वारा प्रेषित किया गया है। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ईआईए रिपोर्ट एक दिनांक 22/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

तत्पश्चात परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के प्रपत्र दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 28/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिनेश कुमार जैन, डायरेक्टर एवं श्री सोनी जैन, प्रेसीडेंट उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवीन, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. यह प्रस्तावित परियोजना एक मेट टाईप लोह खदान है, जो हेवी मिनिरल माइनिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। ग्राम–सकर्रा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 753/1, 756/1, 756/2, 756/3, 756/4, 758/1, 759/1, 759/4, 759/7, 766/1, 757/4, 735/(2) से

735/1, 737/2, 754/(2) से 754, 755, 757, 762/(2) से 762, कुल क्षेत्रफल – 7.88 हेक्टेयर (19.48 एकड़) में प्रस्तावित है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम-जकार्ता 1.8 कि.मी. एवं बिलासपुर शहर 11.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन पकरिया 8.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. है। अरपा मेन 2.5 कि.मी., सोंढा नदी 2 कि.मी., परियारी नदी 8.2 कि.मी. तथा आरंग नदी 9.3 कि.मी. की दूरी पर है।

- पर्यावरण प्रभावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. प्रारंभ तथा अंत कार्यक्रम का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – भूमि की स्वामी मेसर्स डायरेक्टर, मेसर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है। जिसमें प्लांट 3.9 एकड़, बी-कोल, साईन कोल, स्टॉकिंग एवं रिक्लेमेशन रोड कार्ड 4.5 एकड़, अन्य कंस्टिट्यूशी (आंतरिक मार्ग, डब्लू.टी.पी., रोड कवरेज आदि) 2.45 एकड़ एवं ग्रीन बेल्ट 8.64 एकड़ (44.33 प्रतिशत) में प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 19.48 एकड़ (7.88 हेक्टेयर) है।

5. **बी-मटेरियल** – बी-कोल 0.88 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन किया जाएगा। वाशड कोल 0.782 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं रिजेक्ट्स कोल 0.108 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। बी-कोल एस.ई.सी.एल. कोरबा के पहलवारा डिपो, गेवरा, कुसमुंडा से आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल क्रशर इकाई, स्टोरी क्रेकर एवं वाशिंग प्लांट में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बैग फिल्टर की स्थापना किया जाएगा। सभी कोल कन्वेयर बेल्ट्स को ढंका जाकर बैग फिल्टर लगाया जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों ओर 3 मीटर ऊँची पक्की कंपाउण्ड वॉल का निर्माण तथा उसके ऊपर 3 मीटर ऊँची विरल प्लांटेशन स्क्रीन तथा रेल गन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही डस्ट सप्रेशन / म्यूनिसिपल डस्ट कलेक्शन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – जिंदगी रिजेक्ट्स लगभग 0.108 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि कोल क्रशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को मेसर्स गुप्ता एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-गुढ़ा, जिला-बलौदाबाजार, महाराष्ट्र में स्थापित कोल रिजेक्ट्स बेस्ड थर्मल पॉवर प्लांट में उपयोग हेतु निकाल किया जाएगा। उक्त पॉवर प्लांट में सी.एफ.बी.सी. बॉयलर (Boiler) स्थापित है। संयंत्र में उद्योग से एस.ओ.आई. किया गया है तथा चिमनी के स्थापना उपरांत एम.ओ.यू. (MoU) किया जाएगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल क्षमता एवं स्रोत** – प्रोजेक्ट में लगभग 250 किलोलीटर प्रतिदिन एवं उत्तर पश्चिम (रेन वाटर एवं डिस्चार्ज) से 20 किलोलीटर प्रतिदिन तथा परिसर लगाईन एवं पुनरावर्तन से 30 किलोलीटर प्रतिदिन जल प्राप्त होगी। इस प्रकार कुल 280 किलोलीटर प्रतिदिन जल प्राप्त होगी। औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल की आपूर्ति परिसर में प्रस्तावित जलाशय (pond) क्षमता–36,923.00 घनमीटर प्रतिवर्ष तथा परिसर से लगी हुई उत्तर का भूमि में प्रस्तावित वीयर निर्माण क्षमता–25,722.8 घनमीटर प्रतिवर्ष से किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त जलाशय की कुल क्षमता–61,695 घनमीटर प्रतिवर्ष है। परिसर से लगी हुई ग्राम की भूमि में प्रस्तावित वीयर निर्माण के उपयोग हेतु अनुमति के लिए जल संसाधन विभाग, पटना सम्पर्क, जिला–चिलकहर में आवेदन किया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है। परंतु प्रयोजन हेतु जल की आपूर्ति प्रोजेक्ट से किया जाना प्रस्तावित है। भूमिगत जल उपयोग हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी में आवेदन किया जाना बताया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – उद्योग द्वारा वेट प्रोसेस पर आधारित कोल वॉशरी स्थापित किया जाएगा। फलस्वरूप शून्य वॉटर डिस्चार्ज व्यवस्था की जाएगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु सिकनर, वेस्ट वेल एवं सेटलिंग टैंक्स की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपयोगानुसार आवश्यक उपचार पश्चात् प्रक्रिया में तथा परिसर के भीतर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। परंतु दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता–30 किलोलीटर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मेकेनिकल स्क्रीनिंग, सीट निकुंभ, ऑक्सिडेशन टैंक, इक्वलिटाईजेशन टैंक, एस.बी.आर. ट्रीटमेंट, सेकेन्ड्री क्लॉरिफिकेशन, डिसइन्फेक्शन तथा सेटलिंग लाईट के पश्चात् डी.एम. एफ. एवं एक्टीवेटेड कॉर्बन फिल्टर लगाया जायेगा। शून्य निस्तारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – प्रस्तावित स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) कुल एवं लघुत्तम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) पानी वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक तथा इनवायर्न्मेंटल / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार स्थल सेमीक्रिटिकल जोन में आता है केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस दिनांक 01/03/2018 अनुसार Over exploited, critical and semi-critical assessment unit में स्थापित इकाइयों द्वारा भूगर्भ दूषित एवं माइनिंग प्रोजेक्ट्स को भू-जल उपयोग की अनुमति नहीं दिया जाना है, फलस्वरूप परियोजना द्वारा

औद्योगिक कार्य हेतु भू-जल का दोहन कर सकता सम्भव, जल प्राधिकरण की अनुमति के पश्चात् ही किया जा सकेगा।

9. **रैन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल एकत्रीकरण 35,925 घनमीटर है। रैन वॉटर संचयन किये जाने के लिए जलाशय का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रैन वॉटर संचयन का उपयोग फोल तौलाई के संचालन हेतु किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत खपत एवं स्रोत** – परियोजना हेतु 520 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति प्रस्तावित सोलर विद्युत संयंत्र कम्पनी से की जाएगी।

11. **प्लांटेशन कार्य** – कुल क्षेत्रफल में से लगभग 3.5 हेक्टेयर (44.53 प्रतिशत) में 30 मीटर ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

12. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 15 दिसम्बर 2016 से 31 मार्च 2020 के मध्य किया गया है। 10 कि.मी. के अन्तर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 08 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 03 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 08 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

13. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 14.2 से 34.8 माइक्रोग्राम / घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 24.6 से 55.6 माइक्रोग्राम / घनमीटर, एसओ$_2$ 8.4 से 16.6 माइक्रोग्राम / घनमीटर तथा एनओ$_{2}$ 11.8 से 25.8 माइक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परिवेशीय वायु गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर दिन के समय 39.9 डीबीए से 56.1 डीबीए एवं रात के समय 37 डीबीए से 51.1 डीबीए पाया गया। परियोजना स्थल के आसपास ध्वनि गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुरूप है।

14. आंतरिक मार्गों का ट्रेन-टू-ट्रेन एकीकरण किया जायेगा। मालसंग्रह ट्रेन संचालन आवश्यक।

15. प्रचालनीकरण के दौरान परियोजना प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि लगभग कोल का परिवहन 30-40 प्रतिशत तक सड़क मार्ग से एवं 60-70 प्रतिशत तक रेलमार्ग से तथा डी-कोल का परिवहन पूर्ण रूप से रेलवे मार्ग से किया जायेगा।

16. कोल डीसली प्रक्षेत्र द्वारा एक सी.सी.टी.वी. कैमरा सिस्टम के माध्यम से अवागमन करने वाले वाहनों पर निगरानी रखी जायेगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि डी-कोल लादा कोल एवं रिजेक्ट्स से भरे सभी वाहन ठीक ढंग से ढंके हुये हैं। प्रवेश द्वार पर ओपन वीज सिस्टम की लगाया जाना प्रस्तावित है, जिससे वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण नियंत्रित हो सके।

17. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं–**

   i. प्रस्तावित कोल डीसली परियोजना द्वारा वृक्षारोपण की व्यवस्था प्रस्तावित होने पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण की क्या सहायता दी जायेगी।

   ii. प्रस्तावित कोल डीसली परियोजना के कारण भारी वाहनों के चलने से सड़क पर जाम न हो एवं दुर्घटना नहीं होने हेतु व्यवस्थायें बनाई जायें।

   iii. प्रस्तावित कोल डीसली परियोजना से आस-पास के गांव स्कूल, धर्मशाला, मकानों, नदी, तालाब, जीव-जन्तु, मंदिर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

iv. प्रस्तावित खनन योजना परियोजना के तहत खनन गतिविधि द्वारा प्रदूषण नियंत्रण की क्या व्यवस्था की जायेगी? क्या-क्या उपकरण लगाये जायेंगे।

v. प्रस्तावित खनन के प्रभावित क्षेत्र के भवनों / निर्मित हेमेजमाने को संरक्षण में योजनाएं उपलब्ध कराया जाये।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में खनन प्रबंधन का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:-

i. उत्तरदाता प्रबंधन द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि खनन योजना की स्थापना से किसी भी वायु प्रदूषण की स्थिति निर्मित नहीं होगी। मृदाकार की उत्पादकता को नुकसान नहीं होगा। यदि कोई आवश्यक उपचार के बाद भी मृदाकार की उत्पादकता को नुकसान होता है तो प्रभावित लोगों से वास्तविक मूल्य हल निकाला जायेगा।

ii. प्रस्तावित खनन योजना परियोजना में जो कोल/लोहा खनन/रिसेक्टर को लाइसेंसिंग से ढके हुए वाहनों के द्वारा परिवहन किया जायेगा। वाहनों से दुर्घटना के संरक्षण हेतु वाहनों की गति को नियंत्रित रखा जायेगा।

iii. प्रस्तावित खनन योजना परियोजना से आस-पास के क्षेत्र वनस्पतियां, मवेशियों, नदी, तालाब, जीव-जन्तु, पक्षियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इसलिए कोल खनन इकाई, योजना क्षेत्र एवं वहीन मार्ग में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ पेव फिल्टर की स्थापना की जायेगी। साथ ही डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम को ढका जाकर पेव फिल्टर लगाया जायेगा। साथ ही डस्ट सप्रेशन / म्यूनिसिपल डस्ट प्रदूषण के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की जायेगी। कार्यस्थल क्षेत्र के चारों ओर 15 मीटर की चौड़ाई तक वृक्षारोपण किया जायेगा।

iv. प्रबंधन द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि आवश्यकतानुसार योजना के लाभार्थ पर स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

18. **कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी (C.E.R.)** – भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/04/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) नियम समिति के सम्बन्ध विस्तार से उक्त उपबन्ध निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
2.200	2%	44	Following activities at Nearby Government Schools and Hospitals **Village-Amsena, Sakarra and Reimundi**	
			Rain Water Harvesting System	44
			Potable Drinking water Facility	
			Running Water	

			facility for Toilets	
			Solar Lighing System	
			Plantation	
			Total	44

समिति द्वारा पर्यावरणीय प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि शासन निर्देशों के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रावधान एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा जिला बिलासपुर उपखंड सकरी के ग्राम–सकरी, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 753/1, 736/(ब) से 735/1, 754/(ब) से 754, 755, 756/1, 756/2, 756/3, 756/4, 757/4, 757/3, 758/1, 758/1, 759/4, 759/7, 782/(ब) से 782, 786/1, 787, कुल क्षेत्रफल – 7.88 हेक्टेयर (19.48 एकड़) में प्रस्तावित कोल वॉशरी (प्रति घंटा कोल वॉशरी) 300MT-120MT मिश्रित ट्रक प्रशिक्षण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्रशिक्षण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्रशिक्षण की दिनांक 10/08/2020 को आयोजित प्रभावी बैठक में विचार किया गया। प्रशिक्षण द्वारा गवाही का अवलोकन किया गया। प्रशिक्षण द्वारा नोट किया गया कि–

1. ग्राम सकरी में प्रस्तावित प्रस्ताव के अंतर्गत कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को मेसर्स गुप्ता एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–गुढ़ाम, जिला–चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में स्थापित कोल रिजेक्ट्स बेस्ड थर्मल पॉवर प्लांट में उपयोग हेतु विक्रय किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिसके लिए एमओयू नहीं किया गया है। अपितु लेटर ऑफ इन्टेन्ट जारी किया गया है। यहाँ कोल की कैलोरीफिक वेल्यू एवं वाशरी रिजेक्ट्स की कैलोरीफिक वेल्यू में काफी अंतर होता है। महाराष्ट्र राज्य में चन्द्रपुर के समीप कई कोयले की खदान संचालित हैं। मेसर्स गुप्ता एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–गुढ़ाम, जिला–चन्द्रपुर, महाराष्ट्र द्वारा कोयले का ईंधन के रूप में उपयोग के स्थान पर वॉशरी रिजेक्ट्स का काफी दूरी तक परिवहन कर ईंधन के रूप में उपयोग करना विभिन्न दृष्टि से व्यवहारिक **(Economically Viable)** संभव होगा अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है। साथ ही पावर प्लांट की उपयोगिता क्षमता, ईंधन (वॉशरी रिजेक्ट्स) उपयोग की मात्रा (प्रतिदिन एवं वार्षिक) एवं विपणनीय कोल वॉशरी से उत्पन्न सभी वॉशरी रिजेक्ट्स का उपयोग इस पावर प्लांट में संभव होगा अथवा नहीं? यह भी स्पष्ट नहीं है। अतः उपरोक्त जानकारी एवं रिजेक्ट्स का परिवहन मेसर्स गुप्ता एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–गुढ़ाम, जिला–चन्द्रपुर, महाराष्ट्र तक विभिन्न दृष्टि से व्यवहारिक **(Economically Viable)** होने अथवा नहीं होने के संबंध में जानकारी प्राप्त कर परीक्षण किया जाना उचित प्रतीत होता है। यदि वॉशरी रिजेक्ट्स का इतनी लंबी दूरी तक परिवहन कर उपयोग करना विभिन्न दृष्टि से व्यवहारिक **(Economically Viable)** नहीं होता तो वॉशरी रिजेक्ट्स के उपयोग हेतु अन्य रिजेक्टिव पावर प्लांट की जानकारी तथा एमओयू की प्राप्त किया जाना होगा।

2. दूषित जल उपचार व्यवस्था के अंतर्गत परिसर दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित बताया गया है, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से अपेक्षित मात्रा के उपचार की व्यवस्था की जानकारी नहीं दी गई है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त जमीनी के आधार पर पुनः परीक्षण कर, अपेक्षित अनुपालना किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ को सूचित किया जाए।

31. मेसर्स श्री लक्ष्मीकांत साहू (आवास सेण्ड माईन, ग्राम-बालम, तहसील व जिला-कांकेर), बेहूल नगर भिलाई, जिला-दुर्ग (लघिकालय का लघी क्रमांक 1126)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 136564 / 2019, दिनांक 12 / 01 / 2020।

प्रकरण का विवरण – यह प्रकरणित रेत खदान (मैसर्स खनिज) है। यह खदान ग्राम-बालम तहसील व जिला-कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 631, कुल क्षेत्र क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रकरणित है। उत्खनन महामंजूरी से किया जाना प्रकरणित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,18,750 एम.सी.एम. है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 300वीं बैठक दिनांक 04 / 02 / 2020

समिति द्वारा प्रकरण की जमीनी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात **चर्चोपरान्त से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि-**

1. प्रकरणित स्थल से निकटतम कुआं, नदी, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रकरणित स्थल एवं प्रकरणित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, सर्वेक्षण में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाएं। इसका लेवल्स (Levels) हेतु जल से ऊपर 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जाएं। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) से आर.एल., को-आर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाएं। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें स्थानिक विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त पारदर्शक सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रकरणित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की गहराई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी डायमेंशनल-गहराई का मापन कर, स्थानिय विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की डायमेंशनल गहराई हेतु पंजीयन भी प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रकरणित उत्खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर पर्यावरण संघटक निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण संघटक निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

7. वीज बीमा के निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (स्थानीय) प्रस्तुत किया जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान के ले आउट (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ जानकारी साझा की जाकर सिंचाई विभाग सुरक्षित जानकारी / दस्तावेज (प्रमाण फोटोग्राफ) सहित डिजीटाईजेशन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/03/2020 द्वारा डिजीटाईजेशन हेतु सूचित किया गया।

(ग) समिति की 313वीं बैठक दिनांक 25/03/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीप सोहन, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री के.एल. कंवर, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा मांगी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – पेट्रोल उत्खनन के संबंध में नगर पंचायत धमतरी का दिनांक 06/04/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **निरूपित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा के प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान निरूपित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-धमतरी कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 908/खनिज/उत्खनन/2019-20 कार्यालय, दिनांक 16/01/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-धमतरी कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 5017/खनिज/ रेत(गुटी)/2019-20 कार्यालय, दिनांक 10/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 905-बी/खनिज/रेत(गुटी)/2019-20 कार्यालय, दिनांक 10/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, स्कूल, पुल, बांध, डैम, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एस.डी.आई का विवरण** – एस.डी.आई कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-धमतरी कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 3218/खनिज/रेत (विजर्स ऑक्शन)/2019 कार्यालय, दिनांक 09/01/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 3 वर्ष हेतु वैध है।

7. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर उत्तरमण्डल जिला–कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/ना.वि./2020/1807 कांकेर, दिनांक 24/02/2020 की नदी अनावेदित प्रयोग भू–अनुभाग आवेदित क्षेत्र पर पूर्व की सीमा से दूरी 5 कि.मी., सीमाबन्दी क्षेत्रफल 100 से 150 कि.मी. एवं कांकेर शाखा वाहन 250 से 300 कि.मी. है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2016 द्वारा जिला प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–दाखम 2.5 कि.मी.एवं अस्पताल ग्राम–पखांजूर 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित रेत खदान का आवेदित से 1,300 मीटर की दूरी पर पुल स्थित है।

10. **पारिस्थितिकीय/पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित पर्यावरणीय क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 274 मीटर, न्यूनतम 225 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 155 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी 133 मीटर बताई गयी है। अनुमोदित माईनिंग प्लान में नदी तट से दूरी 50 मीटर बताई गई है, जबकि खदान की सीमा की नदी तट से न्यूनतम दूरी, नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होनी चाहिए।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,25,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, तकनीक विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई मापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2.5 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंजीयन भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत पखांजूर के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 131, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, क्षमता–75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण आकलन निर्धारण प्राधिकरण, जिला–उ.ब. कांकेर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 29/05/2018 के द्वारा जारी दिनांक से 60 दिवस हेतु जारी की गयी थी।

ii. भूमि में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ अवलोकन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

iii. विभाग द्वारा में दिए गए प्रावधान की आवश्यक मात्रा की जानकारी वर्तमान विभाग से प्रमाणित कर पत्र प्रस्तुत नहीं की गई है।

iv. निर्धारित मानकानुसार क्षतिपूर्ण नहीं किया गया है।

14. **अवैध क्षेत्र में रेत खनन के लेखाकन** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का डिटेल कलेक्टर प्रतिमान में पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) काल दिनांक 21/02/2020 को रेत खनन के लेखाकन (Levels) लेकर, उसी माध्यम विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/प्रमाणित प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विभाग से प्राप्त उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 52.5	2%	Rs. 1.05	Following activities at Nearby Government Girls School Village-Charaina	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.64
			Running water Facility for Toilets	Rs. 0.20
			Plantation work with fencing	Rs. 0.30
			Total	Rs. 1.14

समिति द्वारा परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एवं साथ में प्रस्तुत किया जाए।

16. रेत उत्खनन पेशुक्रम विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. अनुमोदित माईनिंग प्लान में नदी तट के किनारे से दूरी 10 मीटर बताती गई है, जबकि नदी के तट की गीलाई के 10 प्रतिशत की दूरी होनी चाहिए। वर्तमान स्थल पर नदी के तट की गीलाई औसतन 247 मीटर है। अतः नदी के तट की गीलाई के 10 प्रतिशत की दूरी को रेत माईनिंग क्षेत्र परिधि कम करना प्रस्तुत की जानी होगी। साथ ही फ्लड मानचित्र के आधार पर माईनिंग प्लान में संशोधन कराना आवश्यक है।

समिति द्वारा अवलोकन उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. नदी के पाट की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की न्यूनतम दूरी को गैर माईनिंग क्षेत्र घोषित करते हुए गैर माईनिंग क्षेत्र का रखरखाव की जाए। गैर माईनिंग क्षेत्र एवं माईनिंग क्षेत्र का सीमांकन कर जनपद विकास से अनुमोदन कराया जाए तथा संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. विगत वर्षों में जिए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रारूप में प्रस्तुत किया जाए।

एस.ई.ए.सी. प्रकोष्ठ की 243वीं बैठक दिनांक 28/02/2020 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी 15/05/2020 को प्रस्तुत किया गया।

(ग) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020

समिति द्वारा नदी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/180(बी)/खनिज/रेत(मुरूम)/2020 कांकेर, दिनांक 11/05/2020 के अनुसार नदी तट से घाट क्षेत्र 30 मीटर पर स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस हेतु संशोधित माईनिंग प्लान की प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसमें नदी तट से दूरी 30 मीटर बताई गई है। अतः गैर माईनिंग क्षेत्र का रखरखाव किया जाना आवश्यक नहीं है।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/1246/खनिज/रेत(मुरूम) अनुज्ञप्ति/2019-20 कांकेर, दिनांक 18/03/2020 के अनुसार पूर्व में नगर पंचायत भानपुरी के नाम से रेत उत्खनन पट्टा क्रमांक 151, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, मात्रा-31,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन विशेषज्ञ मूल्यांकन, जिला-उ.ब. कांकेर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 02/08/2018 की जारी दिनांक से 05 वर्ष हेतु जारी की गयी थी, वर्तमान में रेत उत्खनन की मात्रा 30,000 घनमीटर है।

4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

एस.ई.ए.सी. प्रकोष्ठ की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी 29/06/2020 को प्रस्तुत किया गया।

(घ) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 29/06/2020

समिति द्वारा नदी प्रमुख जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. पूर्व के जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की त्रिमुखर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई है। जिसमें अनुपालन–
   i. कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।
   ii. निर्धारित शर्तानुसार पूर्णावलोकन नहीं किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण क्षमता आकलन कार्य एवं स्थानीय जानकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। बाढ़ नदी बढ़ी नहीं है तथा इसमें वर्षोकाल में साधारणतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की सम्भावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. आवेदित खदान (ग्राम–गालमाई) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में अधिसूचित/संरक्षित वनक्षेत्र का कुल संक्षमता 5 हेक्टेयर से ज्यादा कम होने के कारण यह खदान श्रे–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. **पूर्णावलोकन कार्य** – प्रावधानिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,500 नग पौधे – 1,250 नग जामुन के पौधे तथा शेष 1,250 नग (जामुन, करंज, बांस आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त वहन मार्ग पर 750 नग पौधे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खनन क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Situation Study) करायेगा, जिसे रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् नदी आधारित रेत उत्खनन का नदी, भूमिगत, स्थानीय जनजीवन, जीव एवं वृक्ष जीवन पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सकें।
4. **लीज क्षेत्र की सतह का केलाइन खाका –**
   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व स्वयम लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर के आयाम (Grid) में किया जाएगा।
   ii. रेत खनन के उपरान्त मानसून के पूर्व अर्थात मई माह के अंतिम सप्ताह / जून में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।
   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व तथा उत्खनन इसी ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जायेगा।
   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जायेगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त

2020, 2021, 2022 तक प्रतिवर्ष 50 से एम.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जाएंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से की सहमति प्रदान की गई कि खसरा क्रमांक 131, ग्राम–चारामा तहसील व जिला–कांकेर, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशीनों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग पॉइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – प्रस्तावित प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 16/06/2020 की सम्पन्न 48वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये की सहमति खसरा क्रमांक 131, ग्राम–चारामा, तहसील व जिला–कांकेर, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

32. मेसर्स महावीर कोल वीजरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी, तहसील–बोदरा, जिला–बिलासपुर (सक्षिप्तालय की नस्ती क्रमांक 1232)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 61497/2020 दिनांक 02/03/2020।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–खरगहनी, तहसील–बोदरा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक पार्ट अंश 79/1, 79, 96, 80, 81, पार्ट अंश 82, 84, 86, 87, पार्ट अंश 55, 56, 58/1, 58/1, 58/2 कुल क्षेत्रफल – 14.74 एकड़ में सीपीसीएल कोल वीजरी – 0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टीओआर बाबत आवेदन किया गया है। परियोजना का प्रस्तावित विनियोग रुपए 22 करोड़ होगा।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 302वीं बैठक दिनांक 18/06/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा सदस्य सचिवसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. कम्पनी डेवलपिंग स्ट्रार्स के पत्रांक के साथ कोल वीजरी संचालन हेतु प्रस्तावित स्थान को पर्यावरणीय संवेदनशीलता की दृष्टि से पर्याप्त किए जाने की जानकारी प्रस्तुत करें।
2. कार्यालय में लम्बित इकाईयों (यदि कोई हो) हेतु हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जावे।

3. भूमि स्थानांतर संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जावे।

4. प्रस्तावित वाहन पार्किंग व्यवस्था एवं पेय जल हेतु प्रस्तावित व्यवस्थाओं का विवरण (नक्शा एवं लाईन सहित) प्रस्तुत की जावे।

5. घुलित जल हेतु प्रस्तावित जलापूर्ति व्यवस्था का पूर्ण विवरण, प्रस्तावित घुलित जल के उपयोग / पुनःचक्रीकरण की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जावे।

6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, एमुलिटिव अंकर उपकरण व्यवस्था, डी-कोल, पावर कोल, सिलेक्ट कोल के परिवहन कार्य एवं परिवहन व्यवस्था (सड़क / रेल मार्ग) का विवरण प्रस्तुत की जावे।

7. ठोस अपशिष्ट (सिलेक्ट कोल एवं कोल रगड़) के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जावे।

8. प्रस्तावित ऊर्जा संयंत्र के उपयोग की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जावे।

9. ले-आउट के प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की मात्रा तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जावे। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जावे।

10. नेशनल माइनिंग वीजन डाक्यूमेंट द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल संबंधी विस्तृत भूवैज्ञानिक विवरण, क्षेत्र जैव जोन के अंतर्गत आने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जावे। पानी का तापन करने हेतु नेशनल माइनिंग वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जावे।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 325वी बैठक दिनांक 29/06/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विशाल जैन, जीएमआर एवं श्री संजय जैन, प्रतीकेट उपस्थित हुए। समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि यह प्रकरण समिति की 326वी बैठक दिनांक 01/06/2020 में सूचीबद्ध है। अपरोक्त कारणों से उक्त तिथि को प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया। समिति द्वारा नवीन प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –
   - निकटतम आबादी ग्राम-पदना 1 कि.मी., स्थित ग्राम-खरमोरा 3 कि.मी., अस्पताल कालरी रोड 6 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन कि.मी. 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. है। अरपा नदी 8 कि.मी. दूर है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉलुटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिपादित किया है।

2. **लेण्ड एरिया क्वेटगेट** – कुल क्षेत्रफल 16.37 एकड़ है, जिसमें कोयला पार्क 2.96 एकड़, डी-कोल, कोल फील्ड, सीडलिंग एवं रिसेक्शन स्टोक यार्ड 2.96

एकड़, आम डोलिमाइट 1.47 एकड़, शेष भूमि 0.75 एकड़ एवं पीला बेल्ट 0.25 एकड़ (50.4 प्रतिशत) में प्रस्तावित है।

3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूरे में फैला परियोजना 14.74 एकड़ क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित था। उक्त क्षेत्रफल में निर्धारित ले-आउट के पश्चिम क्षेत्र से सी-कोल ट्रेंचिंग क्षेत्र तक भूमि की सीमाएं कम होने के कारण कारण वह भूमि 1.83 एकड़ को सम्मिलित कर ले-आउट प्रस्तुत किया गया है।

4. खसरा संबंधी जानकारी:-

स्थानीय	खसरा नं.	क्षेत्रफल (एकड़ में)
महावीर कोल लोजिस्टिक प्राईवेट लिमिटेड	55(पार्ट), 56, 58/1, 59/2, 78, 79/2(पार्ट), 82 एवं 87	10.64
अनुसूचित भूमि	59/1, 79/1(पार्ट), 81, 82(पार्ट), 84, 85, 90/2(पार्ट) एवं 93/1(पार्ट)	5.73

5. **सी-मटेरियल** – सी-कोल 0.98 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन किया जाएगा। वाशरी कोल 0.792 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं रिजेक्ट कोल 0.188 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। सी-कोल एस.ई.सी.एल. कोलवा के वाहनों, डंपर, ट्रेकर एवं ट्रकों से आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। खदान से डंपरों तक सी-कोल का परिवहन सड़क मार्ग से ढके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। वाशरी से वाशरी कोल एवं रिजेक्ट का परिवहन सड़क मार्ग से ढके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल लोडर हेवाई, डोजर्स ड्रेकर एवं स्क्रीन इकाइयों में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बैग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। सभी कोल कन्वेयर बेल्ट्स को ढंका जाकर बैग फिल्टर से संलग्न कर 30 मीटर ऊंचाई से लिया जाना प्रस्तावित है। उक्त इकाईयों से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाएगा। परिसर के चारों ओर 3 मीटर ऊंची बाउण्ड्री वॉल का निर्माण एवं वेन गन के साथ 3 मीटर ऊंची स्प्रीन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही डस्ट सप्रेशन / म्यूनिसिपल डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

7. **शोर अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वाशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.188 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को आस-पास पावर प्लांटों एवं अन्य उद्योगों को ईंधन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

8. **पेयजल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल उपयोग एवं स्रोत** – लगभग 240 किलोलीटर प्रतिदिन घरेलू हेतु जल उपयोग होगा। जल स्रोत बोरवेल होगा। भूमिगत जल उपयोग हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से आवेदन किया जाना प्रस्तावित है।
- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – खदान द्वारा सुरक्षा पर आवश्यक कोल वॉशरी स्थापित किया जाएगा। अपशिष्ट मूल वॉटर सिस्टम व्यवस्था की जाएगी।

प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु डिसल्टर, सेटल ट्रेस एवं सेटलिंग पिट की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। ऑक्सीडेशन प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को नियमानुसार उपचार उपरान्त पुनः प्रक्रिया में तथा परिसर के भीतर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। गंदेजू दूषित जल के उपचार हेतु संयंत्र डिस्पोट प्लांट की व्यवस्था की जाएगी। शून्य निस्तारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

(अ) कृषक एवं मध्यम उद्योगों का कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर निकाले हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। प्रस्ताव उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

9. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का डिटेल ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

10. **विद्युत खपत एवं स्रोत** – परियोजना हेतु 1,500 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 नग 500 के.वी.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकोस्टिक्ली इन्क्लोजर में स्थापित किया जाएगा।

11. **वृक्षारोपण की स्थिति** – कुल क्षेत्रफल में से 6.25 एकड़ (26.4 प्रतिशत) में ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाना प्रस्तावित है। चारों तरफ 10 मीटर सहित चौड़ी ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

12. कोल डीजली की स्थापना हेतु 3 स्थली (ग्राम–कसरमोटा, ग्राम–मोहतरपुर एवं ग्राम–केलपारा) का अध्ययन किया जाना बताया गया है। कोल डीजली की स्थापना के लिए ग्राम–केलपारा के स्थल का चयन किस आधार पर किया गया है, इस संबंध में तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई है।

13. वर्तमान में उक्त भूमि पर कोई उद्योग स्थापित नहीं होना बताया गया है।

14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एन.ई.सी.एल. की रेलवे, डीपका एवं कुसमुण्डा खदान से डी–लिंक का परिवहन पूर्ण रूप से सड़क मार्ग से एवं सड़क कोल का भी सड़क मार्ग से किया जाएगा। सड़क मार्ग से साइड कोल एवं डीजली रिजेक्ट का परिवहन आसपास के उद्योगों को किया जाएगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु सर्वेक्षण का कार्य दिनांक 01/03/2020 से 31/05/2020 तक निर्धारित किया गया था। कोविड–19 के लॉकडाउन प्रभाव होने के कारण सर्वेक्षण का कार्य दिनांक 25/03/2020 से 14/04/2020 तक नहीं किया जा सका। अतः उक्त सर्वेक्षण दिनांक 21/06/2020 तक किया जाएगा।

18. समिति द्वारा नोट किया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु नये सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व टीओआर एवं पीएफआर प्राप्त किया जाना आवश्यक है। कंडिका–09 के लॉकडाउन प्रभावित होने के कारण मॉनिटरिंग का कार्य दिनांक 25/03/2020 से 14/04/2020 तक नहीं किया गया है। अतः उक्त मॉनिटरिंग में निरंतरता नहीं होने के कारण उक्त सीजन में की गई मॉनिटरिंग को मान्य किया जाना संभव नहीं है। समिति द्वारा नये सीजन में मॉनिटरिंग किए जाने के लिए निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा विचार किया गया कार्यसूची के प्रकरण क्र–1 कोरबा जिले के अंतर्गत मेसर्स सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2010 में प्रस्तावित कोयला खदानें टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ईएमपी रिपोर्ट फॉर क्रोकेल्स/एक्सप्लोरेशन लिमिटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अपडेट ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 के शर्तों के अधीन कोयला खदान (लोक सुनवाई सहित) कोल सेक्टरी समता–0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष के लिए लागू हेतु जारी किए जाने की अनुशंसा निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ की गई:–

i. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report for new season.

ii. Project proponent shall submit details of ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.

iii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

iv. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

v. Project Proponent shall submit NOC from Central Ground Water Authority for use of ground water.

vi. Project Proponent shall submit NOC mentioning the distance from the boundary of Achanakmar Tiger Reserve to the proposed washery site from Competent Authority of Tiger Reserve.

vii. Project Proponent shall submit layout earmarking atleast 20m wide green belt all along the phariphery of the project area.

viii. Project Proponent shall submit ownership / possession of land documents and procurement of additional land as proposed during TOR presentation.

ix. Project Proponent shall submit proposal regarding transportation of raw coal, clean coal and reject through rail as maximum as possible.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/06/2020 को संपन्न बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नदी का अवलोकन किया गया। विचार किया जाकर प्राधिकरण द्वारा कार्यसूची में समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टीओआर) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण द्वारा टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टीओआर) जारी किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–4 नाम परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स बीजुरी सीमेंट लिमिटेड, पो.आ. –बैकुंठ, जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 27)

मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, ग्राम पो.आ.–बैकुंठ, जिला–रायपुर द्वारा मेसर्स बीजुरी सीमेंट लिमिटेड को धमेत पॉवर प्लांट की क्षमता विस्तार 25 मेगावॉट से 27 मेगावॉट किए जाने हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में "मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (यूनिट–बीजुरी सीमेंट वर्क्स) पो.आ.–बैकुंठ, जिला–रायपुर" से "मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (यूनिट–बैकुंठ सीमेंट वर्क्स) पो.आ.–बैकुंठ, जिला–रायपुर" नाम परिवर्तन में संशोधन किये जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एच.ई.आई.ए.ए., छ.ग. के पत्र क्रमांक 1886, दिनांक 07/03/2020 के द्वारा पूर्व में "मेसर्स बीजुरी सीमेंट लिमिटेड, ग्राम पो.आ.–बैकुंठ, जिला–रायपुर" को एच.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 08/12/2008 द्वारा धमेत पॉवर प्लांट की क्षमता विस्तार 25 मेगावॉट से 27 मेगावॉट हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन कर "मेसर्स बीजुरी सीमेंट लिमिटेड, ग्राम पो.आ.–बैकुंठ, जिला–रायपुर" के स्थान पर "मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (यूनिट–बीजुरी सीमेंट वर्क्स) पो.आ.–बैकुंठ, जिला–रायपुर" किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/06/2020 को संपन्न 364वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नाम परिवर्तन के संबंध में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा जारी प्रमाण पत्र / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

परिपालना प्रस्तावक को उपलब्ध कराया जाए।

2. मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम–हाटाकुदरी, तहसील–दुर्गकोन्दल, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 795)

मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम–हाटाकुदरी, तहसील–दुर्गकोन्दल, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ग्राम–हाटाकुदरी एवं लंजोड़, तहसील–दुर्गकोन्दल, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर स्थित उन खसरा क्रमांक 641 एवं 642, कुल रकबा – 75 हेक्टेयर में आयरन ओर (लुप्त खनिज) उत्खनन क्षमता – 0.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 1.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष (1.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Above threshold value, +45% Fe) एवं 0.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Below threshold value, -45% Fe which is part of overburden)) तथा डंप से आयरन ओर का उपयोग करने हेतु नए आयरन ओर बेनिफिशिएशन प्लांट (डेट) क्षमता – 0.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु एच.ई.आई.ए.ए., छ.ग. के पत्र क्रमांक 348, दिनांक 18/06/2020 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन किये जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निम्न बिन्दुओं पर संशोधन मांगा गया है–

1. "मेसर्स बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड" से "मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड" किये जाने।

2. पर्यावरणीय स्वीकृति में 12 हेक्टेयर का उल्लेख किया गया है जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उ.ब.नवागढ़ द्वारा संचालन 78 हेक्टेयर में से 23.87 हेक्टेयर क्षेत्र में भू-प्रवेश एवं खनन करने की अनुमति प्रदान की गई है।

3. पर्यावरणीय स्वीकृति में समस्त फेस वाटर – 150 घनमीटर प्रतिदिन एवं सिंकिंग वाटर 280 घनमीटर प्रतिदिन का उल्लेख किया गया है। जबकि वास्तव में फेस वाटर – 280 घनमीटर प्रतिदिन एवं सिंकिंग वाटर 110 घनमीटर प्रतिदिन है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/06/2020 को संपन्न ऑनलाईन बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार मिलते उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के आधार पर परिशिष्ट कर उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को सादर प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को सूचित किया जाए।

ईकोफ्रेंडली आवरण क्रमांक–5 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

अध्यक्ष, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि पेड़ का अवैज्ञानिक तरीके से छंटाकरण किये जाने की सूचना समाचार माध्यम के माध्यम से प्राप्त होती रहती है। पेड़ काटने की जगह पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का पालन करते हुये छंटाकरण किया जाना आवश्यक है तथा इस पर निर्धारित नियमानुसार कार्यवाही आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त पर प्राधिकरण की दिनांक 10/06/2020 को संपन्न ऑनलाईन बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त पर विचार मिलते उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पेड़ का अवैज्ञानिक तरीके से छंटाकरण की संचालन की कार्यवाही एवं कटाई की जाने पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने बाबत कार्यालय कलेक्टर, खनिज जिला के मैदानी अमलों को निर्देशित किये जाने हेतु खनिज, खनिज साधन विभाग को अनुरोध किया जाए।

तदानुसार खनिज, खनिज साधन विभाग को सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद प्रदान के साथ समाप्त हुई।

(मनीता पी.)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(श्रीमती अजय सरन)
अध्यक्ष,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. समीर बाजपेयी)
सदस्य,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़